द्वितीय माला, खंड ५३—अंक ३६

मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१
१४ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश मे)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३१—४०—२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४	३६२३–४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३	३६४३–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७	३६५६–९३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६९३–९५
ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३६९५–९६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	३६९६–९७
रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	३६९७–३७००
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	३७००
१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।	
२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।	
उड़ीसा का आयव्ययक १९६१–६२—सामान्य चर्चा	३७०१–१७
उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१–६२)	३७१७–१९
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक–पुरः स्थापित और पारित	३७१९–२०
अनुदानों की मांगे	३७२०–२७
गृह-कार्य मंत्रालय	३७२०–२७
पूर्वी श्रेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३७२८–२९
दैनिक संक्षपिका।	३७३०–३६

अंक ३२—बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७, ११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७	३७३७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३७२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३७५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना । . . ३९०८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३९०८–०९

प्राक्कलन समिति

एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . . ३९०९

अनुदानों की मांगें ३९०९–५५

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३९०९–३३

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ३९३४–५५

बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . . ३९५५–५७

दैनिक संक्षेपिका ३९५८–६१

अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ . ३९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३९८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . . ३९८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५५९ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६ . . . . ३९९७–४०३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . . ४०३४–३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०३६

राज्य सभा से सन्देश ४०३७

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४०३७

प्राक्कलन समिति

एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन . ४०३७

रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . . ४०३८–३९

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा का कार्य	४०४०
अनुदानों की मांगें	४०४०–८०
सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	४०४०–७६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४०७७–८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	
इकासीवां प्रतिवेदन	४०८१
समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	४०८१–९४
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४०९४–९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०९४–९७
श्री शि० ला० सक्सेना	४४९७
दैनिक संक्षेपिका	४०९८–४१०४

अंक ३५--सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२	४१०५–२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	४१२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४	४१३१–३८
अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५	४१३८–६८

स्थगन प्रस्ताव—

बस्तर की स्थिति	४१६४–६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना	४१६७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१६७–६८
राज्य-सभा से सन्देश	४१६८

उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया	४१६८

विषय-सूची पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ४१६८

लोक-लेखा समिति . . . ४१६८

पैंतीसवां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति––

एक सौ तीसवां प्रतिवेदन ४१६६

अनुदानों की मांगें ४१६६–४२११

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ४१६६–४२१२

दैनिक संक्षेपिका ४२१२–१७

अंक ३६––मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ . ४२१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५ . . . . ४२४५–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७–– . . ४२५२–७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . . ४२७८

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४२७८–७९

राज्य सभा से सन्देश ४२७९

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ४२७९

प्राक्कलन समिति––

एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन . ४२७९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति––

तेईसवां प्रतिवेदन ४२७९

सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . . ४२८०–८१

विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में ४२८१–८२

अनुदानों की मांगें ४२८२–४३२७

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४२८२–४३३४

दैनिक संक्षेपिका ४३३५–३९

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४४२१—२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य . . . . . ४४२२—२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५३६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ४५३६–३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे ४५३७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . . ४५३७

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . . ४५३७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५३८—६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ४५३८—६८

वक्तव्य में शुद्धि ४५५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४५६६—४६०२

अंक ३६—शुक्रवार ७ अप्रैल, १६६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३६१, १३६४, १३६५ और १३६७ से १३६६ . . . . . ४६०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३६२, १३६३, १३६६ और १४०० से १४०३ . . . . . ४६२७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६२ से २८६६, २६०१ से २६१६ और २६१८ से २६७२ . . . . . ४६३०—६८

स्थगन प्रस्ताव—

कच्छ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . . ४६६८—७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . . ४६७०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७२–७३

सभा का कार्य . . ४६७३

लोक लेखा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६७३

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति--

एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन . ४६७४

अनुपस्थिति की अनुमति ४६७४-७५

समितियों के लिये निर्वाचन ४६७५-७६

१. प्राक्कनल समिति ४६७५

२. लोक लेखा समिति ४६७५-७६

लोक लेखा समिति--

राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . . ४६७७

अनुदानों की मांगें ४६७७--४७०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६७७--८१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४६८१--४७०६

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)

विचार करने का प्रस्ताव ४७०७--१९

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक--

(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . . ४७१९--२१

विचार करने का प्रस्ताव ४७१९--२१

आधे घंटे की चर्चा ४७२१--२६

दैनिक संक्षेपिका ४७२७--३३

अंक ४०--सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२ . . . . . ४७३५--५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४७५६-५७

प्रश्नो के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२ ४७५७--६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . . ४७६५--९२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ४७९२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४७९२

कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य ४७९२-९३

जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४७९३-९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४–४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७–२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०–३४

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक सभा

मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१
१४ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्राकृतिक उपचार

†*१२८५. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० ला० बारूपाल :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्राकृतिक उपचार का प्रयोग बढ़ रहा है ;

(ख) संघ राज्य-क्षेत्रों में प्राकृतिक उपचार केन्द्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार ने उन केन्द्रों को १९६० में कितनी रकम प्रदान की ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). भारत सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई राशि नहीं दी गयी है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने राज्य सरकारों से वास्तविक स्थिति जानने का यत्न किया है । आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात का यह कहना है कि वहां प्राकृतिक उपचार का चलन बढ़ रहा है, मद्रास, केरल, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश का उत्तर नकारात्मक है । आसाम, दिल्ली, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश ने इस संबंध में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया है क्योंकि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार को ज्ञात है कि दमा और मधुमेह के रोगों का यौगिक और प्राकृतिक ढंग से उपचार किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

287 (Ai) LSD—1.

†**श्री करमरकर** : दमे के यौगिक ढंग से उपचार के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने उसके इलाज के लिये विश्वायतन योगाश्रम को अनुदान दिया है ?

†**श्री करमरकर** : वह अनुदान टोंसिल रोग के उपचार के लिये यौगिक रीतियों के प्रयोगों के लिये दिया गया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि ऐसी किसी भी संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया है । क्या प्राकृतिक उपचार के लिये गत वर्ष मारवाड़ी सहायता संस्था को कोई अनुदान दिया गया था ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि वह अनुदान संभवतः आयुर्वेदिक उपचार के लिये दिया गया था ।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या सरकार मधुमेह के यौगिक उपचार के लिये राज्य सरकारों को कोई अनुदान देगी ?

†**श्री करमरकर** : यदि कोई निश्चित योजना भेजी जाये तो हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री पद्म देव : क्या सरकार ने इस पद्धति की उपयोगिता के संबंध में ज्ञान प्राप्ति के लिये कोई अन्वेषणा कमेटी बनाई है जोकि यह मालूम करे कि यह ठीक भी है या नहीं ?

श्री करमरकर : नेचर क्योर के लिये आप कह रहे हैं ?

श्री पद्म देव : जी हां ।

श्री करमरकर : जी, नहीं; कोई कमेटी नहीं बनाई गई है ।

रेलवे की फालतू जमीन

†*१२८६. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की फालतू भूमि पर खेती के लिये लाइसेंस देने के वास्ते आजकल क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ;

(ख) क्या रेलवे को इस भूमि से कोई आय हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) रेलवे के पास इस समय कितनी एकड़ फालतू भूमि है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे की कृषि योग्य फालतू जमीन के संबंध में वर्तमान प्रक्रिया यह है कि वह भूमि राज्य सरकारों के हवाले कर दी जाती है और इस भूमि के बारे में विभिन्न कृषकों को लाइसेंस देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारो की होती है ।

(ख) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विभिन्न रेलों द्वारा अभी तक कुल १६,५९,६४६ रुपये वसूल किये गये हैं।

(घ) इस समय कुल लगभग ४७,८३० एकड़ कृषि योग्य भूमि रेलवे के पास उपलब्ध है।

†**श्री कोडियान** : क्या उस प्रकार की भूमि आवंटित करते समय भूमिहीन और निर्धन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यह भूमि राज्य सरकारों के हवाले कर देते हैं और फिर वे सरकारें ही भूमि का आवंटन करती हैं।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या सरकार इन राज्य सरकारों को यह परामर्श देगी कि वे केवल भूमिहीन मजदूरो को ही भूमि आवंटित करें ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : भूमि के उपयोग से हमारा सीधा संबंध नहीं है। यह तो राज्य सरकारों की नीति पर निर्भर करता है। मेरा अनुमान है कि वे सरकारें छोटे काश्तकारों को ही भूमि देती हैं।

†**श्री कुन्हन** : केरल में कितनी फालतू भूमि उपलब्ध है और क्या सरकार को हरिजन सहकारी संस्था से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उस फालतू भूमि में उन्हें स्थान दिया जाये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री कोडियान** : क्या सरकार इस प्रकार की भूमि उन रेलवे कर्मचारियों को देने का विचार रखती है जो कि काश्त करना चाहते हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम कभी कभी रेलवे कर्मचारियों को भी दे देते है, परन्तु जमीन देते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि काश्तकारी से उनके अपने रेलवे के कार्यों में बाधा न पड़े।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : सरकार की यह एक घोषित नीति है कि सरकार के पास उपलब्ध फालतू भूमि भूमिहीन कृषकों और विशेषतया हरिजनों को ही आवंटित की जाये। तो फिर इस रेलवे फालतू भूमि के संबंध में स्पष्टतया क्यों नहीं कह दिया जाता कि यह भूमि केवल मात्र निर्धन कृषको और हरिजनों को दी जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो केवल एक सुझाव है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : हमने राज्य सरकारों को यह लिख दिया है कि जहां तक संभव हो यह फालतू भूमि अधिकांश छोटे काश्तकारों और भूमि हीन व्यक्तियों को ही आवंटित की जाये।

पास्चर इंस्टीट्यूट, कुनूर

†*१२८८. **श्री नंजप्प** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पास्चर इंस्टीट्यट, कुनूर को जीवित बालघातघात विषाणु टीकों के अनुसंधान के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी ;

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस संस्था ने सरकारी सहायता से अन्य किन अनुसधान कार्यक्रमों को हाथ में लिया है ; और

(घ) अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार की ओर से जीवित बालपक्षाघात विषाणु टीकों के संबंध में अनुसंधान कार्य के लिये पास्चर इंस्टीट्यट को कोई विशेष अनुदान नहीं दिया गया है ।

(ग) भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से उस संस्था में निम्नलिखित अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किये गये हैं :—

(१) 'एंटीरेबीज सीरम' के प्रभाव और अग्रिम पैमाने पर इसके उत्पादन के संबंध में अध्ययन ;

(२) 'एंटीरेबीज' के संबंध में अध्ययन ।

(३) 'इन्फ्लुएंजा' के संबंध में अध्ययन ।

(४) श्वास संबंधी तथा आंतों संबंधी विषाणु के बारे में अध्ययन ।

(५) 'वैसीनिया' और 'चेचक' के संबंध में अध्ययन ।

(६) आतशक के संबंध में अध्ययन ; और

(७) हैजा के संबंध में अध्ययन ।

(घ) भारत सरकार द्वारा की गयी पूछताछ के परिणामस्वरूप संस्था द्वारा किये गये कार्यों का एक प्रगति प्रतिवेदन संस्था के १९६० संबंधी वैज्ञानिक प्रतिवेदन में सम्मिलित है। उसकी एक प्रति ससदाय पुस्तकालय में रख दी गयी है ।

†**श्री नंजप्प** : उस संस्था द्वारा हाल ही में विजयवाड़ा और नागपुर में फूट उठने वाले बाल-पक्षाघाट के रोग की रोकथाम के लिये क्या सेवा की गयी थी ?

†**श्री करमरकर** : मैं समझता हूं कि उस संस्था ने रोग के स्वरूप तथा कारणों की खोज के लिये विशेषज्ञ नियुक्त किये थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आंध्र प्रदेश, कृष्णा और कच्छार के क्षेत्रों में बालपक्षाघाट के संबंध में कई प्रश्न पूछे गये थे ।

†**श्री करमरकर** : अब वह रोग दब गया है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : इस संस्था को २ लाख रुपये पूंजीगत अनुदान के रूप में और १.८३ लाख रुपये आवर्तक अनुदान के रूप में दिये गये थे। उनके अतिरिक्त संस्था ने और भी कई अनुसंधान कार्यक्रम भेजे हैं उनके संबंध में क्या स्थिति है ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक भारत सरकार के अनुदान का संबंध है, ८,७१,४५२ रुपये इमारतों के निर्माण, प्रोगाशालाओं की स्थापना आदि के संबंध में दिये गये हैं। १९५९–६० और १९६०–६१ में अनावर्तक अनुदान दिये गये थे। १९५९–६० में २.५० लाख रुपये दिये गये थे। १९६०–६१ में ५ लाख रुपये दिये गये हैं। जहां तक आवर्तक अनुदान का संबंध है, १९५९–६० में १,३३,००० रुपये और १९६०–६१ में ८३,५४३ रुपये दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामी रेड्डी** : यह रोग आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में फूट उठा था, क्या अब वह दब गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि वह रोग अब दब गया है।

†**श्री रामी रेड्डी** : इस रोग से कितनी मौत हुई हैं और इस रोग की रोकथाम के लिये केन्द्र की ओर से क्या सहायता दी गयी है ?

†**श्री करमरकर** : उस क्षेत्र के लिये वह एक चिन्ताजनक मामला था । एक मास हुआ है वहां से हमें बालपक्षाघात के संबंध में रिपोर्ट मिली हैं। इस वर्ष बालपक्षाघात अधिक घातक रहा है। हमने यहां से एक वरिष्ठ पदाधिकारी भेजा था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की ओर से भी एक पदाधिकारी भेजा गया था। उस रोग की घटना के बाद उचित ध्यान और भोजन आदि देने के अतिरिक्त और तो कुछ भी करना नहीं पड़ता। इसका कोई विशेष इलाज नहीं है। प्रश्न तो भविष्य में उस रोग की रोकथाम करने का है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हमसे यह कहा था कि हम अन्य देशों से विशेष प्रकार के टीके मंगवाये। हमने उन्हें पूरा आवासन दिया है और भविष्य में भी हम उनकी सदा सहायता करेंगे। इस दौरान में वह रोग दब गया है, परन्तु बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा।

†**श्री रामी रेड्डी** : उससे कितने बच्चों की मृत्यु हो गयी थी ?

†**श्री करमरकर** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की जरूरत है।

†**श्री वेंकटसुब्बया** : क्या सरकार सुरक्षा संबंधी कार्यवाही के रूप में आंध्र प्रदेश के विभिन्न सामान्य अस्पतालों को उक्त टीके संभारित करने का विचार रखती है ?

†**श्री करमरकर** : जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। हम उन्हें सभी प्रकार की सहायता देंगे।

†**श्री नंजप्प** : ऐसे कितने राज्य हैं जो 'एंटीरेबीज' टीकों के लिये इस संस्था पर निर्भर करते हैं और वह मांग पूरी की जा रही है ?

†**श्री करमरकर** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की जरूरत है।

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीर

†*१२८६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर १ फरवरी, १९६१ से खतरे की जंजीरों को हटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे यात्रियों को बड़ी कठिनाई होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां। कुछ एक गाड़ियों में। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२]**।

(ख) और (ग). जंजीरों का हटा देना आवश्यक समझा गया है क्योंकि जंजीरों का निरन्तर दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके परिणाम स्वरूप गाड़ी सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है और यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि १ फरवरी, १९६१ से पूर्वोत्तर रेलवे की लगभग ३७ गाड़ियों से जंजीर हटा दी गयी हैं । क्या रेलवे प्रशासन श्री रामाराव की दुखपूर्ण मृत्यु को ध्यान में रखते हुये अपने निर्णय को बदल देने का यत्न करेगा और फिर से इस क्षेत्र में खतरे की जंजीरों का प्रयोग फिर से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अपने निर्णय को बदलने का हमारा कोई विचार नहीं है। इस संबंध में मैं सभा के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । पूर्वोत्तर रेलवे की ३६१ गाड़ियों में से ५३ की खतरे की जंजीरें हटा दी गयी हैं अर्थात् केवल १४ प्रतिशत गाड़ियों की जंजीरें हटायी गयी हैं । १ फरवरी, १९६१ से इस सूची में ४ और गाड़ियां सम्मिलित कर दी गयी हैं । पूर्वोत्तर रेलवे में खतरे की जंजीरों का दुरुपयोग सब से अधिक होता है । यह दुरुपयोग अखिल भारतीय दृष्टि से २९.२ प्रतिशत अधिक है । १९५७ से यह दुरुपयोग १०० प्रतिशत बढ़ गया है । इसलिये हमें मजबूर होकर कुछ एक गाड़ियों से जंजीरें हटा देनी पड़ी हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस संबंध में आधे घंटे की चर्चा के लिये अनुमति दूंगा, और उसमें चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिल सकेगा ।

दार्जिलिंग हिमालयन शाखा रेलवे पर दुर्घटना

\+

†*१२९०. { **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग हिमालयन शाखा रेलवे पर २५ जनवरी, १९६१ को एक दुर्घटना हो गयी थी ;

(ख) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे ; और

(ग) इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) दो ।

(ग) वह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुई थी ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या इस दुर्घटना के कारणों की खोज करने के लिये कोई जांच की गयी है और क्या इस दुर्घटना के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : विभाग के उप प्रमुखों द्वारा एक संयुक्त जांच की गयी थी और लोको फ्यूल इंस्पेक्टर इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी सिद्ध हुआ है । उसे मुअत्तिल कर दिया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या विभागीय जांच के अतिरिक्त रेलवे के वरिष्ठ सरकारी निरीक्षक ने भी उसकी संविहित जांच नहीं की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इसके लिये संविहित जांच की जरूरत नहीं है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि यह दुर्घटना वेकुअम ब्रेक के खराब हो जाने से हुई थी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह एक वेकुअम ट्रायल ट्रेन थी। वह तेज रफ्तार से जा रही थी। सामान्यतया १२ मील प्रति घंटे की अनुमति थी, परन्तु वह अधिक रफ्तार से चल रही थी।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच नहीं है, कि यात्री डिब्बों के पायदानों पर खड़े हो जाते हैं और डिब्बों की छतों व फर्श पर भी बैठ जाते हैं और इसी लिये सामान्यतया दुर्घटनाएं होती हैं। क्या इस गलत तरीके की रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मुख्य प्रश्न यह है कि इस दुर्घटना का कारण क्या था और वह मैंने बता दिया है।

†श्री त०ब० विट्ठल राव : भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुसार ऐसी किसी भी दुर्घटना के सम्बन्ध में जिसमें किसी की मृत्यु हुई हो, विभागीय जांच के अतिरिक्त संविहित जांच भी की जाती है। अब यहां लोको फ्यूल इंसपेक्टर को जिम्मेवार ठहराया गया है, परन्तु उस का अपराध क्या है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : वह उस गाड़ी का इंचार्ज था और उसने गाड़ी को अधिक तेज रफ्तार से चलने दिया था।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सावधानी रखी जाये तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सकती है ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही तो बताया है कि गाड़ी असावधानी के कारण ही अधिक रफ्तार से चल रही थी।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की जायेगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं नहीं समझता कि इसके लिये संविहित जांच की कोई आवश्यकता है ?

कृषि वस्तु मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति

*१२९३. श्री खुशवक्त राय : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय से एक कृषि वस्तु मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यह चर्चा कितने दिनों से चल रही है ;

(ग) सरकार को इस प्रस्ताव के मानने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी पिछले दिनों जब दूसरा सदन बैठा हुआ था, तो माननीय मंत्री जी ने वहां पर एक वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि वह इस परामर्शदात्री समिति के बारे में सरकार से बात कर रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : माननीय सदस्य ने सवाल में जिस कमेटी के बारे में पूछा है, वह कमेटी कोई दूसरी कमेटी मालूम होती है । जहां तक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इवैल्यूएशन कनसल्टेटिव कमेटी का सम्बन्ध है, वह कभी हमारे ध्यान में नहीं थी । मैं जिस कमेटी का जिक्र कर रहा था, वह एग्रीकल्चरल कामोडिटीज़ कनसल्टेटिव कमेटी और एडवाइज़री कमेटी थी । अगर वे दोनों कमेटियां एक ही होंगी, तो मैं मानता हूं कि वह प्रश्न विचाराधीन है और जल्दी से जल्दी उसकी नियुक्ति होनी चाहिए ।

श्री खुशवक्त राय : इस प्रस्ताव के मानने में क्या कठिनाइयां हैं और माननीय मंत्री जी पर क्या दबाव पड़ रहा है ?

श्री स० का० पाटिल : कठिनाई तो बड़ी ज़बर्दस्त है कि जिस देश में वह चीज़ बनी है, वहां इतना भाव सपोर्ट देना पड़ता है कि बराबर यह बात सोचनी चाहिये कि अगर वह चीज़ हम हिन्दुस्तान में जारी करें, तो इसके माने शायद ये होंगे कि करोड़ों रुपये देने होंगे । बराबर विचार कर के वह चीज़ बननी चाहिए । वह चीज़ यकायक नहीं बनती है । उस में समय लगता है । हमारी नज़र में वह चीज़ ऐसी है कि वह बननी चाहिये और एक दिन ऐसा आयेगा, जब फ़ार्मज़ को कुछ न कुछ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ।

श्री ब्रजराज सिंह : जिस कृषि उत्पादन सलाहकार समिति की खाद्य मंत्री ने पहले भी चर्चा की है और जिसके सम्बन्ध में उन्होंने पहले यह माना था कि योजना आयोग यह कठिनाई पैदा कर रहा है कि इस तरह की कृषि उत्पादन सलाहकार समिति बनती है, तो खेती करने वाले लोग अक्सर प्लानिंग कमीशन पर जोर देते रहेंगे कि उनकी कीमतों को बढ़ाया जाये, और क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुकी है, इसलिये अन्त में.....

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य व्याख्यान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं ?

श्री ब्रजराज सिंह : मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है ?

श्री ब्रजराज सिंह : प्रश्न यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसानों को उनके कृषि उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिये इस कमेटी को तुरन्त बनाने की तरफ सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री स० का० पाटिल : तुरन्त नहीं बनेगी, शायाद थोड़ा समय लगेगा । उसकी कुछ एक पंक्तियां होती हैं । अभी जो जोनल रेस्ट्रिक्शन्स हैं और दूसरी जो रेस्ट्रिक्शन्ज़ हैं वे चन्द रोज़ में चली जायेंगी, हट जायेंगी । उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या नतीजे निकलते हैं, क्या परिणाम होते हैं और हमारी खेत या हमारे कृषि पर इसका क्या असर पड़ता है । मैं मानता हूं कि उसके बाद कुछ भार जरूर पड़ेगा और तब हमें इस प्रकार का एक सपोर्ट देना चाहिये और उसके लिये इस तरह की कमेटी की नियुक्ति होनी चाहिये । लेकिन वह सब चीज़ विचाराधीन है ।

श्री खुशवक्त राय : जहां तक मुझे स्मरण है नवम्बर १९५९ में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वह ऐसी समिति बनायेंगे और उस वक्त से यह चीज़ विचाराधीन है। क्या इतना समय काफी नहीं है और अगर काफी नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि और कितना समय लगेगा ?

श्री स० का० पाटिल : इसके लिये समय ज्यादा ही चाहिये। यह विचार ऐसा नहीं है कि केवल मगज़ में कोई चीज आ गई और उसको हमने कर दिया। उसके नतीजे देखने हैं, आज के नहीं पांच दस बरस बाद के भी। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है—यह कृषि—कि शायद उसमें करोड़ दो करोड़ रुपये चले जायेंगे। शायद वह जिम्मेदारी लेनी होगी लेकिन सोच समझ कर लेनी होगी। जब ऐसी बात है तो उसमें समय तो लगता ही है। अभी अवस्था खराब नहीं हुई है। अभी तो हमें नतीजों को देखना है जो कि जोंज के टूटने के बाद सामने पैदा होंगे और उन को बराबर देख कर और बराबर उन पर विचार करके, वह चीज़ बनानी होगी।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि योजना आयोग इस प्रकार की समिति बनाने के पक्ष में नहीं है और यदि सच है तो योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या कारण बताये हैं ?

श्री स० का० पाटिल : योजना आयोग वह चीज़ बनाने के खिलाफ नहीं है।

†**श्री हेडा :** क्या मूल्य-स्थिरता सभी पण्यों के लिये आवश्यक होगी या कि केवल कुछ एक वस्तुओं के लिये मूल्य सम्बन्धी स्थिरता प्रदान की जायेगी।

†**श्री स० का० पाटिल :** वास्तव में यही बात तो मैं भी बताने वाला था। क्योंकि हमें लगभग सभी कृषि-पण्यों के मूल्यों की ओर ध्यान देना हैं, इसीलिये तो इतना समय लग गया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया है कि शीघ्र ही खाद्य सम्बन्धी जोन समाप्त कर दिये जायेंगे। क्या उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के बीच के जोन को भी समाप्त कर दिया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं कल इस सम्बन्ध में एक बयान दूंगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** वे कह रहे हैं कि वे कल बयान देंगे तो वे इसी समय ही सभा को यह बात क्यों नहीं बताना चाहते ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे कल बतायेंगे।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह अन्य औद्योगिक उत्पादन के लिये कास्ट स्ट्रक्चर जानने के लिये सरकार की तरफ से समिति बनी हुई है उसी तरह से खेती के अन्नों की कास्ट स्ट्रक्चर जानने के लिये सरकार क्या कोई इस प्रकार की समिति बनायेगी ?

श्री स० का० पाटिल : वही कमेटी जिसका जिक्र किया जा रहा है, कास्ट स्ट्रक्चर की बात भी करेगी। जैसे दो चार कमेटियां हैं, उनके बजाय मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की एक ही कमेटी हो जो सब चीज़ों पर विचार करे जिसमें कास्ट स्ट्रक्चर भी आता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर्यटन सम्बन्धी प्रचार

+

†*१२९४. { श्री अ० मु० तारिक :
श्री अरविन्द घोषाल:

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटकों द्वारा भारत के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये १९५९–६० और १९६०–६१ में प्रत्येक वर्ष विदेशों में प्रचार करने पर कितना धन व्यय किया गया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : १९५९–६० और १९६०–६१ में विदेशों में प्रचार करने पर निम्नलिखित राशियां खर्च की गयी हैं :—

१९५९–६०	. २३.९२ लाख रुपये
१९६०–६१	. २६.५० लाख रुपये

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि बाहर के मुल्कों को इन एडवरटिजमेंट्स को देने के बारे में हुकूमत की पालिसी क्या है ? क्या ये एडवरटिजमेंट वजारत की तरफ से डायरेक्ट दिये जाते हैं या मिनिस्ट्री आफ इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग के जरिये दिये जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : इसकी जिम्मेदारी टूरिस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के आठ दफ्तर हैं बाहर जो एक प्रोग्राम बनाते हैं बेहतर से बेहतर किस्म का जिसमें अखबारात में, मैगेजींज में और जनरल्ज में इनको देने की बात होती है। वह प्रोग्राम फिर टूरिस्ट डिपार्टमेंट में आता है और उस पर फैसला किया जाता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विश्व के किस देश से हमें इस सम्बन्ध में सबसे अधिक आय होती है और वहां से कितने पर्यटक आये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** इसके लिये बहुत लम्बे उत्तर की आवश्यकता है। एक लम्बा चौड़ा विवरण देना पड़ेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** हाल ही में न्यूयार्क पर्यटन कार्यालय ने भारत सम्बन्धी कुछ विज्ञापन प्रकाशित किये थे जिन्हें वहां की कुछ पत्रिकाओं और समाचार पत्रों द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया था। उसका क्या कारण था ?

†**श्री राज बहादुर :** मुझे इस बारे में तो ज्ञात नहीं है, परन्तु सामान्यतया सभी पत्र-पत्रिकाओं के लिये विज्ञापन छापना आवश्यक नहीं है। वे अपनी इच्छा से उन्हें चुन लेते हैं और छाप देते हैं। वे इसके लिये बाध्य नहीं किये जा सकते। माननीय सदस्य ने सम्भवत: देखा होगा कि 'लाइफ' पत्रिका में हमारे देश के सम्बन्ध में कई बहुत अच्छे विज्ञापन आये हैं। वे चार या पांच पृष्ठों में हैं। उन पर कई लाख रुपयों का खर्च आयेगा।

श्री अ० मु० तारिक : क्या यह दुरुस्त है कि वाशिंगटन के एक मशहूर जरनल "न्यूयार्क" ने आपका दिया हुआ एक इश्तहार जो खजुराहो के बारे में था, यह कह कर आपको वापिस लौटा दिया कि इससे हमारे रहने वालों के कारेक्टर पर बुरा असर पड़ेगा ? अगर यह दुरुस्त है तो उस अफसर के खिलाफ क्या एकशन लिया गया जिस ने इसको एडवरटिजमेंट दिया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : खबरों में जो बात है, उनमें से एक मूर्ति के बारे में थी, ऐसा सुनने में आया है, नोटिस में आया है। बाकायदा कोई राईटिंग में चीज मेरे सामने इस किस्म की नहीं आई है। मेरी भी इसके बारे में जानकारी वैसी है जैसी आपकी है। लेकिन मैंने उसको देखा है और उसके बारे में कोई ऐसी बात कही जाए कि वह भद्दी थी ऐसी बात नहीं थी। खजुराहों में जो मंदिर है, मूर्तियां हैं सजावट की उनमें से एक मूर्ति थी जिस में किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। लेकिन अपनी अपनी राय होती है।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या पर्यटन महानिदेशक नामक कोई पदाधिकारी है और क्या वह मंत्रालय के अधीन है या कि अपनी इच्छा से कार्य करते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** ऐसा कहना उनके साथ अन्याय करना है। मुझे तो ऐसा कोई भी अवसर ज्ञात नहीं है। जब कि उन्होंने मंत्रालय द्वारा दी गयी हिदायतों के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करें तो मैं जांच करूंगा।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये भारत में पत्रिकाओं आदि के अतिरिक्त फिल्मों का भी प्रयोग किया जाता है ? यदि हां, तो कितनी फिल्में दिखायी गयी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** केवल विदेशों के लिये हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या फिल्में विदेशों को भी भेजी जाती हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** जी, हां।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** कितनी ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरे पास इस समय उन फिल्मों पर किये गये खर्च के सम्बन्ध में आंकड़े हैं। १९५९-६० में ३ लाख रुपये और १९६०-६१ में २.५० लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या केवल प्रलेखीय चलचित्र ही भेजे गये हैं या कि कोई रूपक चलचित्र भी भेजे गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** वे चलचित्र भेजे जाते हैं जिनमें देश की इमारतें पर्यटन रुचि के स्थान तथा अन्य वस्तुएं दिखायी गयी हों।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि देश में विदेशी पर्यटकों के लिये होटल में रहने के स्थान की बड़ी कमी है और यही कारण है कि देश में पर्यटन इतना अधिक विकसित नहीं हुआ है ?

†**श्री राज बहादुर :** वास्तव में, यह सच है कि हमारे देश में विकसित होते हुए पर्यटन उद्योग की मांग की दृष्टि से होटलों में स्थान की कमी है परन्तु यह भी सच है कि लगभग प्रत्येक देश में ऐसी ही स्थिति है। पर्यटकों की संख्या निरन्तर बढ़ती जाती है और होटलों में स्थान मांग के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। हमारे देश में भी गत १० वर्षों में पर्यटकों की संख्या ५०० प्रतिशत की दर से बढ़ गयी है जब कि होटलों में स्थान केवल ३० प्रतिशत बढ़ा है।

---

†मूल अंग्रेजी मे

श्री प्र० मु० तारिक : अभी वजीर साहब ने फरमाया है कि टूरिज्म के बारे में हमने कुछ फिल्में बनवाई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो फिल्में हैं, क्या वे आई० एंड बी० मिनिस्ट्री के जरिये बनवा गई हैं या खुद वजारते ट्रांस्पोर्ट ने बनवाई ? अगर वजारते ट्रांस्पोर्ट ने खुद बनवाई हों तो उन्होंने किस जरिये से बनवाई और कितनी रकम खर्च की ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मैं जानता हूं ये फिल्में इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जरिये बनवाई गई। यह बात दूसरी है कि बाहर से जो आते हैं जरनलिस्ट या फोटोग्राफर्ज और उसकी फिल्में बनाते हैं, तो वे हमारे मेहमान होते हैं और मेहमानदारी पर जो खर्च होता है, वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता।

नागाओं द्वारा रेलगाड़ी पर गोली चलाया जाना

†*१२९५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पांडु तिनुसुकिया प्रदेश के रंगरपाड़ा क्रासिंग और रंगपहाड़ साइडिंग के बीच १३ मार्च, १९६१ के प्रातःकाल नागा विद्रोहियों द्वारा एक सैनिक गश्ती गाड़ी पर गोली चलायी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना में कुछ व्यक्ति हताहत हुए थे ;

(ग) यदि हां, तो कितने ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां। यह घटना रंगपहाड़ और रंगपहाड़ क्रासिंग स्टेशनों के बीच १४-३-१९६१ को ०१.१५ बजे हुई।

(ख) और (ग). किसी और किसी व्यक्ति के हताहत होने का समाचार नहीं मिला है।

(घ) निम्नलिखित निरोधात्मक उपाय किये गये हैं:

(१) भेद्य स्थानों पर मिलिटरी की गश्त बढ़ा दी गयी है।

(२) भेद्य स्थानों की सुरक्षा के लिये सैनिक चौकियां स्थापित कर दी गयी हैं।

(३) गाड़ियों में सशस्त्र सेना और रेलवे सुरक्षा बल के रक्षक साथ चलते हैं।

(४) चालक और रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये गाड़ियों में इस्पात चढ़ी खिड़कियों और रेत के बोरों की व्यवस्था की गयी है।

(५) रेलवे लाईन के दोनों ओर के जंगल साफ़ किये जा रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि जिस रेलवे लाइन पर **नागा** विद्रोहियों ने आक्रमण किया, **उस** लाइन पर १३ मार्च को सैनिक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आ जा रहे थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** ऐसा लगता है कि लाउडस्पीकर में कुछ खराबी है क्योंकि मैं माननीय सदस्य का प्रश्न सुन नहीं सका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जरा धीरे और जोर से बोलें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** उपमंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया वह यहां सुनाई नहीं दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं बीच में बैठा हूं । मैं भी उनकी बात नहीं सुन सका । तो फिर इस ओर के सदस्य कैसे उनकी बात सुन सकते हैं ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मैं मंत्री महोदय के बारे में कह रहा हूं । उनकी बात यहां सुनाई नहीं दी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे दुबारा प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** मेरा प्रश्न यह था । क्या मैं जान सकता हूं कि १३ मार्च को जब यह घटना हुई तो क्या उस समय इस रेलवे लाइन पर जिस पर नागा विद्रोहियों ने आक्रमण किया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर सैनिक लोग आ जा रहे थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह प्रश्न नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में हैं । सैनिक व्यक्तियों के साथ एक खोजबीन टुकड़ी वहां जांच के लिये जा रही थी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने पहले रेलवे लाइन पर रेलवे स्लीपर रख कर ट्रेन को गाड़ी को कई घंटों तक रोके रखा और फिर गोली चलायी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** विस्फोट के कारण उड़े दो स्लीपर अगले दिन प्रातः मिले ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विशेष क्षेत्र में घने जंगल नहीं है और नागा विद्रोहियों द्वारा रेलवे लाइन पर ऐसे आक्रमण को रोकने के लिये की गयी कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, ऐसा क्यों है कि नागा विद्रोहियों की गतिविधियों और रेलगाड़ियों पर उनके आक्रमणों में वृद्धि हुई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** रेलवे मंत्री यह कैसे बता सकते हैं कि उनको क्या चीज उत्तेजित करती है ? वह केवल यह बता सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा यह विचार है । उपमंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने कई उपाय किये हैं । परन्तु फिर भी विद्रोहियों की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है, क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि ये उपाय कहां तक सफल हुए हैं अथवा उन्हों ने जो उपाय किये हैं उनमें कुछ दोष हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न वैदेशिक-कार्य मंत्रालय अथवा गृह-कार्य मंत्रालय से पूछना चाहिये ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वास्तव में यह कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय का है ।

†**श्री हेम बरुआ :** कठिनाई तो यही है । अब यह जिम्मेवारी प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंपी जा रही है । प्रतिरक्षा मंत्रालय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है । उनका कहना है कि वहां सेना रखी गयी है परन्तु हम देखते हैं कि वहां ऐसी घटनायें हो रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह कैसे हो सकता है कि नागा विद्रोही स्लीपर ले गये और रेलवे लाइन पर उन्हें रख कर उन्होंने गोली चलाने से पूर्व कई घंटों तक गाड़ी को रोके रखा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इतने समय में उन्होंने स्लीपर उखाड़ लिये होंगे ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यदि वे कपट से आकर स्लीपर रख दें तो इसमें क्या किया जा सकता है । दोनों ओर घने जंगल हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की बात ऐसी लगती है कि इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

†**श्री आचार** : क्या उस क्षेत्र में १३ मार्च के बाद या उससे पूर्व ऐसी कोई घटनायें हुईं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इससे पूर्व ऐसी पांच घटनायें हुई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके बाद ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, नहीं । उससे पूर्व ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : चलती गाड़ियों पर लगातार आक्रमणों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार इस लाइन पर हेलीकोप्टर से गश्त लगाने की संभावना पर विचार करेगी क्योंकि बाकी सभी उपाय असफल सिद्ध हुए हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इस समूचे प्रश्न पर हाल ही की एक बैठक में विचार किया गया था जिसमें आसाम के मुख्य मंत्री, उस क्षेत्र में भेजे गये सैनिक पदाधिकारियों, रेलवे पदाधिकारियों और सैनिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । उन्होंने इस समस्या पर विचार किया और विभिन्न कार्यवाही करने के बारे में निर्णय किये गये ताकि नागा विद्रोहियों की गतिविधियों अथवा रेलवे लाइनों पर उनके आक्रमणों को न्यूनतम किया जा सके ।

†**श्री हेम बरुआ** : मुख्य मंत्री के साथ हुई इस बैठक के बाद नागा विद्रोहियों द्वारा चलती गाड़ियों पर आक्रमण की कितनी घटनायें हुयी हैं ? इस प्रकार तो आसाम के सभी सदस्य मारे जायेंगे ।

†**श्री जगजीवन राम** : यह बैठक हाल ही में हुई थी । कुछ ही दिन पहले मुझे एक पत्र मिला है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस बारे में क्या सोचते हैं । लाइन पर सेना गश्त लगा रही है । हम उसे कड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम इसको मजबूत बनाने के लिये भी कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं । परन्तु जो स्थिति है, उस को देखते हुए मैं यह नहीं कह सकता कि इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जावेगा ।

रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†*१२९६. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री १७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रमाप पदनामों और कार्य की सूचियां इस बीच जारी कर दी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इनके कब जारी होने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) इसमें लगभग छ: महीने लग सकते हैं।

†श्री त० ब०विट्ठल राव : जब कि यह प्रश्न दो वर्ष पहले वर्ष १९५९ में उठाया गया था तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : कोई असामान्य विलम्ब नहीं हुआ। हमने प्रस्थापना तैयार की और रेलवे को उनके विचारार्थ भेज दी। इस दौरान द्वितीय वेतन आयोग ने कुछ सिफारिशें कीं हम उनको भी लागू करना चाहते थे। अब सब बातों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसमें लगभग छ: महीने लग सकते हैं।

†श्री त० ब० वि ठल राव : रेलवे बोर्ड किन कारणों से तत्काल कार्यवाही नहीं करता? उन्हें छ: और महीनों की क्या जरूरत है?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इसका यह कारण है कि हम चतुर्थ श्रेणी के ६ लाख से भी अधिक कर्मचारियों के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। उनकी सैकड़ों श्रेणियां हैं। हमें उनका वर्गीकरण करना पड़ता है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : रेलवे बोर्ड के अनुसार उनको कितने वर्गों में रखा जायेगा?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हम इसी समस्या के बारे में कार्य कर रहे हैं।

†श्री राजेन्द्र सिंह : जिनकी जांच की जायेगी उनकी लगभग क्या संख्या है?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हम यह श्रेणियां बना रहे हैं। अब हम इस पर विचार कर रहे हैं। एक समिति इसको अन्तिम रूप दे रही है

†श्री तंगामणि : तापसे समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया और जब रेलवे बोर्ड ये श्रेणि यां बना लेगा तो क्या यह उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को तापसे समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह अभी नहीं कहा जा सकता कि यह कब से लागू होंगे। यह रिपोर्ट वर्ष १९५८ में दी गयी। प्रत्येक सिफारिश की जांच की जानी थी। उन्हें कई रेलवे प्रशासनों को भेजा गया और उनके विचार मांगे गये। फिर उसकी और जांच की जानी थी। इस सब काम में समय लगता है।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व उन पदों की, जो तृतीय श्रेणी में खाली होते हैं, बाहर से भर्ती करके भरा जा रहा है और चतुर्थ श्रेणी के वर्तमान कर्मचारियों को इसलिये नुकसान हो रहा है कि इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य की बात ठीक है। विभिन्न रेलवे में विभिन्न श्रेणियां हैं। जो कुछ कार्य किया जा रहा है वह उनको एक स्तर पर लाने का है। कुछ श्रेणियां एक रेलवे में एक पदनाम से पुकारी जाती हैं और वैसी ही श्रेणियां उसी पदनाम से दूसरी रेलवे में भी हैं परन्तु उनका काम कुछ भिन्न प्रकार का है। अत: जहां तक चतुर्थ

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति का सम्बन्ध है, वह सामान्य तौर पर की जाती है और उस पर किसी प्रकार से भी कोई असर नहीं पड़ा है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मंत्री महोदय ने बताया कि एक समिति बैठी हुई है। उस समिति के सदस्य कौन हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मैकेनिकल इंजीनियरिंग के निदेशक, परिवहन के निदेशक और प्रशासन के संयुक्त निदेशक ।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या यह सच है कि इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से बहुत से अस्थायी है; यदि हां, तो उनको स्थायी बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह प्रश्न इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

माल डिब्बों की कमी

†*१२९८. श्री अरविन्द घोषाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों की कमी के कारण पश्चिम बंगाल के आटा पीसने के कारखानों को उत्पादन कार्य में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री अरविन्द घोषाल : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल आटा मिल संघ के अध्यक्ष, श्री होविट, ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया है कि उन्हें माल डिब्बों की कमी के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : सभी आटा मिलें कलकत्ता और हावड़ा में हैं। हमने यह मामला खाद्य मंत्रालय को भेजा और उनसे जो उत्तर मिला वह निम्न प्रकार है :

"पश्चिम बंगाल में सभी आटा मिलें कलकत्ता और हावड़ा में हैं। ये मिलें अपना संभरण कलकत्ता में केन्द्रीय खाद्य भंडार अथवा कलकत्ता पत्तन से लेती हैं। अतः इसमें कोई रेलवे परिवहन अन्तर्ग्रस्त नहीं है । माल-डिब्बों की कमी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।"

†श्री अरविन्द घोषाल : आटा मिलों को कितने माल-डिब्बों की आवश्यकता है और उनको कितने माल-डिब्बे दिये गये हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे ठीक संख्या का पता नहीं है। बकाया कुछ भी नहीं है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को यह बात बतायी गयी है कि माल-डिब्बों आवंटन में पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में रिश्वत चल रही है और जब तक रिश्वत नहीं दी जाती, उन्हें माल-डिब्बे नहीं मिलते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : नष्ट होने वाले सामान के बारे में ऐसा होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक आटा मिलों का सम्बन्ध है, माल-डिब्बों की कोई कमी नहीं है। अगला प्रश्न।

विमान निगमों का विलय

†*१२९९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार दोनों विमान निगमों, इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इन्टरनेशनल, का विलय करके एक ही निगम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विलय का स्वरूप क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ** : लागत भाड़ा और इस बात को देखते हुए कि कुछ रास्तों पर संचालन एक जैसा ही है क्या दोनों विमान कंपनियों के विलय के बारे में पहले एक सुझाव विशेषज्ञों और दोनों कम्पनियों के अधिकारियों के सामने रखा गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य किन विशेषज्ञों का उल्लेख कर रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, इन दो निगमों को मिलाकर एक कर देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक अर्ध-अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है क्योंकि उसके विमान श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान और अन्य देशों को जाते हैं, यदि दोनों निगम एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत लाये जायें तो क्या भुगतान-अन्तर की तरह अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का प्रश्न टालना संभव नहीं हो सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : जब प्राक्कलन समिति ने एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन की जांच पड़ताल की तब उसने यह सिफारिश की कि दोनों संगठन मिलाकर एक कर दिये जायें और उस समय जब मैंने सभा में प्रश्न पूछा तो तत्कालीन सम्बन्धित माननीय मंत्री ने जिन्होंने अब कोई दूसरा विभाग संभाल लिया है, यह आश्वासन दिया था कि इस विषय में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा। तब से अब काफी समय बीत चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या प्राक्कलन समिति ने कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस विषय पर विचार किया जायेगा ? वह अब किस दशा में है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी कि इस प्रश्न की समय समय पर समीक्षा की जाये और हमने इस प्रश्न पर प्राक्कलन समिति द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर दिये हैं और मुझे विश्वास है कि वे उत्तरों से संतुष्ट हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय विद्युत् नियम, १९५६

†*१३०१. **श्री तंगामणि** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के जो कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय रूप से कराये जाते हैं और राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त बिजली के ठेकेदार की मार्फत पूरे किये जाते हैं, उन्हें भारतीय विद्युत नियम, १९५६ के नियम ४५(१) के अन्तर्गत राज्य सरकार के योग्यता प्रमाणपत्र धारी व्यक्ति द्वारा अधीक्षण से छूट दे दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अधिसूचना जारी की गयी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के जो कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं कराये तथा पूरे किये जाते हैं, क्या उन्हें भी राज्य सरकार के योग्यता प्रमाणपत्रधारी व्यक्ति द्वारा अधीक्षण से छूट दे दी जाती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई पृथक अधिसूचना जारी की गयी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ग). केन्द्रीय सरकार के जो काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाते हैं और जिनकी देख भाल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और/अथवा संस्थाओं से विद्युत् इंजीनियरी के प्रमाणपत्र धारी उसके कर्मचारी करते हैं उन पर नियम ४५(१) लागू करने के विषय में जिसके अन्तर्गत योग्यता प्रमाणपत्रधारी व्यक्ति द्वारा देखभाल जरूरी होती है, अधिकतर राज्यों ने छूट दे दी है। बिजली के ठेकेदारों द्वारा किये गये केन्द्रीय सरकार के कार्यों के मामले में कोई छूट नहीं दी गयी है।

(ख) और (घ). जी हां। राज्य सरकारों ने अधिसूचनाएं जारी की हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों के भिन्न-भिन्न नाम हैं ? क्या सरकार इन प्रमाणपत्रों का एक ही नाम रखने की आवश्यकता पर विचार करेगी ? कुछ स्थानों पर वे सरकारी प्रमाणपत्र के नाम से जाने जाते हैं, तो कुछ दूसरी जगहों पर उनका नाम दूसरा है।

†**श्री हाथी** : राज्य सरकारें चाहे जो नाम दें, लेकिन योग्यताएं और पाठ्यक्रम एक से ही हैं।

†**श्री तंगामणि** : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक कर्मचारियों को लाइसेंस जारी नहीं किये जाते। क्या सरकार नियम ४५(१) के अधीन परीक्षा लिये बगैर कुछ लाइसेंस जारी करने के सवाल पर विचार करेगी ? मैं यह सवाल इसलिये पूछता हूं कि निरीक्षक कर्मचारियों को यह विशिष्ट लाइसेंस नहीं मिलता और यह सवाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वेतन तथा अन्य बातों के निर्धारण के विषय में पैदा होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह से लाइसेंस उन्हें जारी किये जायेंगे, यद्यपि नियम ४५(१) के अधीन लाइसेंस प्राप्त करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है।

†**श्री हाथी** : स्थिति बिलकुल भिन्न है। नियम ४५ के अधीन, यदि कोई काम किसी लाइसेंसशुदा ठेकेदार द्वारा किया जाना हो, तो वह केवल ऐसे ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसे लाइसेंस दिया हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा उसका निरीक्षण होना चाहिये जिस ने कोई परीक्षा पास की हो और कोई उपाधि प्राप्त की हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक कर्मचारियों को ऐसी कोई परीक्षा देने के लिये कहा जाएगा जैसी कि ठेकेदार देते हैं ?

†श्री हाथी : योग्यता प्राप्त व्यक्ति द्वारा ही निरीक्षण कराना होता है । वे लोग योग्यता-प्राप्त व्यक्ति हैं ।

ब्रह्मपुत्र पुल पर की तेल पाइपलाइन

+

†*१३०२. श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अमजद अली :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय को ब्रह्मपुत्र रेलवे पुल पर से पाइपलाइन ले जाने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रमास्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) निर्णय में परिवर्तन के मुख्य कारण ये हैं :—

(१) अनुमान है कि पाइपलाइन ले जाने के लिए एक अलग सस्पेन्शन ब्रिज की लागत करीब १ करोड़ रुपया होगी और फिर भी वह रेलवे पुल जैसा स्थायी नहीं होगा । फिर भी वह जोरदार वायु-गतिशील आन्दोलनों के अधीन होगा जिससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है ।

(२) तेल की पाइपलाइन को बाहरी स्टील पाइप से ढक देने जैसे अब प्रस्तावित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय पाइपलाइन के सभी मोड़ों की रेडियोग्राफिक परीक्षा और दिन रात लगातार पाइप पर निगरानी से अब रेलवे पुल को खतरा काफी कम हो जायगा ।

†श्री प्र० गं० देव : काम कब शुरू किया जायेगा ? पाइपलाइन की अनुमित लागत क्या होगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : वह तो खान और तेल मंत्रालय से पूछना होगा ?

†श्री प्र० चं० बरुआ : पाइपलाइन को रेलवे पुल पर से ले जाने में इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की कितनी बचत होगी ?

†अध्यक्ष महोदय : रेलवे मंत्रालय ने यह पुल कुछ शर्तों, परिसीमनों और संरक्षणों के अधीन दूसरे मंत्रालय को सौंप दिया है ।

†श्री अमजद अली : गौहाटी तेल शोधक कारखाना संभवत: कब चालू हो जायगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह सवाल गलत मंत्रालय से पूछा गया है ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि असम सीमा क्षेत्र का मुख्य केन्द्र है, यह पाइपलाइन पुल पर से ले जाने में क्या अकलमन्दी है ताकि वह आक्रमण के लिए खुली रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं नहीं जानता कि असम मुख्य केन्द्र है । लेकिन विभिन्न मंत्रालयों ने इस सवाल पर काफी लम्बी चर्चा की थी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : माननीय उपमंत्री अभी अभी बता रहे थे कि यदि एक अलग पाइपलाइन बनायी जाय तो उसमें एक करोड़ रुपये की लागत लगेगी । मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे पुल पर पाइपलाइन डालने से क्या बचत होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरे पास अनुमान नहीं है लेकिन संभवत: १ करोड़ रुपये की बचत होगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : रेलवे पुल पर पाइपलाइन डालने के लिए रेलवे विभाग कितना खर्च करेगा ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसका उत्तर अभी समय से पहले होगा क्योंकि अभी हाल ही में यह सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है और सम्बन्धित मंत्रालय उसे कार्यान्वित कर रहा है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें यह हिसाब लगाना पड़ेगा कि रेलवे पुल पर पाइपलाइन डालने के लिए हम उनसे कितनी कीमत लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि कुछ अंशदान मिलने के बाद पाइपलाइन उनके द्वारा या रेलवे द्वारा डाली जायगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह ब्यौरा अभी तक मालूम नहीं किया गया है । वह इस मंत्रालय द्वारा या और किसी मंत्रालय द्वारा किया जायेगा लेकिन उस पर संयुक्त निरीक्षण होगा ।

गाड़ी में डाका

†***१३०३. श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ मार्च, १९६१ को भाभर रेलवे स्टेशन के निकट २० डाकुओं ने पानलपुर कांडला गाड़ी को तलवार से मारने की धमकी देकर लूट लिया ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की सम्पत्ति लूटी गयी ; और

(ग) अपराधियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : ये डकैतियां गाड़ियों में क्यों हो रही हैं, इसका क्या कारण है? क्या यह खराब पुलिस व्यवस्था के कारण है क्योंकि चोटी के अफसर सेवानिवृत्त पुलिस अफसर हैं जिन्हें वार्धक्यता प्राप्ति के पश्चात् ये पद दिये गये हैं और हमने रेलवे के लिए कोई प्रभावशाली पुलिस बल को प्रशिक्षित नहीं किया है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : संभवत: माननीय सदस्य कुछ और सोचने में व्यस्त थे और उन्होंने मा० उपमंत्री द्वारा दिया गया उत्तर नहीं सुना ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उत्तर यह है कि कोई डकैती की घटना नहीं हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि और कोई डकैती हुई है तो वह साधारणतया उसका उल्लेख कर रहे हैं ।

†**श्री जगजीवन राम** : डकैती का प्रश्न कहां है । मा० उपमंत्री ने "ना" कहा है और मा० सदस्य उसका साधारणीकरण कर रहे हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : यह मेरे प्रश्न को टालना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि डकैती की कोई घटना नहीं हुई है । मा० मंत्री ने यह धारणा बनाई है कि कुछ डकैतियां हो सकती हैं और यह पूछते हैं कि उनको कैसे रोका जाएगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : ऐसी घटना के बारे में पहले एक प्रश्न था । मैंने उस समय यह नहीं पूछा क्योंकि आपने मुझे नहीं बुलाया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य भूल गये ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या यह सच है कि इस प्रकार की डकैती भाभर के पास हुई थी ? वह एक गुजराती समाचारपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

†**एक माननीय सदस्य** : समाचारपत्रों पर विश्वास न कीजिये ।

†**श्री जगजीवन राम** : गुजरात के समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली सब बातों का सच होना अनिवार्य नहीं है ।

विदेशी पर्यटकों को रेलवे रियायत

†*१३०५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष १९६१ के दौरान विदेशी पर्यटकों को रेल के किराये में अतिरिक्त रियायतें प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार के पर्यटक विभाग के एक प्राधिकृत अफसर का एक प्रमाणपत्र दिखाने पर विदेशी पर्यटकों को (१) वायु-अनुकूलित किरायों में २० प्रतिशत की रियायत दी जाती है और (२) वायु-अनुकूलित स्थान की श्रेणी में ३० दिन के लिए उपलब्ध तथा जहां वायु-अनुकूलित स्थान उपलब्ध नहीं होता वहां प्रथम श्रेणी में, ४९५ रुपये की राशि देकर, भारतीय रेलवे में "जैसे चाहो यात्रा करो" का टिकट दिया जाता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : कुछ वर्ष पहले, "जैसे चाहो यात्रा करो" टिकट भारतीय पर्यटकों को भी दिये जाते थे । वे क्यों बन्द कर दिये गये हैं और क्या रेलवे पुनः वही व्यवस्था चालू करने का विचार करेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अब "जैसे चाहो यात्रा करो" संभव नहीं है क्योंकि अब जितना हम यातायात उठा सकते हैं उससे कहीं अधिक यातायात है । यह सुविधा विदेशी लोगों को यहां आने के लिये सुविधा पहुंचाने तथा कुछ अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये रखी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : क्या इस रियायत का इकेफ के "प्राच्य का दर्शन करो, १९६१" कार्यक्रम के आधार पर विस्तार किया गया है या इसका अगले वर्ष भी विस्तार किया जाएगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह विस्तार स्थायी है अथवा केवल 'प्राच्य दर्शन' वर्ष के अवसर ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह स्थायी नहीं होगा ।

†**श्री तगामणि** : क्या इस रियायत का १९६० के दौरान विदेशी पर्यटकों तक विस्तार किया गया था अथवा क्या इस का १९६१ में ही विस्तार किया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह . . . . . के परामर्श से किया गया है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कब से विद्यमान है, क्या यह १९६० में जारी किया गया था या १९६१ में ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह इस वर्ष से लागू हुआ है ।

रेल के लंगर

+

†*१३०६. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर द्वारा दक्षिण रेलवे के लिए ९० पौंड के जो रेल लंगर बनाये गये हैं, रेलवे और अलीपुर परीक्षण केन्द्र, कलकत्ता के निदेशक द्वारा परीक्षण किये जाने के बाद वे ठीक नहीं निकले;

(ख) क्या यह भी सच है कि कानपुर के निरीक्षण उप-निदेशक ने इन लंगरों को पहले पास कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या निरीक्षण के समय उपरोक्त त्रुटियों की ओर संकेत किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है; और

(ङ) सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) तथा (ङ). मामला संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक के विचाराधीन है जो संभरण का प्रभारी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या किसी फर्म द्वारा बनाई गई चीजें, चाहे वे लंगर हैं या और कुछ, उनका वास्तव में रेलवे और संभरण मंत्रालय के निरीक्षण कक्ष द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण नहीं किया जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रक्रिया यह है कि हम संभरण एवं उत्सर्जन महानिदेशक को इंडेंट भेजते हैं और वह टेंडर बुला कर आर्डर देता है। वे हमें माल भेजते हैं और निरीक्षण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या निरीक्षण उपनिदेशक, कानपुर ने यह निरीक्षण के समय इन त्रुटियों का पता नहीं दिया और ये त्रुटियां केवल अलीपुर टैस्ट हाउस में पकड़ी गईं। यदि ऐसी बात है तो उस उपनिदेशक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिस ने इन चीजों को ठीक बताया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उस ने इस को प्रमाणित किया और हम ने इसे रेलवे में रख दिया। हमने इन में त्रुटियां देखीं। दक्षिण रेलवे ने शिकायत की। नमूने अलीपुर टैस्ट हाउस में भेजे गये। दूसरे दफ्तर के कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है यह हमारा काम नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने बताया है कि संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक सब चीजें खरीदता है और रेलवे मंत्रालय उन्हें ले लेता है। उन के पास भी निरीक्षण कक्ष है। क्योंकि वह कक्ष असफल रहा है, क्या इसका उल्लेख निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय को किया गया है क्या संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय द्वारा अपनाये जाने वाले निरीक्षण के तरीके को सुधारने के लिये किसी कार्रवाई का सुझाव दिया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : निस्संदेह यह मामला अब संभरण एवं उत्सर्जन महानिदेशक के सामने है। उनके पास प्रतिवेदन हैं। वे उनका परीक्षण करेंगे और हमें बतायेंगे कि क्या किया जाना है। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या उपाय किये जाने चाहियें।

†**श्री नरसिंहन्** : इन खराब चीजों के संभरण पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : आर्डर २६,००० लंगरों के लिये दिया गया था। प्रत्येक लंगर पर १ रुपया ७५ नये पैसे लागत आई है।

†**श्री मुरारका** : क्या ये रेलवे लंगर उसी फर्म द्वारा भेजे गये हैं जिस ने कुछ समय पहले स्लीपरों की कुंजियां दी थीं जिन में नुक्स पाये गये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह कानपुर का वही सिंह इंजनियरिंग कारखाना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर प्रश्नों की शृंखलाएं हुई थीं, कि कुंजियां ठीक नहीं थीं। माननीय सदस्य माननीय मंत्री को यह देखने का अवसर देंगे कि उसी कम्पनी को क्यों कोई दूसरा काम सौंपा गया।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जैसा बताया गया है, हम ने संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक को अपने इंडेंट दिये। जैसा कि पिछले अवसर पर बताया गया था कुछ चीजों के आर्डर हम देते हैं, परन्तु हमारे स्टोर और उपकरण की चीजों की बहुत सी किस्में हैं, जिन्हें हम स्वयं खरीद नहीं सकते। जहां तक सरकार द्वारा खरीदने का सम्बन्ध है, यह संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक द्वारा केन्द्रित है। हम उन्हें अपने इंडेंट देते हैं, और वे टेंडर बुलाते हैं। जब वे देखते हैं कि संभरण की जाने वाली चीजें निर्धारित किस्म आदि के ब्योरे के अनुसार हैं, तो वे

---

†मूल अंग्रेजी में

विशिष्ट फर्म को आर्डर देते हैं। उस प्रक्रम पर हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि उन्होंने किस फर्म को आर्डर दिये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य इस मंत्रालय पर लांछन लगाना चाहता है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं केवल स्थिति बता रहा हूं। जब तक किसी फर्म का महानिदेशक द्वारा काली सूची में नाम दर्ज नहीं किया जाता, हम किसी फर्म को आर्डर दिये जाने पर आपत्ति नहीं कर सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : खरीदने वाला या उपयोग में लाने वाला अभिकरण एक बार किस्म को काफी अच्छा नहीं समझता, तो वे अवश्यमेव शिकायत करेंगे और यह प्रयत्न करेंगे कि वही व्यक्ति संभरण जारी नहीं रखता।

†**श्री जगजीवन राम** : इस मामले में भी ज्यों ही रेलवे ने इसे पटरी पर रखा और अनुभव किया कि यह ठीक नहीं चल रहा था, तुरन्त इसकी सूचना संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक को दे दी गई। जो स्टोर भेजा गया था उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सम्बद्ध मंत्रालय से दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आपको याद होगा कि इस विशिष्ट फर्म के बारे में आपने मामला लोक लेखा समिति को भेजा था। मेरा निवेदन यह है कि उन सांचे में ढाले लोहे के स्लीपरों के मामले में उस समय संभरण मंत्रालय द्वारा किया गया निरीक्षण सर्वथा त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि पड़ताल क्या है। क्या इसके बारे में रेलवे मंत्रालय की ओर से कोई पड़ताल होती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने विस्तारपूर्वक बताया है कि वे दूसरे मंत्रालय को आर्डर देते हैं और वे इसका संभरण करते हैं। एक या दो बार यह अनुभव किया गया है कि संभरण किया गया माल खराब था। उन्होंने उसकी सूचना उस मंत्रालय को दी। वे केवल इतना कर सकते हैं कि यदि एक बार फिर वे देखें कि माल खराब है, तो वे संभवतः सीधे माल खरीद सकते हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : हमारे लिये यह करना इतना सरल नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** निस्संदेह ऐसा करना सरल नहीं होगा। यदि इस प्रकार की गल्तियां काफी होंगी तो मैं उस पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

गन्ने का मूल्य

१३०७. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी गन्ना वर्ष के लिये गन्ने का मूल्य १ रुपया ६२ नये पैसे प्रति मन निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर निर्धारित किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न क्षेत्रों में गन्ने की उत्पादन लागत आंकने के लिये जो उपसमिति नियुक्त की गई थी उस ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां। आगामी मौसम के लिये कारखाने के दरवाजे पर पहुंचते गन्ने का न्यूनतम मूल्य १ रुपया ६२ नये पैसे निर्धारित किया गया है ।

(ख) यह भाव गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ की व्यवस्थाओं के आधार पर किया गया है ।

(ग) जी हां। इस उप-समिति का कार्य अभी चल रहा है।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि शूगर केन कंट्रोल आर्डर, १९५५ की धारा ३ के अनुसार क्या यह आवश्यक नहीं है कि गन्ने के मूल्य निर्धारित करने से पहले गन्ने की उत्पादन लागत क्या होगी, इस पर विचार किया जाये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : वह तो करना चाहिये। जिस कमेटी के बारे में बार बार पूछा जता है वह कमेटी इस बारे में जाये। लेकिन वह एक कठिन चीज है। मैं समझता हूं इस बरस गन्ने के दाम वह न रहते अगर कमेटी नियुक्त हो गई होती और उस ने कुछ कहा होता। लेकिन उस कमेटी के नियुक्त न होने की वजह से फार्मर्ज को कोई तकलीफ न हो, इसलिये गन्ने के दाम वही रखे हैं ।

श्री खुशवक्त राय : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले बारह बरसों से जब जब गन्ने के मूल्य निर्धारित किये गये हैं क्या शूगरकेन कंट्रोल आर्डर की धारा ३ की अवहेलना नहीं की गई है ?

श्री स० का० पाटिल : आनरेबल सदस्य को मालूम है सारी चीज के बारे में क्योंकि वह हमेश फार्मर्ज के इंटिरेस्ट में यहां सवाल पूछते हैं। अभी जो दाम हैं, वे फार्मर्ज के हित में हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इस से ज्यादा कुछ हो सकता है ।

श्री खुशवक्त राय : उनका हित एक रुपया दस आने में है या एक रुपया बारह आने में ?

श्री स० का० पाटिल : एक रुपया दस आने से कम होगा तो भी हित होगा ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या यह सही है और क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में मिलें गन्ना लेने से इन्कार कर रही हैं और इस तरह से किसानों पर एक नया संकट आने वाला है, उन की फसल बरबाद हो जायेगी और चीनी नहीं मिल सकेगी ।

श्री स० का० पाटिल : वह इसलिये हो रहा है कि गन्ने के दाम जिन पर चीनी के दाम निर्भर हैं, चीनी नहीं जाती है और इसलिये वह संकट आ रहा है। इसलिये वह संकट नहीं आया है कि भाव बढ़ने चाहियें। भाव बढ़ेंगे तो चीनी के दाम और भी बढ़ जायेंगे और इस तरह से मैं समझता हूं कि संकट भी बढ़ेगा ।

श्री वाजपेयी : मैं जानना चाहता हूं कि गन्ने के दामों के बारे में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने जो सिफारिशें की थीं, वे क्या केन्द्र द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : सिफारिश तो बराबर थी एक रुपया बारह आने की। अगर उस को मान लिया होता तो बहुत गलती हो गई होती क्योंकि जो संकट आ रहा हैं है वह बढ़ जाता और चीनी का भाव इतना बढ़ता कि चीनी को न हम इधर और न ही बाहर बेच पाते।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या विभिन्न राज्यों ने अपनी दरें घोषित कर दी हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : उन्होंने १ रु० २ आने न देकर और २ रु० ४ आने दे कर स्थिति को पेचीदा बना दिया है। इस लिये चीनी कहीं नहीं जाती।

†**श्री नजप्प**: गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त गन्ना मूल्य देते हुए समूचे देश के लिये लागू होने वाला एक रूप सूत्र क्या है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सूत्र के अनुसार १ रु० १० आने निम्नतम मूल्य देना पड़ता है। किन्तु इस से अधिक देने की कोई पाबंदी नहीं। वास्तव में, एक मा० सदस्य द्वारा अभी पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया है कि कुछ स्थानों पर २ रु० ४ आने दिये जाते हैं। इस से चीनी का मूल्य बढ़ गया और इस का निर्यात प्राय असंभव हो गया है।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या उत्पादक को दिया जाने वाला मूल्य उत्पादन लागत और प्रति एकड़ उपज के आधार पर आंका जाता है अथवा इस का चीनी के मूल्य से संबंध होता है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह बड़ा पेचीदा प्रश्न है क्योंकि उत्पादन समान नहीं है। जबकि उत्तर भारत में उत्पादन लगभग १५ टन प्रति एकड़ है, दक्षिण भारत में प्रति एकड़ औसत उपज ५० टन है।

†**श्री हेडा** : मूल्य निर्धारण के समय क्या किसानों को आश्वासन दिया गया है कि वे जितना गन्ना पैदा करेंगे वह पेरा जायेगा अथवा मिलों में लिया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, और न ही ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि जो गन्ना पैदा किया जाता है, वह अनिवार्यत: हमेशा मिलों में नहीं जाता है। इस का गुड़ और खांडसारी बनाने में और दूसरे कामों में लाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किसानों को अधिक गन्ना न बोने के लिये कहा है। ये दोनों नीतियां एक भारत सरकार की नीति और दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार की नीति कैसे एक साथ चलती हैं।

†**श्री स० का० पाटिल** : यह सच है कि उन्हें अधिक भूमि पर गन्ने की खेती न करने का परामर्श दिया गया था। सरकार की नीति प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की है और अधिक भूमि पर गन्ने की खेती करने की नहीं है। यह सही नीति भी है।

†**श्री राम सिंह भाई वर्मा** : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर गन्ने के भाव बढ़ाये जायेंगेतो शूगर के भाव भी बढ़ जायेंगे। ऐसी सूरत में क्या यह सही नहीं होगा कि गन्ने के भाव उस की रिकवरी के आधार पर निश्चित किये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : इस प्रश्न का कई बार पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है। वही यह सवाल है ।

†**श्री हेडा** : मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में था। उन्होंने कहा था कि फैक्टरियां उत्पादित तमाम गन्ने को ले नहीं सकेंगी। सरकार इस के बारे में क्या कर रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : सरकार इस में कुछ नहीं कर सकती।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे संग्रहालय

†***१२८७. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर में उत्तर रेलवे के लिये जिस प्रकार का संग्रहालय अभी हाल में खोला गया है, क्या उस प्रकार के संग्रहालय अन्य रेलवे जोनों में भी खोले जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है ?

(ग) कितने संग्रहालय खोलने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) इस संग्रहालय में रेलवे के कार्यकरण के बारे में सामान्य जनता को जानकारी और शिक्षा के लिये प्रदर्शनार्थ वस्तुएं होंगी। प्रदर्शनार्थ वस्तुओं में चालू और स्थिर माडल, चालू चित्र आदि होंगे।

(ग) यह विचार है कि ऐसे संग्रहालय प्रमुख रेलवे केंद्रों पर खोले जायें।

टिड्डी दल का आक्रमण

१२९१. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६१ की अवधि में भारत के विभिन्न भागों पर टिड्डी दल के कितने आक्रमण हुए;

(ख) फसल की कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं जिस से टिड्डियों के उपद्रव को भविष्य में सफलता पूर्वक रोका जा सके ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग) . सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३]**

खाद्य विभाग

†***१२९२. श्री राधा रमण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग न तो सचिवालय कार्यालय है और न संलग्न कार्यालय है, और केन्द्रीय सचिवालय के पदाधिकारियों द्वारा अपने मंत्रालयों / विभागों में किया जाने वाला अधिकांश काम इस विभाग में 'एक्स-कैडर' अधिकारियों द्वारा किया जाता है;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विभाग के मौजूदा ढांचे में परिवर्तन करने और इसे अन्य मंत्रालयों विभागों के समान बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किया जायेगा और इसे कब लागू करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं। खाद्य विभाग संलग्न कार्यालय नहीं है। यह भारत सरकार के सचिवालय का एक विभाग है। यह कहना गलत है कि अन्य मंत्रालयों में जो काम सचिवालय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, वह खाद्य विभाग में गैर-सचिवालय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जहां तक खाद्य विभाग का खाद्यान्न की बड़ी मात्रा के अर्जन, भांडागार, संरक्षण, परिवहन और वितरण से सम्बन्ध है, इस के सदर मुकाम संघ का गठन विभाग के आवश्यक प्रशासकीय कृत्यों के द्योतक हैं। इस विभाग में सिर्फ सचिवालय पद और प्रशासी निदेशालय दोनों हैं जिन में से प्रयेक को विभाग की विभिन्न जिम्मेदारियां सौपी गयी हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उपन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†*१२९७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में वर्ष १९६१ के दौरान कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने का विचार है;

(ख) क्या उन स्थानों का चुनाव कर लिया गया है, जहां पर ये खंड खोले जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में ये खंड किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति)**: (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में खंडों के आवंटन के स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक राज्य में वर्ष १९६१ में खोले जाने वाले खंडों की संख्या के बारे में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]** नये पूर्व-विस्तार खंडों और वर्तमान पूर्व-विस्तार खंडों के प्रथम स्टेज में ऊंचे उठाये जाने का वास्तविक आवंटन विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। इस के अतिरिक्त वर्तमान पूर्व-विस्तार खंड प्रथम स्टेज में परिवर्तन के पात्र बनने के लिये अपने कार्यों के मूल्यांकन के लिये निर्धारित स्व-सहायता और स्व-विश्वास के कुछ सिद्धान्तों को पूरा करें।

(ख) राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने क्षेत्रों को खंडों की निश्चित संख्या में परिसीमन कर दिया है। खंडों के स्थान के लिये क्षेत्रों के चुनाव के बारे में निर्णय करना राज्य सरकारों / संघ राज्य- क्षेत्रों का काम है। प्रत्येक आवंटन के विरुद्ध खंडों के नाम के बारे में खंड खुल जाने के बाद मंत्रालय को सूचित कर दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाजपत नगर में अस्पताल का निर्माण

*१३००. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपत नगर नई दिल्ली में आर्य समाज मंदिर के पास एक अस्पताल बनाया जाने वाला है;

(ग) क्या यह सच है कि अस्पताल बनने में आर्य समाज मन्दिर की पवित्रता पर प्रभाव पड़ेगा और आर्य समाज मन्दिर में धार्मिक कार्य करने में बाधायें उत्पन्न होंगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि मन्दिर में धार्मिक कृत्यों और सार्वजनिक उत्सवों के कारण अस्पताल के कर्मचारियों को अपना कार्य करने में कठिनाई होगी और रोगी भी असुविधा अनुभव करेंगे;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस बारे में सरकार को कई अभ्यावेदन मिले हैं कि अस्पताल को आर्य समाज मन्दिर से दूर अन्य किसी स्थान पर बनाया जाये; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या निर्णय करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लाजपत नगर नई दिल्ली आर्य समाज मन्दिर के पास अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत एक औषधालय (न कि अस्पताल) बनाने का विचार है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) चूंकि इस से समीपस्थ आर्य समाज मन्दिर की पवित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः इस उद्देश्य के लिये निर्धारित स्थान पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय बनाने के विचार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है ।

सड़क निर्माण

†*१३०४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सड़क कांग्रेस की सिफारिशों के अनुसार सड़क निर्माण के कार्य में यांत्रिक विधियां अपनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या न्यूनतम विदेशी मुद्रा की सहायता से यंत्रीकरण की योजना बनाने के लिये कोई समिति नियुक्त की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

भारतीय सड़क कांग्रेस ने सिफारिश की है कि कार्य को ठीक करने और शीघ्र सड़क बनाने के लिये यंत्रीकृत उपाय अपनाये जायें और इस कार्य के लिये आवश्यक मशीनें यथासम्भव शीघ्र भारत में

---

†मूल अंग्रेजी में

बनायी जायें। उन्हों ने आगे कहा है कि जो मशीनें इस समय भारत में नहीं बनायी जा सकतीं उन का विदेशों से आयात किया जाये और उन के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जाये।

इस समय भारत में सड़क निर्माण का यंत्रीकरण विदेशी मुद्रा की भारी कमी और देश में बेरोजगारी से सम्बन्धित है। यह स्पष्ट है कि मशीनों के इस्तेमाल से श्रमिकों की काफी कम आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारे देश में बहुत है। अतः सड़क निर्माण का यंत्रीकरण आरम्भ में शनैः शनैः और सीमित मात्रा में होना है तथापि, आवश्यकता और आर्थिक विकास की दृष्टि से काम की मात्रा और स्वरूप, श्रमिकों के संभरण लागत और समय में बचत आदि को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण में शनैः शनैः अधिकाधिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में सड़क निर्माण की जितनी मशीनें बनाना सम्भव है, उन के निर्माण के लिये पग उठाये जा रहे हैं, जिस के परिणामस्वरूप अब देश में कई मशीनें बनाई जा रही हैं। जो चीजें भारत में नहीं बनाई जा रही हैं, उन के बारे में विदेशों से आयात करने की पृथक् पृथक् प्रार्थनाओं पर उचित रूप से विचार किया जाता है और जहां कहीं उचित होता है, अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा दे दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

घोड़ों की बीमारी

†*१३०८. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "घोड़ों की बीमारी" के, जिस के कारण पिछले वर्ष भारत में अनेक घोड़े मर गये थे, आगामी ग्रीष्म ऋतु में पुनः फैलने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी को रोकने के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किये हैं; तो उन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में लगभग कितने खर्च की आवश्यकता है ?

†कृषि उपमन्त्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) अन्य देशों में यह अनुभव है कि यह रोग सर्दियों में समाप्त हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में पुनः फैलता है। अतः भारत में अगली ग्रीष्म ऋतु में इस के पुनः फैलने की संभावना है।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

पशुओं की बीमारियों के नियंत्रण का काम राज्य सरकारों का मामला है जिन्हें की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बता दिया गया है। इस बीमारी की रोकथाम के लिये भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्था में ३३,००० खुराक प्रति मास की दर से टीके तैयार किये जा रहे हैं और एक लाख खुराक से अधिक का भंडार बना लिया गया है। बीमारी की रोकथाम के लिये सहयोग देने और परामर्श देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति भी नियुत की गयी है।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, मुख्य कार्य टीकों के उत्पादन का है। इस कार्य को भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्था के सामान्य कृत्य के रूप में संभाला गया है और उत्पादन लागत प्रति खुराक लगभग १ रुपया है। टीकों के उत्पादन के लिये उपकरण आदि खाद्य तथा कृषि

---

†मूल अंग्रेजी में

संगठन से मुफ्त मिले हैं। कुछ और उपकरण आदि भी लिये जा रहे हैं जिन पर लगभग ६०,००० रुपये खर्च करना आवश्यक हो जाता है । विमान भाड़े पर व्यय के लिये १०,००० रुपये का उपबन्ध किया जा रहा है ।

रेलवे को कोयले का संभरण करने वाली कोयला खानें

†*१३०९. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के लिये आजकल कितनी कोयला खानों से कोयला लिया जाता है; और

(ख) क्या रेलवे को संभरण किये जाने वाले कोयले की किस्म के निरीक्षण और नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिये इन खानों की संख्या में कमी करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ४३२ ।

(ख) जी हां ।

बोकारो विद्युत् संयंत्र

†*१३१०. श्री प्र० चं० बरुआ: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो विद्युत् संयंत्र के एक ट्रांसफार्मर जेनेरेटर को कब क्षति पहुंची थी :—

(ख) इस से विद्युत् संभरण पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस की मरम्मत करने/बदलने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

बोकारो तापीय विद्युत् केन्द्र के चौथे यूनिट का १०० एम०वी०ए० स्टेप अप ट्रांसफार्मर ९ मार्च, १९६१ की प्रातःकाल क्षतिग्रस्त हो गया था। यह ट्रांसफार्मर लगभग ५० किलोवाट बिजली का संभरण कर रहा था जो दामोदर घाटी निगम दुर्गापुर तापीय बिजली घर में प्रयोगात्मक संचालन के लिये ७५ किलोवाट के दो सेटों में से एक सेट संभरण कर रहा है। अतः इस समय बिजली की कोई हानि नहीं हुई ।

इस मामले को दामोदर घाटी निगम ने निर्माताओं (इंग्लिश इलैक्ट्रिक कम्पनी, ब्रिटेन) के कलकत्ता कार्यालय से उठाया है जिन के डिजाइन इंजीनियर ब्रिटेन से कलकत्ता आ गये हैं और उन्होंने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की जांच की है। तीन में से एक वाइन्डिग क्षतिग्रस्त पाया गया। बाकी दो वाइन्डिग, यद्यपि वे ठीक लगते हैं, भी बदले जायेंगे क्योंकि निर्माताओं को यह भय है कि क्षतिग्रस्त वाइन्डिग से तांबे का बुरादा अन्य दो वाइन्डिग में भी चला गया होगा जिस से वे रुक सकते हैं। निर्माताओं ने दामोदर घाटी निगम को परामर्श दिया है कि भारत में मरम्मत और परीक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण ट्रान्सफार्मर को उन ब्रिटेन स्थित कारखाने में मरम्मत के लिये भेजना पड़ेगा।

†मूल अंग्रेजी में

पटसन की खेती की विधि

†*१३११. **श्री अरविन्द घोषाल:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की खेती करने की कोई नई विधि निकाली गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधि क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) जी, हां ।

(ख) इस विधि में वृताकार रूप में जोताई करके पटसन के बीजों की छिटकी बोवाई न करके पंक्तियों में बीज बोने की व्यवस्था है ।

यह विधि घास फूस नियंत्रण के लिये बहुत गुणकारी है और इस से लगभग ५० प्रतिशत तक बीजों की दर में कमी के अतिरिक्त १८–२० प्रतिशत तक श्रम लागत में बचत होती है। इससे फसल में भी बहुत वृद्धि होती है ।

हवाई अड्डों का विकास

†*१३१२. **श्री तंगामणि :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ में कुछ हवाई अड्डों का विकास किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) दक्षिण के किन हवाई अड्डों को लाभ पहुंचेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५**]

ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली का अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय

†*१३१३. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली का अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय के डा० नम्बियार का अभी हाल में देहान्त हुआ है;

(ख) उनका देहान्त किन परिस्थितियों में हुआ;

(ग) क्या ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ उपरोक्त औषधालय में रोगियों की संख्या में वृद्धि हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में और रोगियों को देखने के लिए औषधालय में स्वर्गीय डा० नम्बियार के स्थान पर किसी अन्य डाक्टर की नियुक्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) डा० पी० आर० नम्बियार को ७ मार्च, १९६१ को हल्का बुखार हुआ था। उनकी कमर में भी दर्द था। १० मार्च, १९६१ को यह बताया गया कि उनको चेचक है और ११ मार्च को उन्हें संक्रमण-रोग अस्पताल ले जाया गया। डा० नम्बियार का संक्रमण-रोग अस्पताल में १३ मार्च, १९६१ को लगभग २.३० बजे प्रातः देहान्त हो गया।

(ग) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा डिस्पेन्सरियों में रोगियों की संख्या में ग्रीष्म ऋतु में वृद्धि सामान्य बात है।

(घ) डिस्पेन्सरी में जितने कर्मचारी हैं, वे रोगियों की संख्या में वृद्धि के लिये पर्याप्त हैं। डा० नम्बियार के स्थान पर वहां अन्य डाक्टर भेजने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

खाद्य मंत्रालय में 'लेवल जम्पिंग' प्रणाली

†*१३१४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग के सभी निदेशालयों में मामलों को अन्तिम प्राधिकारी तक पहुंचने से पहले विभिन्न लोगों के हाथों में होकर गुजरना होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप निर्णय करने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विभाग में 'लेवल जम्पिंग' प्रणाली को अभी तक लागू नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). प्रविधिक पहलुओं की जांच वाले मामलों को प्रविधिक जांच के लिये विशेष क्षम निदेशालय को भेजना पड़ता है। सचिवालय और निदेशालय—दोनों में सदैव निम्न स्तर पर ही निर्णय करने का प्रयत्न किया जाता है और इस बात के लिए उचित परीक्षण की आवश्यकता है कि कागज़ात कम से कम व्यक्तियों के पास से गुजरें।

विभाग में 'लेवल जम्पिंग' का प्रयोग किया जा रहा है। 'लेवल जम्पिंग' को प्रमापीकृत करना सम्भव नहीं है। यह एक ऐसी लचीली प्रक्रिया है जो सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा उचित मामलों पर लागू की जाती है।

विमान पट्टियां

†*१३१५. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धकाल में बनाई गई सभी विमान पट्टियों को उपयोग में लाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो यातायात के लिए किन विमान पट्टियों को खोला जायेगा; और

(ग) क्या मद्रास राज्य में कयातरु नामक स्थान में स्थित विमान पट्टी को यातायात के लिए खोला जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) जो हवाई अड्डे अखिल भारत असैनिक उड्डयन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनको परिवहन के लिये खोला जा चुका है।

(ग) जी, नहीं।

मध्य रेलवे में चाय के स्टाल लगाने के लिये अनुसूचित जातियों को लाइसेंस

†२७०६. **श्री पांगरकर**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के ऐसे व्यक्तियों की क्या संख्या है जिन्होंने वर्ष १९६०-६१ में अब तक मध्य रेलवे में चाय के स्टाल और फलों के स्टाल लगाने के लिये लाइसेंस लेने के लिये आवेदन किया है; और

(ख) उनमें से कितनों को स्टाल चलाने के लिये लाइसेंस दिये गये ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ४१।

(ख) ११।

नोट : उपरोक्त जानकारी १-४-६० से २८-२-६१ तक की अवधि के लिये है।

मध्य रेलवे में रेलवे डाक्टरों के लिये क्वार्टर

†२७०७. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे में उन रेलवे डाक्टरों की क्या संख्या है जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित क्वार्टर दिये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : १६३।

मध्य रेलवे में प्रतीक्षा कक्ष

†२७०८. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में उन स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां पर वर्ष १९६०-६१ में अब तक प्रतीक्षा कक्ष बनाये गये हैं; और

(ख) उन पर कितनी लागत आयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) वर्ष १९६०-६१ में निम्नलिखित छः स्टेशनों पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षा कक्ष बनाये गये हैं :—

१. सागर
२. अकोलनेर
३. तुकैटहाड़
४. हिवाडखेड़
५. आदगांव
६. अकोट

(ख) लगभग ८२,००० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र को खाद्यान्न का संभरण

†२७०९. श्री पांगरकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९६१ को समाप्त होने वाले अन्तिम तीन महीनों में महाराष्ट्र को कितना चावल और गेहूं दिया गया ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(हजार मीट्रिक टनों में)

चावल	४३
गेहूं . .	१५४
कुल .	१९७

महाराष्ट्र में काजू पैदा करने वाले

†२७१०. श्री पांगरकर: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में काजू पैदा करने वालों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने काजू की खेती के विकास के लिये एक योजना भेजी थी। राज्य सरकार से कहा गया कि वह योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के लिये निर्धारित वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा के भीतर योजना को स्थान दे। महाराष्ट्र सरकार ने काजू उत्पादकों को ऋण के लिये निम्नलिखित धनराशि मंजूर की :

१९५९–६०	७,९८,०००	रुपये
१९६०–६१	१,००,०००	रुपये

नये रेलवे इंजन

†२७११. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में (ज़ोन-वार) बड़ी लाइन के और मीटर गेज के कितने नये रेलवे इंजन चलाये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : विभिन्न जोनल रेलवे पर वर्ष १९६०-६१ में (३१-१-६१ तक) चलाये गये नये रेलवे इंजनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

रेलवे	बड़ी लाईन	मीटर गेज	कुल
मध्य	३७	१२	४९
पूर्व	४५	..	४५
उत्तर	१५	१०	२५
पूर्वोत्तर		४	४
पूर्वोत्तर सीमांत	..	१७	१७
दक्षिण	२	२८	३०
दक्षिण-पूर्व	३२	..	३२
पश्चिम	१७	१२	२९
	१४८	८३	२३१

मद्रास राज्य में तापीय बिजली घर

†२७१२. श्री धर्मलिंगम्: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास की राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में तापीय बिजली घरों के शामिल करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमत्री (श्री हाथी): (क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में भूमि की अदला बदली

†२७१३. श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र त्रिपुरा में वर्ष १९५९ और वर्ष १९६१ में भूमि की अदला-बदली के लिये सरकार को कितने आवेदन-पत्र मिले हैं; और

(ख) इनमें से कितने मामलों में अदला-बदली का काम पूरा हो गया है

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

दिल्ली में रबी की फसल

२७१४. श्री नवल प्रभाकर: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रबी की फसल (१९६१) की क्या संभावनायें हैं; और

(ख) क्या १९६० की अपेक्षा १९६१ में अधिक उपज होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) आसार अच्छे हैं।

(ख) उपज के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

सल्फोन औषधियां

२७१५. श्री खुशवक्त राय : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सल्फोन औषधियां किन-किन रोगों के लिये उपयोगी सिद्ध हुई हैं और बाजार में वे किस नाम से बिकती हैं;

(ख) क्या ये औषधियां भारत में बनती हैं;

(ग) यदि हां, तो कहां; और

(घ) यदि नहीं तो उसके आयात पर कितना खर्च किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) सल्फोन औषधियां कुष्ठ रोग की चिकित्सा में उपयोगी सिद्ध हुई हैं। वे आवलोसल्फोन, प्रोमिन, सोलैप्सोन, सल्फीट्रोन, सिम्रोसल्फोन, सैलफोन, डायसोन, डाइफोन, सल्फाडिम्रन, नोवोफोन आदि विभिन्न नामों से बिकती हैं।

(ख) और (ग). जी हां, आधारित सल्फोन औषधि डैप्सोन भारत में महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की निम्नलिखित फर्मों द्वारा तैयार की जाती हैं:—

१. मैसर्स बरोज़ बैलकम एण्ड कम्पनी (भारत) प्राइवट लिमिटेड, बम्बई

२. मैसर्स बंगाल केमिकल एण्ड फार्मेस्युटिकल-वर्कस लिमिटेड, कलकत्ता

३. मैसर्स बंगाल इम्युनिटी कम्पनी, कलकत्ता

४. मैसर्स अल्वर्ट डेविड लिमिटेड, कलकत्ता

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी स्वदेश में जितनी औषधि तैयार की जाती है उसके अतिरिक्त कुछ आयात भी की जाती है। १९६० में ९४,५५१ रुपये की २५११ किलोग्राम सल्फोन औषधियां आयात की गईं।

रेलवे सुरक्षा बल

†२७१६. श्री कुम्भार: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६१ को दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल में श्रेणीवार कितने कर्मचारी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बल में भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को क्या विशेष रियायत दी जाती हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी रेलवे प्रशासन से मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

काल्का मेल से भोजन-गाड़ी को हटा लेना

†२७१७. **श्री न० म० देव:** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली-काल्का मेल से भोजन-गाड़ी को हटा लेने के बाद हावड़ा और मुगल सराय के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये भोजन की अन्य क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** एक अप्रैल से यह भोजन-गाड़ी हटाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हावड़ा और मुगलसराय के बीच चाय, भोजन आदि के लिये व्यवस्था को कड़ा किया जायगा ताकि काल्का मेल से भोजन-गाड़ी हटाये जाने के बाद यात्रियों की आवश्यकता को समुचित रूप से पूरा किया जा सके।

पठानकोट-अमृतसर लाइन पर सुविधाएं

†२७१८. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के पठानकोट-अमृतसर सैक्शन के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिये सुविधाएं प्रदान करने के लिये १९६०–६१ में कितना धन व्यय किया गया; और

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर किन सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) १९६०–६१ का वित्तीय वर्ष अभी अभी समाप्त हुआ है अत: उसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। ३१ जनवरी, १९६१ तक २७,००० रु० व्यय करना निर्धारित किया गया था।

(ख) गुरुदासपुर: कच्ची मिनरल साइडिंग सड़क को पक्की बनाना।

पठानकोट :

१. तीसरे दर्जे के नये प्रतीक्षालय से शौचालय तक छतदार रास्ता।

२. १०० फुट लम्बा आश्रय और पैसेंजर प्लैट फार्म।

३. पहले और दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय।

४. तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार।

५. विश्रामकक्षों को वायु-अनुकूलित विश्राम कक्षों में बदलना।

६. फेरी वाले दूकान का विस्तार।

७. पारसल प्लैट फार्म पर छत।

८. पहले दर्जे के प्रतीक्षालय को टिकट कलक्टर के कार्यालय के साथ प्रतीक्षालय में बदल देना।

९. माल पहुंच सड़क तथा माल प्लैटफार्म की सतह को मेक्सफाल्ट से बनाने के बारे में।

१०. पेशाब घर सहित सौदागरों का प्रतीक्षालय।

११. कैबिन ढंग के ४ वायु-अनुकूलित विश्राम-गृह।

---

†मूल अंग्रेजी में

सार्वजनिक टेलीफोन

†२७१९. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में १९५९–६० में कुल कितने नये सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गये;

(ख) उन पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी;

(ग) १९५९–६० में पंजाब में प्रत्येक जिले में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गये; और

(घ) कुल कितनी रकम उस पर खर्च की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) लम्बी दूरी वाले २७८ सार्वजनिक टलीफोन कार्यालय ।

(ख) २० लाख रुपये ।

(ग)

जाब राज्य में जिलों के नाम	१९५९–६० में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की संख्या
अम्बाला	२
अमृतसर	१
गुरुदासपुर	१
कांगड़ा	२
लुधियाना	१
पटियाला	१
संगरूर	१
कुल	९

(घ) ०.४ लाख रुपये ।

दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना

†२७२०. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री १५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में अब तक दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में जिन गांवों में बिजली लगायी जा चुकी है उनके लिये कितने किलोवाट बिजली मंजूर की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) १९६०–६१ में जिन गांवों में बिजली लगायी गयी है उनके लिये मंजूर की गयी बिजली इस प्रकार है :—

बिजली का प्रकार	मंजूर मात्रा
(१) रोशनी और पंखे	३२.०० किलोवाट
(२) घरेलू बिजली	८.०० किलोवाट
(३) औद्योगिक	३.०० किलोवाट
कुल	४३.०० किलोवाट

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सड़कों का विकास

†२७२१. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने १९६०–६१ में राज्य की सड़कों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सड़क विकास के लिये किसी वित्तीय सहायता की कोई खास मांग प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित निधि सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर १९६०–६१ में निम्नलिखित नियतन किया गया है :—

(१) राष्ट्रीय राजपथ (मूल) कार्य . . १०,०५,८०० रुपये।

(२) राष्ट्रीय राजपथों से भिन्न सड़कों पर काम . ७,७५,८०० रुपये।

(३) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित कार्य . १४,८४,८०० रुपये।

दिल्ली में कुतुब मीनार तक सड़क पर बिजली लगाना

२७२२. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री नवल प्रभाकर:

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री २३ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि यूसूफ सराय से कुतुब मीनार तक की सड़क पर बिजली लगाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि यूसफ सराय से कुतुब मीनार तक की सड़क पर बिजली लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई और बिजली के काम

†२७२३ **श्री रामकृष्ण गुप्त:**
श्री पांगरकर:
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई और बिजली के काम के सम्बन्ध में सबसे ताजी स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** भाखड़ाबांध, बिजली घर और प्रेषण प्रणाली को छोड़ कर भाखड़ा नांगल परियोजना के अधीन सभी काम पूरे हो चुके हैं। ६ फरवरी, १९६१ को पिछले तीन मदों के विषय में काम की प्रगति इस प्रकार रही :—

---

†मूल अंग्रेजी में

१. भाखड़ा बांध

दायें मोड़ की सु ंग प्राय: भरी जा चुकी है। कुछ ोटे मोटे काम बाकी हैं जो जून, १९६१ के अन्त तक पूरे हो जायेंगे।

बांध पर सबसे ऊंची सतह सबसे गहरी नींव के ऊपर ६१२ फुट है। ४७.०५ लाख घन फुट कंकरीट जो कुल का ८७.५ प्रतिशत है, डाली जा चुकी है। बांध पर कंकरीट डालने का काम दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। पहुंच सड़कों, एलेवैटर शैफ्टस्, स्पिलवेब्रिज और बांध के सिरे पर रेडियल गेट लगाने के काम १९६२ में पूरे हो जायेंगे।

२. बिजलीघर

(क) भाखड़ा बांया किनारा बिजली संयंत्र

१४–११–६० को यूनिट संख्या १ चालू किया गया था और उसके बाद १ फरवरी, १९६१ को यूनिट संख्या २ चालू किया गया था।

यूनिट संख्या ३

टरबाइन, जेनरेटर, गवर्नर, पंपिंग सेट और पाइपिंग सिस्टम लगाने का काम पूरा हो चुका है। यूनिट के मैकेनिकल कपलिंग सम्बन्धी काम का लगभग ७० प्रतिशत काम भी पूरा हो चुका है। अनुमान है कि यह यूनिट जून, १९६१ में चालू हो जायेगा।

यूनिट संख्या ४

टरबाइन. जेनरेटर, गवर्नर, प्रेशर टैन्क, सम्पटैन्क आयल पाइपिंग सिस्टम आदि का काम पूरा हो चुका है। अनुमान है कि यह यूनिट अगस्त, १९६१ में काम करने लगेगा।

यूनिट संख्या ५

करीब १५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अनुमान है कि यह यूनिट अक्तूबर, १९६१ में चालू होने के लिए तैयार हो जायेगा।

छोटा बिजली घर बनाना

लगभग ९० प्रतिशत काम हो चुका है। नंगल उर्वरक कारखाने को बिजली देने के लिए इस छोटे बिजली घर का एक हिस्सा चालू किया गया है।

नंगल बिजली घर

(क) कोटला, विस्तार यूनिट

२९,००० किलोवाट का विस्तार यूनिट अब पूरा ही होने वाला है। अनुमान है कि अप्रैल, १९६१ तक वह तैयार हो जायेगा।

गंगवाल विस्तार यूनिट

वाटर टरबाइन के स्क्रौल केसिंग असेम्बली और टेम्परेरी असेम्बली के बारे में काम पूरा हो चुका है। बिजली घर के लिए टरबाइन, जेनरेटर, ट्रांसफार्मर और स्विचगियर बनाने का काम जारी है। यह यूनिट संभवत: जुलाई, १९६१ तक पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

गंगवाल में इंटर-लिंकिंग सब-स्टेशन

गंगवाल में इंटरलिंकिंग सबस्टेशन के लिए दो ट्रांसफार्मर प्लिन्थ बनाने का काम पूरा किया जा चुका है। दूसरा साजसामान लगाने का काम जारी है। अनुमान है कि यह सबस्टेशन १९६२ के आरम्भ में तयार हो जायेगा।

३. प्रेषण प्रणाली

निम्नलिखित कार्य पूरे हो चुके हैं :—

१. सिमला में ६६ किलोवाट का छोटा बिजली घर

२. सोलन में ६६ किलोवाट का छोटा बिजली घर

३. भाखड़ा लेफ्ट बैंक पावरहाउस से स्विचयार्ड तक ६६ किलोवाट लाइन का दूसरा सर्किट। निम्नलिखित लाइनों और छोटे बिजली घरों का काम चल रहा है :

(क) पंजाब

(१) भाखड़ा से उर्वरक कारखाना, नया नंगल तक ६६ किलोवाट ट्रिपल सर्किट लाइनें

(२) ६६ किलोवाट की धूलकोटे-पटियाला-संगरूर लाइन

(ख) राजस्थान

१. १३२ किलोवाट ग्रिड सबस्टेशन, रतनगढ़

२. ६६ किलोवाट ग्रिड सबस्टेशन, बीकानेर

३. १३२ किलोवाट स्विचिंग स्टेशन, चुरू

४. ६६ स्विचिंग स्टेशन, डूंगरगढ़

रेलगाड़ी में एक लड़के की मृत्यु के संबंध में पुलिस जांच

†२७२४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस १६ वर्षीय लड़के की मृत्यु के बारे में जिसकी लाश रेलवे पुलिस को एक सन्दूक में बन्द की हुई मिली, पुलिस ने जांच पड़ताल पूरी कर ली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जी हां। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की है और इसमें कुछ पता नहीं लगा।

दुर्गापुर में तापीय बिजली घर

†२७२५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस परियोजना के सम्बन्ध में जिससे दुर्गापुर तापीय बिजली घर को १,२०,००० किलोवाट बिजली मिलेगी, अब तक किस प्रकार की प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: प्रगति की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

बिजली घर: विस्तृत डिजाइन का काम चल रहा है। जमीन स्तर तक नींव के डिजाइन तय हो गये हैं। नींव के काम के लिए टेण्डर मंगाये जा रहे हैं।

प्रेषण प्रणाली: दुर्गापुर से बण्डेल तक १३२ किलोवाट लाइन डबल सर्किट के लिए नापजोख पूरी हो चुकी है। स्टील टावर्स, एसीएसआर कन्डक्टर्स, इन्सुलेटर्स और लाइन बनाने के लिए टेण्डर मंगाये जा रहे हैं। लाइन का प्रारम्भिक मार्ग सर्वेक्षण जारी है।

दुर्गापुर में वितरणकारी छोटा बिजली घर: साजसामान के लिए आर्डर दिये जा रहे हैं।

नदियों में परिवहन के लिए केन्द्रीय तकनीकी सहायता बोर्ड

†२७२६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न सख्या ५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नदी जल परिवहन समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय तकनीकी सहायता बोर्ड बनाने की दिशा में अब तक किस प्रकार की प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: बन्दरगाहों और नदी जल परिवहन सम्बन्धी तकनीकी समस्याओं पर सरकार को परामर्श देने के लिए केन्द्रीय तकनीकी सहायता बोर्ड स्थापित करने की योजना पर अभी विचार किया जा रहा है।

टिड्डियों के कारण फसलों को नुकसान

†२७२७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री पांगरकर :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** २८ नवम्बर, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या ५०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में टिड्डियों के आक्रमण के कारण देश में अनाज की फसलों को कितना नुकसान पहुंचा इस बारे में क्या सरकार को अन्तिम अनुमान प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). अभी हाल टिड्डियों के आक्रमण से देश में अनाज की फसलों को हुई हानि के बारे में अन्तिम अनुमान उस आक्रमण से पीड़ित सभी राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

जिन राज्यों ने जानकारी भेजी है उनके सम्बन्ध में अनुमानित हानि बताने वाला विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ६६**]

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में घास

२७२८. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चरागाहों में बढ़िया और अधिक घास पैदा करने के लिये हिमाचल प्रदेश क वन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ४७,००० रुपये की लागत की चरागाह सुधार एक परियोजना विभिन्न वन विभागों में कार्यान्वित करने के लिये शुरू की गई परियोजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जा रहे हैं :—

(१) अधिक उपज और सब से अच्छी किस्म की घास की उपलब्धि के लिये सेम्पल क्वार्डरेट्स का बनाना और उनको चरागाह के लिये बन्द करने की अवधि को निर्धारित करना।

(२) चरागाहों से घृणित घास-पात का उन्मूलन जो अन्यथा अच्छी घास की पैदावार को कम करती है।

(३) विभिन्न क्षेत्रों के लिये सब से उचित किस्म का पता लगाने के लिये अनेक परदेशी घासों की जांच।

(४) काटने के लिये सब से अच्छा ऋतु और काटने की अवधि का पता लगाने के लिये परीक्षण।

(ख) परियोजना अभी परीक्षा अवस्था में है परन्तु अभी तक जो परिणाम निकले हैं वह उत्साहवर्धक हैं।

हिमाचल प्रदेश में कूलें

२७२९. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में २०२ कूलों में से कितनी वस्तुतः बन गई हैं और कितनी विचाराधीन हैं ;

(ख) इन कूलों के निर्माण में जनता ने कितना सहयोग दिया है ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश के छः जिलों में से प्रत्येक जिले में कितनी कूलें हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) सब की सब २०२ कूलें या तो बन चुकी हैं या बन रही हैं।

(ख) अभी तक कोई सहयोग नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश माइनर कैनाल्स ऐक्ट के अन्तर्गत लाभ उठाने वालों से ५० प्रतिशत अंशदान बैटरमेंट लेवी के रूप में वसूल करने का उपबन्ध है। ऐक्ट को लागू करने के बाद ऐसा किया जायेगा।

---

†मुल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक ज़िले में संख्या निम्न प्रकार है :—

चम्बा	५०
महासू	३७
नहान	६१
मन्डी	४४
बिलासपुर	७
कन्नौर	३
जोड़	२०२

रेलवे स्टेशनों के लिये कोयले की सप्लाई

†२७३०. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महिनों में मनमाड-छेगुडा और पूरना–बेसिम लाइनों पर स्टेशनों का पूरी पूरी मात्रा में कोयला नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) शायद माननीय सदस्य रेलवे के उपयोग के लिये कोयले की सप्लाई का जिक्र कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तो उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सहकारी चीनी कारखानों द्वारा मशीनरी का आयात

†२७३१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में लाइसेंस शुदा सहकारी चीनी कारखाने मशीनरी का आयात कर सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन सहकारी चीनी कारखानों ने मशीनरी आयात की है और किन्होंने नहीं की है ; और

(ग) मशीनरी प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). जिन सहकारी चीनी कारखानों को पंजाब में लाइसेंस दिये गये हैं उनमें से तीन अर्थात्, रोहतक, भोगपुर और पानीपत के कारखानों ने आवश्यक मशीनरी का आयात किया है और उत्पादन शुरू कर दिया है।

मोरिन्दा और बटाला के दो सहकारी कारखानों को देशी चीनी मशीनरी निर्माता संघ संयंत्र और मशीन सप्लाई कर रहा है और इसके लिये उसने सप्लाई करने वालों के साथ करार किया है। बाकी छठा सहकारी कारखाना पुरानी मशीनरी का उपयोग कर स्थापित करने का विचार है।

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात के लिये उर्वरक

†२७३२. **श्री मो०ब० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वर्ष १९६० में उसे और उर्वरक दिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना उर्वरक मांगा गया है और केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना नियत किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९६०–६१ के लिये मांग और नियतन इस प्रकार हैं :—

उर्वरक की किस्म	मांग	नियतन
	(सभी आंकड़े मेट्रिक टनों में)	
अमोनिया सल्फेट . .	४५,५३५	२७,७२४
यूरिया . . .	११,९४३	१,३८०
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट . . .	१६,७८१	४,९५०
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	२,०६८	१,५००
नाइट्रोजन की मदों में जोड़ .	१९,२५८	७,७५३

साष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ

†२७३३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सहकारी चीनी कारखानों के कार्यों का समन्वय करने तथा नये सहकारी कारखानों का विकास और संगठन में मदद करने के लिये राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ २ दिसम्बर, १९६० को नयी दिल्ली में सहकारी समितियां अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड की गयी थी । राष्ट्रीय संघ ने १४ सहकारी चीनी कारखानों को सदस्य बनाया है । इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य चीनी कारखाना संघ जो उस राज्य में स्थित १८ कारखानों का प्रतिनिधित्व करता है, संस्थापक सदस्य के तौर पर उसमें शामिल हुआ है । राष्ट्रीय संघ अभी प्रारम्भिक दशा में है जहां शेष सहकारी चीनी कारखानों का नाम दर्ज करने और राष्ट्रीय संघ की कार्यवाहियों के लिये चन्दा इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । राष्ट्रीय संघ आवश्यक कर्मचारियों की भरती के लिये भी कार्यवाही कर रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पुलों के सम्बन्ध में खोसला समिति की रिपोर्ट

†२७३४. {श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या रेलवे मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे पुलों संबंधी खोसला समिति ने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं जिन्हें सरकार ने इस बीच मंजूर किया है और कार्यान्वित किया है ; और

(ख) किन किन सिफारिशों को अभी कार्यान्वित करना बाकी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). २२-१२-६० को तारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर में जो स्थिति बतायी गयी थी अब भी वही स्थिति है। बाकी दो सिफारिशों की कार्यान्विति तब तक नहीं हो सकेगी जब तक दो या तीन साल में वास्तविक क्षेत्रीय निरीक्षण का परिणाम मालूम नहीं हो जाता ।

दिल्ली दूध योजना

†२७३५. {श्री रामकृष्ण गुप्त :
ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में दिल्ली दूध योजना के विस्तार कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): १९६१-६२ में दिल्ली दूध योजना के कार्यों का निम्न प्रकार से विस्तार करने का विचार है :—

(१) रोजाना दूध की सप्लाई २२५० मन से बढ़ा कर ३५०० मन करना है ।

(२) दूध संग्रह और मंथन केन्द्रों के और १३ केन्द्र पूरे करना और इस तरह केन्द्रों की कुल संख्या २० हो जायेगी ।

(३) दिल्ली शहर में और क्षेत्रों को दूध सप्लाई करना ।

सामुदायिक विकास खंडों में जीप

†२७३६. श्री संगण्णा : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सामुदायिक विकास खंडों में सप्लाई की गयी सभी जीप गाड़ियां संबंधित राज्य सरकारें वापस ले रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्फाल नगरपालिका

†२७३७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में इम्फाल नगरपालिका के नगरीय चुनाव अगले साल तक स्थगित कर दिये गये हैं ; और

(ख) आगामी नगरीय चुनाव में मताधिकार के संबंध में क्या कोई निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, हां । इम्फाल नगरपालिका के कमिश्नरों का कार्यकाल ३१ मार्च १९६२ तक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) इस विषय पर विचार हो रहा है ।

अंगूर के उत्पादकों को उर्वरक का संभरण

†२७३८. **श्री वेंकट सुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगूर उत्पादकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक संभारित नहीं किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उर्वरकों के पर्याप्त संभरण के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य की विभिन्न फस्लों के लिये इकट्ठे ही उर्वरक आवंटित कर दिये जाते हैं। अंगूर के उत्पादकों को यथासंभव अधिक से अधिक उर्वरक संभारित करने का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों का काम है ।

(ग) जी नहीं। फिर भी महाराष्ट्र राज्य अंगूर उपादक संस्था ने अन्य बातों के साथ साथ उर्वरक के सभरण के सम्बंध में एक नोट भेजा था ।

माल डिब्बों का संभरण

†२७३९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय के पश्चिम की ओर के प्रत्येक राज्य को कुल १९०० कोयले के माल डिब्बों में से कितने कितने माल डिब्बे आवंटित किये जा रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य को किस प्रकार से यह कोटा दिया जा रहा है ; और

(ग) माल डिब्बों को खाली करने के कोटे के बढ़ाने के सबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). मुगलसराय से ऊपर की ओर के राज्यों के लिये निर्धारित १९०० माल डिब्बों के कोटे में से किसी भी राज्य के लिये अलग रूप से कोटा नहीं दिया गया है ।

(ग) १ जुलाई, १९६१ से इस कोट को बढ़ा कर २१०० माल डिब्बे कर देने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा से दिल्ली को बिजली का संभरण

†२७४०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने यह कहा है कि भाखड़ा से दिल्ली को संभरित की जा रही बिजली की दरों को पुनरीक्षित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दर मांगी जा रही है और उस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फ्लाइंग क्लब

†२७४१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी फ्लाइंग क्लबें चल रही हैं और प्रत्येक क्लब में कितने प्रशिक्षार्थी हैं ; और

(ख) १९६० को उन्हें कितनी सरकारी सहायता दी गयी थी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) इस समय भारत में १७ फ्लाइंग क्लबें चल रही हैं । दिसम्बर, १९६० में जितने प्रशिक्षार्थियों ने उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

हिन्दी प्राविंशल फ्लाइंग क्लब, लखनऊ	८०
बम्बई फ्लाइंग क्लब, बम्बई	१३५
बिहार फ्लाइंग क्लब, पटना	३८
मद्रास फ्लाइंग क्लब, मद्रास	८८
नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर	५२
बंगाल फ्लाइंग क्लब, बैरकपुर (कलकत्ता)	४२
नार्थ इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालन्धर	२४
दिल्ली फ्लाइंग क्लब, नई दिल्ली	५७
राजस्थान फ्लाइंग क्लब, जयपुर	२९
गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर	३३
मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर	३८
आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद	२६
उडीसा फ्लाइंग क्लब, कटक	१६
आसाम फ्लाइंग क्लब, गुहाटी	१४
केरल फ्लाइंग क्लब, त्रिवेंद्रम	१५
गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ौदा	२०
कोयम्बटोर फ्लाइंग क्लब, कोयम्बटोर	९
कुल	७१६

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १-३-१९६० से २८-२-१९६१ तक इन क्लबों को राजकीय सहायता के रूप में १७,०१,६४४ रुपये दिये गये थे। इस अवधि में क्लबों को ८ जहाज भी उधार के रूप में दिये गये थे।

आयुर्वेदिक औषधि संहिता

†२७४२. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि संहिता के निर्माण के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा उस सम्बन्ध में स्थापित उपसमिति ने इस बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। वे अभी विचाराधीन हैं।

चांदपुर (उड़ीसा) में क्षयरोग का अस्पताल

†२७४३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चांदपुर में क्षयरोग के अस्पताल में शैयाओं की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल में शैयाओं को बढ़ाकर कितना कर दिया जायेगा ; और

(ग) उड़ीसा के क्षय रोग के कितने रोगियों ने अभी तक अपने नाम अस्पताल में दाखिल होने के लिये लिखवाए हैं परन्तु उन्हें अभी तक दाखिल नहीं किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ९० अतिरिक्त शैयाओं की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) २७०।

(ग) ४६६

रेलवे में हिन्दी में पत्र

२७४४. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे के वाणिज्यिक विभाग में दावों सम्बन्धी कितने पत्र सन् १९५८, १९५९, १९६० व १९६१ में फरवरी तक हिन्दी में प्राप्त हुए ;

(ख) कितनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया ; और

(ग) यदि सब के उत्तर हिन्दी में नहीं दिये गये तो भविष्य में ऐसा करने के लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). हिन्दी में कितने पत्र आये और उन में से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया, इन के आंकड़े रेलवे प्रशासनों द्वारा अलग से नहीं रखे जाते। हिदायत यह है कि यथा संभव हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाय।

पश्चिम रेलवे के स्कूलों में हिन्दी

२७४५. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर सन् १९५६ से १९६० तक उदयपुर, अजमेर व बलसार रेलवे प्रशिक्षण स्कूलों में कितने उम्मीदवारों को हिन्दी पढ़ाई गई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में से कितने उम्मीदवार अनुत्तीर्ण रहे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १२४३.

(ख) २३७

रेलवे मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार

२७४६. श्री गणपति राम : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार की नियुक्ति का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय कब किया गया था ;

(ग) क्या उक्त पद पर नियुक्ति की जा चुकी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता ।

जिला बोलनगीर (उड़ीसा) में बिजली का संभरण

†२७४७. श्री कुम्भार : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि बोलनगीर जिला, उड़ीसा के सोनपुर नगर के बिजली उपभोक्ताओं से बहुत समय से बिजली संभरण की अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें आ रही हैं ?

(ख) क्या उस बिजलीघर से सबडिवीजनल तथा खण्ड विकास पदाधिकारियों की बस्तियों को बिजली देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ;

(ग) यदि हां, तो बिजली के संभरण की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ;

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सम्बलपुर रोड स्टेशन पर पीने के पानी का संभरण

†२७४८. श्री कुम्भार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित प्राधिकारियों का ध्यान उस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के संबलपुर रोड स्टेशन पर पीने के पानी का संभरण अपर्याप्त है;

(ख) क्या उस स्टेशन पर नल का पानी संभरित करने के सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जी हां। उस स्टेशन पर नलों के पानी के संभरण का कार्य तो राज्य सरकार द्वारा सम्बलपुर नगर में किये जा रहे नलों के पानी के संभरण की व्यवस्था पर निर्भर करता है। राज्य सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से यह निवेदन किया गया है कि वह रेलवे के लिये एक अलग कनेक्शन प्रदान करे और यह मामला विचाराधीन है।

कलकत्ता गोदी में कोयले का लादना तथा उतारना

†२७४९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी में दक्षिण रेलवे कोयले को लादने और उतारने के वर्तमान संविदा प्रबन्धों को समाप्त कर दिया गया है, और उसके स्थान पर जैसा कि ईंधन मितव्ययता समिति ने सुझाव दिया है, एक विभागीय संगठन स्थापित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस सिफ़ारिश को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां। १–३–१९६० से एक विभागीय संगठन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हिमाचल प्रदेश में पेड़ों की बिक्री

२७५०. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ कृषकों ने कुछ वर्ष पूर्व जंगलों से कुछ पेड़ बेचे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन पेड़ों का आधा दाम उन्होंने सरकार के पास जमा करवा दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार की ओर से लगाई गई सारी शर्तें उन्होंने पूरी कर दी थीं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बार-बार मांगने पर भी अभी उनका जमा धन उन्हें लौटाया नहीं गया है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त (क) से (घ) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ङ). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में जल संभरण योजनायें

२७५१. **श्री पद्म देव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जिला महासु (हिमाचल प्रदेश) के ग्राम अढाल, करासा, वाहली लाड़सा आदि में पानी पहुंचाने की जो योजनायें स्वीकार हुई थीं वे अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इन के लिये धन भी स्वीकृत हो गया था और नालियां, टैंक आदि सामान भी खरीदा जा चुका था ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जिला महासु के अढाल और करासा ग्रामों की जल प्रदाय योजना प्रगति पर है । लाड़सा गांव को पानी दिया गया है । वाहली के जल-प्रदाय की एक योजना परीक्षणाधीन है ।

(ख) जी हां । लेकिन अपेक्षित नालियों और टैंकों में से अभी कुछ ही उपलब्ध हैं और शेष को खरीदने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) अढाल और करासा ग्रामों की जल-प्रदाय योजनायें नालियों तथा उन के लगाने की सामग्री की कमी के कारण पूरी नहीं की जा सकीं । वाहली की जल-प्रदाय योजना इसलिये नहीं शुरू की जा सकी क्योंकि जिस स्रोत से पानी लेने का विचार था उस पर पड़ोसी गांवों ने आपत्ति की है । अब इस के बजाय दूसरे स्रोत से पानी लेने की एक नई योजना परीक्षणाधीन है ।

हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र

२७५२. **श्री पद्म देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में अभी तक कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन केन्द्रों में सब उपयुक्त सामग्री विद्यमान है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रों में डाक्टर और नर्स नहीं हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार इस न्यूनता की पूर्ति के लिये क्या पग उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ३० ।

(ख) जी हां, बहुत से केन्द्रों में उपयुक्त सामग्री विद्यमान है ।

(ग) कुछ केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं ।

(घ) डाक्टरों को इस ओर आकर्षित करने के लिये हिमाचल प्रदेश के ग्राम एककों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले सिविल असिस्टेण्ट सर्जन ग्रेड १ तथा सिविल असिस्टेण्ट सर्जन ग्रेड २ के लिये क्रमश: १०० रुपये तथा ५० रुपये मासिक नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है । ग्रामक्षेत्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की ओर आकर्षित करने के लिये उपयुक्त कर्मचारियों को उच्च प्रारम्भिक वेतन भी दिया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

२७५३. **श्री पद्म देव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कितने मील लम्बी सड़कें कोलतार की बनीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कोलतार करने पर उक्त काल में कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या यह कार्य प्रशासन ने स्वयं किया था या ठेकेदारों द्वारा सम्पादित किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

हिमाचल प्रदेश में कुनिहार से बढ़लग तक सड़क

२७५४. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महासु जिला (हिमाचल प्रदेश) की अर्की तहसील में कुनिहार से बढ़लग तक एक दस मील लम्बा मार्ग बनना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विकास खण्ड की ओर से इस कार्य के सम्पादन हेतु दस हजार रुपया दिये भी दो-तीन वर्ष बीत चुके हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जांच करने पर न रुपयों का पता है और न ही मार्ग बना है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) तक का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई पग उठाने का इरादा रखती है, यदि हां, तो क्या ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित पंचायत को १०,००० रुपए की राशि सहायक अनुदान के रूप में १९५८ में दी गई थी ।

(ग) सड़क वास्तव में बनाई गई थी और इस पर किए गए कुल खर्च का अनुमान १०,००० रुपए से काफी अधिक किया जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हस्तिनापुर में चीनी की फैक्टरी

†२७५५. **श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तिनापुर में एक चीनी की मिल की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या पुराना लाइसेंस ही चल रहा है या कि इसके लिये किसी और व्यक्ति को लाइसेन्स जारी किया गया है ।

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हस्तिनापुर में चीनी की मिल की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) पुराने व्यक्ति को जारी किया गया लाइसेन्स अभी तक वैध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में टिटेनस के मामले

†२७५६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के उदर विज्ञान ब्यूरो[1] में अभी तक टिटेनस के कितने मामलों की सूचना मिली है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों का इलाज किया गया था ; और

(ग) उस रोग से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार द्वारा कोई उदर विज्ञान ब्यूरो स्थापित नहीं किया गया है । परन्तु स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय नई दिल्ली में एक व्यापक रोग ब्यरो[2] स्थापित किया गया है और उस का टिटेनस रोग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ओपरेशन

†२७५७. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आपरेशनों के दौरान या उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ;

(ख) क्या उस वर्ष से १९५९ की तुलना में उक्त मामलों की संख्या बढ़ गयी थी ;

(ग) १९६० में असावधानी के कारण कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) इन की रोकथाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में सहकारी खेती

२७५८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहकारी खेती में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सहकारी कृषि समितियों की प्रगति का ब्यौरा बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bureau of Abdomenology.

[2]Bureau of Epidemiology.

टेलीफोन

२७५९. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में टेलीफोन लेने वालों के कितने आवेदन-पत्र विगत तीन सालों में आये ;

(ख) उन में से कितने आदमियों को टेलीफोन दिये गये ;

(ग) क्या कुछ व्यक्तियों को पहले टेलीफोन होने के बावजूद भी नये टेलीफोन कनैक्शन दिये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर ये दिये गये हैं और ऐसे टेलीफोनों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) जिन को अभी तक टेलीफोन नहीं दिये जा सके हैं उनको कब तक टेलीफोन मिल जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३९९८।

(ख) १६५४ ।

(ग) जी हां ।

(घ) टेलीफोन संयोजन देने संबंधी नियमों के अनुसार एक आवेदक को एक से अधिक टेलीफोन देने पर कोई पाबन्दी नहीं है । उसी पार्टी को एक से अधिक टेलीफोन देना प्राय: उस समय अनिवार्य हो जाता है, जबकि वह टेलीफोन बहुत व्यस्त हो और दूसरी पार्टियां यह शिकायत करती हों कि बार-बार प्रयत्न करने पर भी नम्बर नहीं मिलता । एक टेलीफोन पर कालों की अधिकता के कारण ट्रैफिक ग्रुपों में बहुत अधिक काल एकत्र होने की दृष्टि से भी ऐसे आवेदकों को एक से अधिक टेलीफोन देना आवश्यक हो जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार दिये गये टेलीफोनों की संख्या २० है ।

(ङ) जैसे जैसे टेलीफोन संयोजन देने के लिए आवश्यक सामान और केबल-युग्म उपलब्ध होंगे, टेलीफोन लगातार दिये जाते रहेंगे। फिर भी यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों की मांगों को कब तक पूरा किया जा सकेगा ।

कानपुर टेलीफोन एक्सचेंज

२७६०. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर टेलीफोन एक्सचेंज से १ जनवरी, १९६० से अब तक कुल कितने ट्रंक-काल बुक किये गये ;

(ख) उन में से कितने ट्रंक-काल लाइन न मिलने के कारण रद्द कर दिये गये ; और

(ग) इस कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १ जनवरी, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक कानपुर में बुक किये गये ट्रंक कालों की कुल संख्या ४·८२ लाख थी ।

(ख) लाइनों के उपलब्ध न रहने के कारण रद्द किये गये कालों का वर्गीकरण अलग से नहीं रखा गया है, किन्तु विभागीय कारणों से न मिलने के कारण जिन कालों को रद्द कर दिया गया, उनकी संख्या कुल बुक किये गये कालों की १६ प्रतिशत है ।

(ग) कालों को रद्द करने के कारण यदि कोई हानि उठानी पड़ी है तो उसके आंकड़े देना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है ।

कानपुर तथा लखनऊ टेलीफोन एक्सचेंजों की टेलीफोन डायरेक्टरी

२७६१. **श्री जगदीश अवस्थी**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर तथा लखनऊ टेलीफोन एक्सचेंज की डायरेक्टरी कब से पुन: प्रकाशित नहीं हुई है ;

(ख) इसके प्रकाशित न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसके प्रकाशित न होने के कारण विज्ञापनों से होने वाली आय में अनुमानत: कितनी हानि हुई ; और

(घ) अब उसके कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) लखनऊ-कानपुर की टेलीफोन डायरेक्टरी का अन्तिम संस्करण, जिस पर जनवरी, १९६१ की तारीख दी गई है, मार्च, १९६१ में तैयार हो गया था और उसे उपभोक्ताओं को मार्च में ही बांट दिया गया था ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय वन अधिनियम के अधीन मामले

†२७६२. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में भारतीय वन अधिनियम के अधीन त्रिपुरा में कितने मामले प्रारम्भ किये गये हैं ;

(ख) इन मामलों में आदिम जातियों के कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ग) अभी तक कितने व्यक्तियो को दोषी ठहराया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उप-डाकघर, पटनागढ़, उड़ीसा

†२७६३. **श्री कुम्भार :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा सर्कल के बोलनगीर डाक डिवीजन के पटनागढ़ उप डिवीजन के हैड क्वार्टर के उप-डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन कैबिन और मोर्स तार प्रणाली प्रारम्भ करने के संबंध में योजनायें बनायी गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) :** (क) से (घ). उस डाकघर में सार्वजनिक टेलीफोन केबिन लगाने के लिये कोई स्थान नहीं । परन्तु एक पार्टीशन लगाकर सार्वजनिक टेलीफोनों के लिये 'प्राइवेसी' बनाये रखने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

इस सर्कल में मोर्स प्रणाली जानने वाले व्यक्तियों की कमी है। जब वहां ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे, तो मोर्स प्रणाली को लागू कर दिया जायेगा ।

पशु धन

†२७६४. **श्री तंगामणि :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशु धन की सुरक्षा और वृद्धि के लिये केन्द्र द्वारा १९६१–६२ के लिये क्या राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) उस राशि को राज्यवार कैसे बांटा जायेगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). योजना आयोग ने हाल ही में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन पशु चिकित्सा विभाग के लिये ४७७८.०९ लाख रुपयों की व्यवस्था की है और राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे पुनरीक्षित सीमा के अन्दर विभिन्न योजनाओं पर खर्च की व्यवस्था करें। पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन राज्य सरकारें मुख्य ग्रुप (पशु चिकित्सा, गोशालाओं आदि) के अधीन विभिन्न योजनाओं पर खर्च की व्यवस्था कर सकती हैं और विभिन्न योजनाओं के लिये राशि निर्धारित करना उनका काम है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष खर्च को विभिन्न प्रावस्थाओं में विभाजित करना भी राज्य सरकारों का ही काम है। १९६१–६२ में विशिष्ट योजनाओं के लिये आवंटन के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, कार्यकारी दल चर्चा के आधार पर १९६१–६२ के आय व्ययक में १७९ लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है और यह राशि राज्य सरकारों को 'ख' कोटि की योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं के लिये सहायक अनुदान के रूप में देने के लिये है। इस आय व्ययक में पशु चिकित्सा से संबंध रखने वाली 'क' कोटि की योजनाओं के लिये १०१.२७ लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है। दोनों ही मामलों में होने वाले खर्च का संबंध सम्पूर्ण पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी कार्यों से है। केवल पशु धन की सुरक्षा और वृद्धि के लिये निर्धारित राशि को अलग रूप से बताना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा के मेडिकल कालिजों के शिक्षक

†२७६५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने किन परिस्थितियों में उस राज्य में १ फरवरी, १९६१ से मेडिकल कालिजों के शिक्षकों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ;

(ख) उस प्रतिबन्ध को लागू न करने के क्या कारण थे ; और

(ग) उसे कब से लागू किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में मेडिकल कालिज

†२७६६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के मेडिकल कालिजों के शिक्षकों के वेतन क्रम क्या हैं ;

(ख) प्राईवेट प्रेक्टिस की समाप्ति के बाद इन शिक्षकों को कितना वेतन क्रम और व्यवसाय न करने पर भत्ता दिया जायेगा ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद् ने प्राईवेट प्रेक्टिस की समाप्ति पर इन शिक्षकों के लिये क्या वेतन क्रम और भत्ते सुझाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

दिल्ली और नई दिल्ली में नर्सें और हेल्थ विजिटर

†२७६७. **श्री वाजपेयी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में नर्सों और हेल्थ विजिटरों के रूप में चुनाव के लिये अभ्यर्थियों में अपेक्षित शिक्षा अर्हताओं में क्या तुलनात्मक अन्तर है ;

(ख) क्या दोनों कोटियों के अभ्यर्थी पहले १८ महीनों तक बिना किसी अन्तर के लेडी हार्डिंग अस्पताल में रोगियों की सेवा करते हैं ;

(ग) यदि उक्त प्रश्न (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो फिर दोनों कोटियों के अभ्यर्थियों के वेतन में इतना अधिक अन्तर क्यों है ;

(घ) क्या यह सच है कि यद्यपि दोनों के कार्य लगभग एक समान हैं तो भी हेल्थ विजिटर का वेतन नर्सों से बहुत कम है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि हेल्थ विजिटरों को १८ महीनों तक नर्सों के समान ही काम करना पड़ता है तो भी उन्हें कम वेतन अदा किया जाता है और उन्हें तीन साल तक के लिये एक बांड भरना पड़ता है जबकि नर्सों को ऐसा नहीं करना पड़ता; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार हैल्थ विजिटरों के लिये तीन साल की लेबर के बांड को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दोनों के लिये न्यूनतम अर्हता मैट्रिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) अर्हता प्राप्त हेल्थ विजिटरों को अर्हता प्राप्त नर्सों से कम वेतन दिया जाता है क्योंकि दोनों कोटियों के प्रशिक्षण की अवधि और स्वरूप तथा जिम्मेदारियों में अन्तर है ।

(ङ) हेल्थ विजिटरों को तीन वर्षों की सेवा के लिये बांड भरना पड़ता है क्योंकि विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों के लिये ही निर्धारित किया गया था ।

(च) जी, नहीं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नेपाल के त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति

†**श्री गोरे** (पूना): नियम १९७ के अधीन मैं प्रधान मंत्री का ध्यान, नेपाल के त्रिशूली बाजार नामक कस्बे की स्थिति की ओर जिसके कारण ऐसा बताया जाता है कि भारतीय सहायता प्राप्त जल विद्युत् परियोजना के निर्माण कार्य में लगे हुये कुछ भारतीयों ने उस स्थान को खाली कर दिया है, जिसका उक्त परियोजना के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है, आकर्षित करता हूं, और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य भी दें ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)**: नेपाल के पश्चिमी नं० १ जिले में जिसमें त्रिशूली स्थित है, कुछ गांवों में फरवरी, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में कुछ अशांति के समाचार मिले थे । उस क्षेत्र के गांवों के किसान पिछले कुछ दिनों से जमींदारों द्वारा उनपर किये जाने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार की शिकायत कर रहे थे । इस स्थिति का लाभ वहां के अपचारी लोगों ने उठाया और उन्होंने डाके आदि डाले । स्थिति बिगड़ जाने पर नेपाल सरकार ने एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी के अधीन एक पुलिस दस्ता ३ मार्च को भेजा । अब तक तीन व्यक्तियों की मृत्यु, लगभग १ दर्जन मामले लूटमार के, तथा कुछ डाकाजनी की खबरें भी मिली हैं । इन अपचारियों को सामना करने में पुलिस की भी कुछ क्षति हुई है । नेपाली सैनिक टुकड़ियां अब इस क्षेत्र में पहुंच गई हैं और पता चला है कि उन्होंने स्थिति पर काबू पा लिया है । त्रिशूली शांत क्षेत्र है और अशांति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । भारतीय दूतावास के एक पदाधिकारी त्रिशूली गये थे और उन्होंने बताया है कि वहां हमारे सभी व्यक्ति तथा सम्पत्ति सुरक्षित है । एक या दो भारतीय परिवार अपनी मर्जी से वहां से काठमांडू चले गये थे । पता लगा कि वे भी अब त्रिशूली वापस आ रहे हैं । त्रिशूली से भारतीय व्यक्तियों तथा परिवारों के बाहर जाने का कभी भी कोई प्रश्न नहीं रहा है । त्रिशूली में जो भारतीय सहायता प्राप्त विद्युत् जल योजना चल रही है उसका काम रुका नहीं है और सामान्य गति से प्रगति कर रहा है ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत चावल तथा धान (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६० को रद्द करने वाली दिनांक २१ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९०क की एक प्रति सभा पटल पर रख ता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० संख्या २८०२/६१]

राज्य सभा से संदेश

†सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है कि :

"राज्य सभा ने अपनी २८ मार्च, १९६१ की बैठक में मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६० को, जो लोक-सभा द्वारा १५ दिसम्बर, १९६० को पारित किया गया था, संशोधनों सहित पारित कर दिया है और विधेयक को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों से लोक-सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को भेज दी जाये।"

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में

†सचिव : श्रीमान्, मैं मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६१, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटा दिया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

एक सौ नौवां तथा एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(१) प्रतिरक्षा मंत्रालय—नौसैनिक नावांगण, बम्बई के बारे में प्राक्कलन समिति (प्रथम लोक-सभा) को आठवीं प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में एक-सौ-नौवां प्रतिवेदन।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—कहवा बोर्ड, बंगलौर (प्रतिवेदन तथा लेखे) के बारे में एक-सौ-इक्कीसवां प्रतिवेदन।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

†श्री मूलचन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, कल जब बस्तर की निस्बत में कुछ कह रहा था उस समय इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री मुहम्मद इलियास जो हावड़ा से आते हैं, उन्होंने कहा "आपने जबलपुर में राइट कराया है । आप जबलपुर के रायट के लीडर हैं" । कल उस हल्ले में मैं उनके इन वाक्यों को सुन नहीं सका अन्यथा मैं ने कल ही यह प्रश्न उठाया होता । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात जब सदन में कही गई तो उससे व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से, दोनों ही दृष्टियों से, मेरी इज्जत पर आघात हुआ है । शायद माननीय सदस्य जिन्होंने यह कहा वे इस बात को जानते नहीं हैं कि जबलपुर की उन घटनाओं के समय मैं जबलपुर में नहीं था, और उसके बाद जो कुछ मुझ से हो सका शान्ति का प्रयत्न वहां मैंने किया । वे माननीय सदस्य शायद यह भी नहीं जानते हैं कि गत ४० वर्ष से मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता रहा हूं और ३० वर्ष से इस माननीय सदन का एक सदस्य रहा हूं, और इस प्रकार की बात मेरे निस्बत आज तक नहीं कही गयी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो आप उन्हें आदेश दें कि वे अपने इन वाक्यों को वापस लें या यहां की कार्रवाई में से वे वाक्य निकाल दिए जाएं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी आशय का एक पत्र डा० गोविन्द दास की ओर से मुझे मिला भी है । अगर श्री मुहम्मद इलियास ने ऐसा कहा है तो मुझे आशा है कि वह अपने शब्दों को वापस ले लेंगे । क्योंकि कि यह टिप्पणी आपत्तिजनक है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावडा) : जब जबलपुर के झगड़ों सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो माननीय सदस्य विरोधी सदस्यों पर आरोप लगा रहे थे कि वे झगड़ा बढ़ाने के लिये लोगों को उकसा रहे थे । तब मैंने यही कहा था कि "जबलपुर में जो कुछ हुआ है उसके उत्तरदायी आप हैं" । "आप" शब्द से मेरा अभिप्राय सरकार से था जिसकी कि वह बड़ी प्रशंसा कर रहे थे । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैंने उन पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप किया था । मेरा अभिप्राय तो मध्य प्रदेश सरकार से था । जहां तक कि दूसरे वाक्य की बात है कि "आप जबलपुर के राइट के लीडर हैं" । उसके लिये मुझे खेद है और मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं । जहां तक कि पहले वाक्य की बात है कि "आप इसके उत्तरदायी हैं" मैं इन शब्दों को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि ये शब्द मैंने मध्य प्रदेश की सरकार के लिये प्रयोग किये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे प्रसन्नता है कि श्री मुहम्मद इलियास ने अपने शब्द वापस ले लिये हैं । जहां तक कि पहले वाक्य की बात है वह बस इतना ही कह दें कि वह डा० गोविन्द दास के विरुद्ध कहे गये अपने शब्द वापस लेते हैं ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : आप चाहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वह सभी बातें वापस ले लूं । तो मैं उसे भी वापस लेता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुहम्मद इलियास ने अपने शब्द वापस ले लिये हैं । अतः इन शब्दों को वादविवाद से निकाल दिया जायेगा ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : जब मैंने ये शब्द वापस ले लिये हैं तो इन्हें वाद-विवाद से क्यों निकाल दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे तो बात और बिगड़ जायेगी । सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब कोई बात वापस ले ली जाती है तो उसे वादविवाद में से निकाल दिया जाता है । अभिप्राय यह है कि लोग इन शब्दों को न पढ़ें और यह न कहें कि ऐसी अप्रिय बातें कही गईं थी । मेरे द्वारा शब्दों का निकाल देना एक बात है और सदस्य महोदय को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दे कर उनको निकालना एक दूसरी बात है । माननीय सदस्य ने अपने शब्द वापस ले लिये हैं इससे तो इनका सम्मान बढ़ता ही है । शब्दों को निकाल देना तो एक आनुषंगिक कार्यवाही ही है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : आप इन शब्दों को निकाल सकते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि आप मुझे इतना अवसर तो दें कि मैंने जो कुछ कहा है उसे मैं सिद्ध कर सकूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुहम्मद इलियास ने अपने शब्द वापस ले लिये हैं अतः मैं इन शब्दों को वादविवाद से निकाल देता हूं ।

डा० गोविन्द दास : अध्यक्ष जी, मैं आप को धन्यवाद देता हूं और उसी के साथ जिन माननीय सदस्य ने इस प्रकार का आक्षेप किया था उन्होंने उस को वापस लिया इसलिये उन को भी धन्यवाद ।

श्री मुहम्मद इलियास : हम ने कोई आक्षेप नहीं किया है, हम को अगर मौका मिलेगा तो हम प्रूव कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । सभी मामला शांतिपूर्वक हल हो गया है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे मे

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : प्रक्रिया नियम के नियम २२२ के अधीन यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि लोक-सभा में गत सप्ताह से मेरी कार्यवाहियों का हवाला देते हुए २ अप्रैल, १९६१ के "न्यू एज" अखबार में मेरे सम्बन्ध में जो लिखा गया है वह एक संसद्-सदस्य को धुड़की देने का प्रयत्न मात्र ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र की मान्यताओं का अपमान भी करना है । ऐसा किया जाना इस सभा के कार्य संचालन में हस्तक्षेप करता है। यह एक गम्भीर मामला है । उस अखबार में यह भी कहा गया है कि पक्षपात आदमी को ऐसा अंधा बना देता है कि उसके मस्तिष्क का संतुलन समाप्त हो जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली तो मैंने इसकी अच्छी तरह जांच की और पूर्वोदाहरण भी देखा। हमारी सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब कभी कोई अखबार सभा के बारे में अथवा किसी संसद् विशेष के बारे में ऐसी कोई बात कहता है तो हम उसकी चर्चा यह सभा में करने से पूर्व उस अखबार को लिखते हैं । चूंकि श्री हेम बरुआ इस मामले को यहां उठाना चाहते हैं अतः मैं कहूंगा कि सर्वप्रथम इस मामले की ओर उस पत्र के सम्पादक का ध्यान आकृष्ट करूंगा । उसका उत्तर आ जाने के बाद मैं इस मामले पर विचार करूंगा । इस सम्बन्ध में मैं अभी कोई राय देने के बजाय गत परम्परा के अनुसार ऐसा ही किया जाना उचित होगा ।

अगर श्री बरुआ ने यह प्रश्न न उठाया होता तो मैं यह मामला सीधे सम्पादक के पास भेज देता । लेकिन फिर भी उन्होंने यदि यह मामला उठा दिया है तो भी कोई बात नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

है । लेकिन चूंकि उन्होंने यह मामला उठा दिया है। अतः मैं इस पर विचार करूंगा कि इसके लिए अनुमति दी जाये अथवा नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह मेरे व्यक्तिगत अधिकार का प्रश्न नहीं है यह सभा के अधिकारों का प्रश्नों है, कृपया आप इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला इस पत्र के सम्पादक को भेजा जायेगा और उससे इसका स्पष्टीकरण मांगा जायेगा ।

†**श्री त० ब०विट्ठल राव** (खम्मम) : आप निस्सन्देह इसे इस पत्र के सम्पादक को भेज सकते हैं तथापि वह इस समय पार्टी कांग्रेस के सिलसिले में विजयवाड़ा गये हुए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब इसे उनके छपे हुए पते पर भेज दिया जायेगा। हमें इस सम्बन्ध में कोई शीघ्रता नहीं है क्योंकि हमारा सत्र ५ मई तक चलेगा।

अनुदानों की मांगें--जारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी ।

वर्ष १९६१-६२ के लिये श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६७	श्रम और रोजगार मंत्रालय	२६,२६,०००
६८	मुख्य खान निरीक्षक .	२१,१८,०००
६९	श्रम और रोजगार	५,३२,१५,०००
७०	श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	९६,०००
१२९	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	७,२२,०००

†**श्रम और योजना तथा रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं आपको श्रम संबंधी नीति और श्रम प्रशासन के संबंध में कुछ प्रमुख बातें बताना चाहता हूं जिससे कि इस विषय पर चर्चा के लिये पृष्ठ भूमि तैयार हो सके ।

मैं सबसे पहले रोजगार का प्रश्न लेता हूं । इस संबंध में हमारे देशवासियों के हृदय में बहुत चिन्ता फैली हुई है । हमारी योजनाओं का यह प्रमुख उद्देश्य है कि रोजगार के

---

†मूल अंग्रेजी में

उपयुक्त साधनों की व्यवस्था हो सके। यह सिद्ध हुआ है कि इस संबंध में हमारी अर्थव्यवस्था सफल नहीं रही है ।

तथापि हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि प्रतिवर्ष अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता जा रहा है । तथापि ऐसे व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है । हमें स्थिति के नतीजों की ओर गौर करना चाहिये ।

आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं में अनिवार्य रूप से विकास होगा। इस प्रश्न के कई पहलू हैं अतः हमें इस प्रश्न को व्यापक पृष्ठ भूमि में रख कर विचार करना होगा । जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है उसका एक विशिष्ट कार्य है। उन लोगों को सेवायें तथा सुविधायें प्रस्तुत करना जो अपना नाम रोजगार दफ्तरों में पंजीयित करवाते हैं। जिस से कि उन्हें उपलब्ध नौकरियां मिल सकें। इस के साथ साथ नौकरी के उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है। विभाग व्यवसायिक परीक्षायें लेने की भी व्यवस्था कर रहा है । मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य टैक्नीकल व्यक्तियों और दस्तकारों को प्रशिक्षण देना भी है क्योंकि कई प्रकार के उद्योगों में उनकी आवश्यकता होती है मंत्रालय इस प्रकार के कार्य का विस्तार करता जा रहा है ।

दूसरी योजना के प्रारम्भ में इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये १०,००० व्यक्तियों के लिये सुविधायें प्राप्त थीं। योजना के अंत में ४८,५३२ व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की गयीं। दूसरी योजना में इस कार्य में १३ करोड़ रुपये व्यय किये गये और तीसरी योजना में इस कार्य में ४५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। अब इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रशिक्षकों के स्तर तथा उपकरणों के प्रकार में यथा संभव सुधार किया जाय।

इतना ही काफी नहीं है कि हम इन संस्थाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। इस उद्देश्य से कि ये प्रशिक्षित व्यक्ति और कारीगर अपना कार्य भली प्रकार कर सकें इस बात की आवश्यकता है कि औद्योगिक उपक्रमों में उन के शिक्षण की व्यवस्था की जाये। अभी तक यह स्वच्छा के आधार पर थी तथापि इस कार्य में हमें कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ है। यद्यपि ७००० प्रशिक्षणर्थियों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य रखा गया था तथापि केवल १२५० व्यक्तियों को शिक्षा मिल सकी। अतः इसे अनिवार्य बनाने तथा इस संबंध में विधान बनाने का निश्चय किया गया है ।

(श्री मूल चंद दुबे पीठासीन हुये)

हमें यह ज्ञात हुआ है कि रोजगार तथा बेकारी के संबंध में हमें आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है । अतः स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है । अतः इस बात की कोशिश की गयी है कि हमें रोजगार की क्षमता का यथा संभव सही पता लग सके। अतः रोजगार बाजार सूचना केन्द्र खोल दिये गये हैं। सरकारी उपक्रमों में यह कार्य पूरा हो गया है गैर सरकारी क्षेत्रों में १५२ केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। तीसरी योजना के अंत तक समस्त क्षेत्रों में इनका विस्तार कर दिया जायेगा।

इस से यह ज्ञात हो सकेगा कि किन किन केन्द्रों म रोजगार की क्षमता में वृद्धि हो रही है । इस से हम स्थिति का सही निरूपण कर सकेंगे और इससे रोजगार की प्रवृति उसकी आवश्यकताओं मांग और संभरण इत्यादि का सही पता लग सकेगा ।

जानकारी का उपयोग हम कारीगरों को प्रशिक्षण देने तथा किसी अवांछनीय स्थित का निराकरण करने के लिये कर सकेंगे ।

इससे जो तथ्य ज्ञात हुए हैं वे इस प्रकार हैं । सरकारी क्षेत्र में पिछले ४ वर्षों में प्रति वर्ष औसतन ६.८ प्रतिशत के हिसाब से रोजगार में वृद्धि हुई है । गैर सरकारी क्षेत्र में से जो सीमित जानकारी हमें उपलब्ध हुई है उस से ज्ञात हुआ है कि उस क्षेत्र में रोजगार की ४.८ प्रतिशत वृद्धि हुई है । अन्य क्षेत्रों से जो जानकारी हमें उपलब्ध हुई है उस के अनुसार संगठित क्षेत्रों में उद्योगों इत्यादि में १९५१ से १९५९ के बीच में २.३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सरकारी क्षेत्र में यह वृद्धि ३.७५ प्रतिशत है ।

मैं ने उक्त आंकड़े उस बात की पुष्टि के लिये दिये हैं कि प्रतिवर्ष रोजगार में वृद्धि हो रही है । यह स्वाभाविक है क्योंकि हमारा कार्य भी बढ़ता जा रहा है ।

तथापि समस्या केवल इतनी ही नहीं है । बेकारी का एक अन्य पहलू भी है । बेकारी के संबंध में हमें जानकारी रोजगार दफ्तरों और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त होती है । रोजगार दफ्तरों की जानकारी के अनुसार चालू रजिस्टरों में नौकरी के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है । यह वृद्धि २२ प्रतिशत के लगभग है । इसका यह कारण है कि प्रतिमाह रिक्त स्थानों की संख्या , रजिस्टर हुए उम्मीदवारों से बहुत कम रहती है, और इस प्रकार यह संख्या बढ़ती चली जाती है। और नौकरी में लगे हुए तथा रजिस्टर हुए व्यक्तियों की संख्या में अन्तर अधिकाधिक होता जाता है ।

अब यह प्रश्न पैदा होता है कि हम इस स्थिति का सामना किस प्रकार कर सकते हैं। यह समस्या देश के विकास की गति पर निर्भर है । दूसरी योजना के दौरान हम नये उम्मीदवारों को काम नहीं दिला सके उस से बेकारों की संख्या में और भी वृद्धि हो गयी है। तीसरी योजना की स्थिति यह है कि जन संख्या की वृद्धि के आधार पर हम ने जिन १५० लाख उम्मीदवारों का अनुमान लगाया था, उस में से हमारे द्वारा लगायी गयी पूंजी के आधार पर १४० लाख व्यक्तियों को काम मिल सकेगा । तथापि अपने कार्यों में और गहनता लाकर तथा कुछ अग्रिम परियोजनाओं में बेकार जनशक्ति का उपयोग कर हम १५० लाख व्यक्तियों को रोजगार देने में सफल हो सकेंगे ।

हमारा यह भी विचार है कि उत्पादन के स्वरूप पर अधिक गौर किया जाय और जहां कहीं भी संभव हो वहां कुशलता पर आघात किये बिना पूंजी को उस प्रकार लगाया जाये कि उस से अधिकाधिक मजदूरों की खपत हो सके। अभी तक यह स्थिति थी । तथापि जन संख्या के नवीन आंकड़ों के प्राप्त होने पर यह स्थिति और भी कठिन हो गयी है ।

अब मैं रोजगार के एक दो विशेष पहलूओं को लेता हूं । एक तो यह कि बड़ी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य समाप्त होने पर वहां पर काम में लगे हुए व्यक्ति खाली हो जाते हैं । दूसरा यह कि कई चालू संस्थायें बन्द हो जाती हैं। और इस प्रकार कठिनाई पैदा हो जाती है ।

हम ने इन लोगों के सहायतार्थ मंत्रालय में विशेष व्यवस्था की है। परियोजनाओं में लगे हुए व्यक्तियों के संबंध में लिये अतिरिक्त कर्मचारियों के रोजगार के उद्देश्य से एक विशेष प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है जिस ने अच्छा कार्य किया है । स्थिति यह है कि

लगभग उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने वैकल्पिक स्थानों के लिये आवेदन दिया था काम दिया जा चुका है । तथापि अन्य परियोजनाओं में भी यही स्थिति हो सकती है।

तालाबन्दी की स्थिति कुछ दिशाओं मे अच्छी है । तथापि यह समस्या स्थायी है क्योंकि किसी भी उद्योग के लिये यह स्थिति पैदा हो सकती है कि उसे तालाबन्दी करनी पड़े । इस समस्या पर भारतीय श्रम सम्मेलन के एक सत्र पर विचार भी किया गया। यह सुझाव रखा गया कि इस प्रयोजन के लिये एक ऐसे अवसरों पर उद्योगों को अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिये तथा बेकार हुए मजदूरों की सहायता के लिये एक निधि की स्थापना की जाये । यद्यपि इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तथापि इस संबंध में कई कठिनाइयां हमारे सामने हैं ।

इस विषय की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिये कि हम इसे व्यापक समस्या से पृथक कर के देखें और ताला बन्दी से बेकार हो जाने वाले श्रमिकों के सहायतार्थ कुछ न कुछ करें। कई मामलों में उनकी बकाया मजूरी का भी भुगतान नहीं किया जाता है और उन्हें छंटनी प्रतिकर इत्यादि भी नहीं दिया जाता है । अतः इस समय यह योजना केवल मजदूरों को सहायता देने तक ही सीमित रखी जा रही है । यदि उनकी कुछ बकाया राशि है तो हम उन्हें इस प्रकार की ऋण सुविधायें दे सकते हैं जिनसे वे ऐसे स्थानों को जा सकें जहां काम उपलब्ध हो ।

अब मैं मजूरी का प्रश्न लेता हूं । मजदूर वर्ग का यह स्वाभाविक प्रश्न है कि देश के विकास का उनके जीवन स्तर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है । पिछले वर्ष मुझे विवश होकर उन भ्रान्तियों को दूर करना पड़ा जो कि मजूरी वृद्धि या मजूरी बोर्ड के कार्य के संबंध में रखे गये थे । अब हम व्यवहारिक रूप से यह सिद्धांत स्वीकार कर चुके हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में मजूरी बोर्ड का होना आवश्यक है और मजूरों के विवादों का निबटारा करने के लिये यह एक उचित तरीका है ।

कुछ क्षेत्रों में उस प्रकार की भ्रान्ति भी है कि औद्योगिक श्रमिकों को बहुत सुविधायें दी जा रही हैं और उनके साथ अत्यधिक उदारता का व्यवहार किया जा रहा है । जब कि मजदूरों के प्रतिनिधि सोचते हैं कि उनके साथ न्यायोचित व्यवहार नही किया जाता है । मैं ने इस बात का प्रयत्न किया है कि सही स्थिति का पता लगाया जाय। १९५९ के आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि आय में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि जीवन निर्वाह व्यय में ४ प्रतिशत से कुछ कम की वृद्धि हुई है । यह आंकड़े १९५८–५९ के हैं । मैं आशा करता हूं कि १९६० में मजूरी बोर्डों के कारण मजदूरों की स्थिति में अवश्य सुधार हुआ होगा । सूती वस्त्र बोर्डों के कारण मजूरी में ८.६ प्रतिशत से २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सीमेंट के उद्योग में एक स्थान पर १९ से २६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य स्थानों में, से १०० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। चीनी उद्योग में उत्तरी क्षेत्र में २०.६ से ३८ प्रतिशत तक, मध्य क्षेत्र में १० से ४३.४ प्रतिशत, दक्षिण क्षेत्र में ८ से ७०.२ प्रतिशत और महाराष्ट्र क्षेत्र में २२.५ से ११७.५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है इससे १.९ लाख कर्मचारी प्रभावित होते हैं ? जूट उद्योग में भी अन्तरिम सहायता दी गयी है । हमें बागान उद्योग के संबंध में भी प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त होगा इस संबंध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में भी मजूरी बोर्ड की स्थापना शीघ्र की जायेगी। श्रम सम्मेलन में जिन उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड की मांग रखी गयी थी उन उद्योगों के लिये लगभग यह मांग पूरी की जा चुकी है । लोहा और इस्पात उद्योग के विषय में भी मजूरी बोर्ड की स्थापना शीघ्र की जायेगी । इंजीनियरिंग उद्योगों के

बारे में भी मजूरी बोर्ड की स्थापना का शीघ्र विचार किया जा रहा है माननीय सदस्यों को यह जानना चाहिये कि मजूरी बोर्ड की स्थापना का कार्य आसान नहीं है । हमें बोर्ड के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करना होता है प्रतिवेदन के पश्चात् फिर विरोध प्रारम्भ होता है । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में स्थिति में सुधार होगा तथापि सरकार के संकल्प के बावजूद भी चीनी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया ।

मजूरी के बारे में मैं बता चुका हूं । ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मजूरियां मजूरी बोर्ड की सिफारिशों तथा प्रतिवेदनों पर ही आधारित है । यह मामले सर्वदा न्यायनिर्णयन के लिए प्रस्तुत किए जाते रहे हैं और पंचाट दिए जाते रहे हैं । १९६० में लगभग ४० प्रतिशत मामलों में ३५७८ पंचाट दिए गए थे । माननीय सदस्य संभवतया हमारे द्वारा प्रकाशित आंकड़ों को भी देखते रहे हैं । मैं बताना चाहता हूं कि १९५१ से १९५९ तक के सभी मामलों पर मैं सावधानी से विचार करता रहा हूं और मैं ने देखा है कि इसी अवधि में ४६ प्रतिशत धन की आय तथा वास्तविक आय २७ प्रतिशत हमें दी गई है ।

उदाहरण के लिए कोयला उद्योग को ले लीजिए । आरंभ में उनका स्तर बहुत ही कम था। परन्तु अब ११० प्रतिशत मजूरी में वृद्धि तथा ८३ प्रतिशत वास्तविक आय में वृद्धि हो गई है। मैं समझत हूं कि सभा को इन आंकड़ों से सभी बातें स्पष्टतः ज्ञात हो गई हैं और इस से अधिक आंकड़े बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु फिर भी इतना बताना आवश्यक है कि पिछले दो अथवा तीन वर्षों में आमदन बढ़ जाने पर भी वास्तविक आय में कमी हुई है। मैं मानता हूं कि मजदूरों को भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजूरी मिलनी चाहिए । परन्तु प्रश्न यही सामने आता है कि मजदूरों को वह मजूरी किस प्रकार मिल सकेगी । यदि वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं तो मजदूरों को मजूरी बढ़ाने पर भी कोई लाभ नहीं होता है १९५८-५९ में ऐसा हुआ है । आमदनी ६ प्रतिशत बढ़ जाने पर वस्तुओं के मूल्य अधिक हो जाने के कारण वास्तविक आय कम ही रही । इसलिए हमारे सामने केवल यही प्रश्न बार बार आता है कि उनका जीवन स्तर किस प्रकार ऊंचा उठायें । थोड़ा सा धन दे कर उनका जीवन स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता है । उनका जीवन स्तर तो तभी बढ़ सकता है जब देश की उत्पादन क्षमता बढ़ जाये । इससे स्पष्टतया मालूम हो जाता है यह समस्या उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई देती है ।

यह सच है कि उत्पादन क्षमता ३ प्रतिशत वार्षिक बढ़ रही है परन्तु हमने इसको जितना बढ़ाना है यह उतनी नहीं बढ़ रही है । इसके लिए हमें तरीके ढूंढ़ने पड़ेंगे ।

अब मैं औद्योगिक संबंधों के बारे में कुछ कहूंगा । जब भी कभी मजदूरों के बारे में चर्चा होती है तभी यह प्रश्न सामने आ जाता है क्योंकि औद्योगिक सम्बन्ध शांतिपूर्ण होने पर ही प्रगति होती है। यदि औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे न होंगे तो आदमियों के काम के घंटे कम हो जाते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं बताना चाहता हूं कि १९५९ की तुलनना में अब काम के घंटों की हानि कम होने लगी है । ५६ से अब यह ४८ लाख घंटे हो गये हैं अर्थात् हम १४ प्रतिशत काम के घंटों में काम करा पाये हैं । यदि १९५८ के आंकड़े देखें तो पता लगता है कि ३८ प्रतिशत काम के घंटों में हम करा पाये हैं । किसी एक कारण से ऐसा होना संभव नहीं हो सकता है । ऐसा होने के कितने ही कारण

हैं और उन में से एक कारण है अनुशासन संहिता का लागू किया जाना। इससे मजदूरों, मालिकों तथा सरकार पर यह जिम्मेदारी आ पड़ी कि हड़ताल आदि न होने दें। यद्यपि अनुशासन संहिता के लागू किए जाने में पहले हिचकिचाहट जाहिर की गई थी परन्तु अब सभी मजदूर, मालिक आदि ने इसको स्वीकार कर लिया है। सरकारी क्षेत्र में तो यह सभी स्थानों पर लागू है। गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल दो अथवा तीन मामले ऐसे हैं जिनमें में अभी यह लागू नहीं है। इस संहिता का अब बहुत उपयोग किया जाने लगा है और इसके द्वारा बड़ा संतोषजनक काम हो रहा है। कितने ही मामलों में पत्रों में पक्षों में मिलजुल कर बातचीत करके अपने विवाद हल कर लिए हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि होने वाली हड़तालों में से लगभग २४ हड़तालें. हड़ताल रोकने वाली व्यवस्था के कारण नहीं हुई हैं। २१ मामले न्यायालय में जाये बिना ही आपस में निबटा लिए गए हैं। इससे पता लग जाता है कि देश में एक अच्छा वातावरण अनुशासन संहिता ने पैदा कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इसके और भी सुन्दर परिणाम निकलेंगे।

इसी सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने कुछ नई बातें भी की हैं। जैसे मजदूरों द्वारा कारखाने के प्रबन्ध में भाग लेना। मैं समझता हूं कि समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना में आवश्यक है कि मजदूर प्रबन्ध में भाग लें। जब ऐसा हो जायेगा तभी मजदूर अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और अपना सहयोग देंगे। हमने २३ कारखानों में यह प्रयोग किया है और वहां से इस व्यवस्था के अच्छे परिणामों का समाचार मिला है। इसीलिए हम विचार कर रहे हैं कि अन्य कारखानों में भी यह व्यवस्था की जाये। मालिकों, मजदूरों तथा सरकार के सभी प्रतिनिधियों ने बताया है कि ऐसी व्यवस्था से उत्पादन बढ़ा है तथा संबंधों में बहुत सुधार हुए हैं। इसलिए हमें इस ओर और तेजी से बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं जिससे मजदूर अपनी जिम्मेदारी समझें और उत्पादन में वृद्धि हो। आरंभ में हमारे पास १२०० प्रशिक्षित मजदूर थे और अब हमारा विचार तीसरी योजना में १० लाख मजदूरों को प्रशिक्षित कर देने का है। पिछले वर्ष इस पर २० लाख रुपये का व्यय हुआ था जो तीसरी योजहा में २ करोड़ रुपये हो जायेगा।

माननीय सदस्यों ने मजदूरों की सुरक्षा के बारे में कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमारा भी पूरा ध्यान इनकी सुरक्षा की ओर रहता है क्योंकि यही लोग अपनी जान हथेली पर रख कर कारखानों में काम करते हैं। मैं समझता हूं कि खान मजदूरों की हालत पहले से अब बहुत सुधर गई है क्योंकि आप देखिये कि कई वर्षों से कोई घातक दुर्घटना खानों में नहीं हुई है। परन्तु इसका हमें अवश्य खेद है कि कारखानों में दुघटनाओं की संख्या कम नहीं हुई है।

श्रम मंत्रालय द्वारा श्रम अनुसंधान के बारे में कुछ कार्य किया जा रहा है। में बताना चाहता हूं कि औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ औद्योगिक समस्यायें भी बढ़ती जाती हैं और आवश्यक हो जाता है कि उनके बारे में जानकारी की जाये। इसलिये श्रम के मामलों के बारे में अनुसंधान कनेर के लिये एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है जिसमें सरकार, मालिक, तथा कार्मिक संघों के प्रतिनिधि होंगे।

अन्त में मैं यही आशा करता हूं कि माननीय सदस्य हमारे विशाल उद्देश्यों को देखते हुये हमारी [illegible] समझेंगे।

†श्री अन्थनी पिल्लै (मद्रास उत्तर): सभापति महोदय माननीय मंत्री ने बताया है कि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वास्तविक मजूरी का रक्षण करने में एक सीमा तक सफलता मिली है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं। उदाहरण के लिए में सरकारी क्षेत्र के आंकड़े बताता हूं। मद्रास नगर के रेलवे मजदूर को १९५५ में ८० रुपये मिलते थे। इसके साथ साथ सरकार को आंकड़ों के अनुसार निर्वाह व्यय देशनांक उस समय से अब तक २५ प्रतिशत बढ़ गए हैं और इन ८० रुपए वेतन को बढ़ा कर इसके अनुसार १०० रुपए कर देना चाहिए था। परन्तु दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह वेतन १०० रुपए न करके ९० रुपए किए गए हैं।

अब तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के वेतन लीजिये। १९५५ में उसको १२५ रुपये मिलते थे परन्तु वेतन आयोग की सिफारिशों के द्वारा उसको केवल १० रुपये मिलगे जबकि देशनांक के अनुसार उसको ३२ रुपये ज्यादा मिलने चाहिए।

अब मैं कपड़ा उद्योग में मजूरी के बारे में बताता हूं। कपड़ा उयोग में मजूरी बोर्ड ने कुछ प्रदेशों में ८ रुपय तथा कुछ प्रदेशों में ६ रुपय बढ़ाने की सिफारिश की है। मेरे विचार से यह वृद्धि बहुत ही कम है और इसको और बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री ने चीनी मजूरी बोर्ड की वास्तविक मजूरी का जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि मद्रास राज्य के चीनी कारखानों के किसी भी कर्मचारी को एक नया पैसा भी मजूरी नहीं मिलेगी। इसलिये मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह कृपया यह न समझे कि औद्योगिक कर्मचारियों की वास्तविक मजूरी बढ़ गई है। उन्हें तो यह प्रयत्न करना चाहिए कि मजदूरों की वास्तविक मजूरी की स्थिति को और गिरने से बचाये। किसी भी मजूरी बोर्ड ने यह सिफारिश नहीं की है कि निर्वाह व्यय की वृद्धि को पूर्ण रूप से सन्तुलित किया जाये। श्रम मंत्रालय को इसलिये ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिये अथवा ऐसा कोई विधान बनाना चाहिये जिससे सभी मजूरी बोर्ड निर्वाह व्यय के पूर्ण सन्तुलन की सिफारिश कर दें।

यह बड़े ही खेद की बात है कि सरकार स्वयं ही सिद्धांत के अनुसार महंगाई भता नहीं बढ़ा रही है। माननीय मंत्री ने त्रिदलीय संस्थाओं के द्वारा समस्याओं को सुलझाने की बड़ी तारीफ की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इन निर्णयों के कारण मजदूर को बहुत कम लाभ होता है उन्हें बाध्य होकर इन निर्णयों को स्वीकार करना होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कपड़ा मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के अनुसार ही इन मजूरी बोर्डों की सिफारिशें भी लागू की जानी चाहियें।

हमने वायदा किया था कि दूसरी योजना में वास्तविक मजूरी का स्तर बढ़ जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल की जिसको कठोरता से दबा दिया गया। इस हड़ताल को तथा इसी प्रकार की अन्य हड़तालों को आप दबा सकते हैं परन्तु इसका ध्यान कीजिये इसका प्रभाव क्या होता है। इसका प्रभाव हमने नई दिल्ली के चुनावों में देख लिया है कि प्रतिक्रियावादी संस्था ने इस प्रभाव का कितना लाभ उठाया है।

मेरा सुझाव है कि एक मजूरी बोर्ड विधान बनाया जाना चाहिये तथा अब तक के मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को विधान का रूप दिया जाना चाहिये जिससे उनको पूरी तरह लागू किया जा सके। इस विधान में यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि प्रत्येक वेतनक्रम का शत प्रतिशत सन्तुलन हो। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार न्यूनतम वेतन २७५ रुपये किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने भारी इंजीनियरिंग उद्योग जैसे इस्पात के लिए मजूरी बोर्ड बनाने का निर्णय कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिये भी मजूरी बोर्ड बनाया जायेगा।

माननीय मंत्री ने बताया कि उत्पादन क्षमता ३ प्रतिशत वार्षिक बढ़ गई है। मैं जानता हूं कि इस कम बढ़ोतरी के कारण ही मजूरी नहीं बढ़ाई जाती है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका यह समझना गलत है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी को ले लीजिये। हमारी सरकार स्वयं यह कहती है कि वहां पर उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई है। परन्तु वहां पर भी मजूरी नहीं बढ़ाई गई है।

मैं एक और उदाहरण देता हूं। दक्षिण के बाईसिकल उद्योग को लीजिये। मालिकों ने बताया है कि इस उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। परन्तु मजूरी नहीं बढ़ाई गई। मजदूरों ने मामला न्याय निर्णय के लिये प्रस्तुत किया। परन्तु सरकार ने ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी और प्रयत्न नहीं किया गया जिससे मजूरी बढ़ जाये।

एक वर्ष से पूर्व मजदूरों को प्रोत्साहित करने के बारे में मैंने पूछा था। मैं देखता हूं कि मेरे उस प्रश्न का उत्तर अब दिया गया है और बताया गया है कि परिवहन, इंजीनियरिंग आदि उद्योगों में उत्पादन क्षमता पर्याप्त बढ़ गई है। सरकार का यह हाल है कि एक बात बताने में उसको एक वर्ष लग जाता है।

मंत्रालय की कार्य शिथिलता का मैं एक और उदाहरण देता हूं। २ १/२ वर्ष पूर्व बम्बई, मद्रास के समान ही कलकत्ते में भी प्रोत्साहन की योजना बनाई गई थी। परन्तु उस योजना को अब तक लागू नहीं किया गया है। मैं इसकी जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय पर ही डालता हूं।

विधि में व्यवस्था है कि समय समय पर न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। परन्तु २ रुपये प्रतिदिन की मजूरी १९५८ में निश्चित की गई थी जिसको आज तक नहीं बदला गया है।

मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे वेतन आयोग द्वारा वेतनों को उचित स्तर का न बनाने के कारण बड़ा असन्तोष है। और अलग अलग स्थानों के वेतन क्रम भी अलग अलग हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि अब जनगणना के अनुसार बड़ी जनसंख्या के आधार पर दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई नगरों का प्रतिकर भत्ता बढ़ा दिया जाना चाहिये। मकानों के किराये बढ़ जाने के कारण सरकार को मकान किराया बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं श्रम मंत्रालय की मांगों पर बोलने से पहले, पूना की एक घटना की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले महीने ७ तारीख को पूज्य पन्त जी के निधन का दुःसंवाद पूना के युद्ध सामग्री कारखानों में ४ बजे शाम तक भी नहीं पहुंचा और इसीलिये वे कारखाने बन्द नहीं हुये। जबकि अन्य सभी सरकारी विभाग सुबह दस बजे ही बन्द हो गये थे। यह बड़ी गम्भीर चीज है। इसका कारण पता लगाया जाना चाहिये। और इसके लिये कसूरवार व्यक्तियों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये।

श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिये कई काम किये हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है—अनुशासन संबंधी काम, जिसके परिणामस्वरूप काम बन्दी की घटनायें पहले से बहुत कम हो गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० मेल कोटे]

मंत्रालय ने शिक्षा संबंधी योजना को भी कार्यान्वित किया है। मंत्रालय इसके लिये बधाई का पात्र है।

मंत्रालय ने कई मजूरी बोर्ड भी नियुक्त किये हैं। उनमें से कई बोर्ड अपने फैसले भी दे चुके हैं। अब उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिय। साथ ही, कोयला खनिकों के लिये भी एक मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाना चाहिये। मंत्रालय को कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये।

श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में हाथ बंटाने की योजना की कार्यान्विति में भी काफी प्रगति हुई है।

इन सभी पर श्रम मंत्रालय गर्व कर सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश की जन-संख्या के साथ-साथ बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारी अर्थ-व्यवस्था रोजगार की पर्याप्त संभावनाय जुटाने में असमर्थ है।

देश के योजनापूर्ण विकास के साथ-साथ, निर्वाह लागत भी बढ़ती चली जा रही है।

सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि रोजगार की व्यापक संभावनाय पैदा की जाये। इसीलिये हमें छोटे उद्योगों और अन्य उद्योगों के विकास पर जोर देना चाहिये।

माननीय श्रम मंत्री ने स्वय स्वीकार किया है कि निर्वाह लागत के अनुपात में वास्तविक मजूरी नहीं बढ़ी है। इसलिय सरकार को मूल्य नियंत्रित करने के लिये कुछ कारगर उपाय करने चाहिये।

हमारे देश के बड़े बड़े शहरों का आकार बहुत बढ़ गया है। पहले से जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उससे निर्वाह लागत की वृद्धि की पूर्ति नहीं होती। सरकार को इस प्रकार से वास्तविक मजूरी में कमी नहीं होने देनी चाहिये।

मंत्री ने कहा है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन हुआ यह है कि जो साधारण लोग कराधान का अधिकांश बोझ संभाले हुए थे, उन पर ही और अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाये जा रहे हैं। उसलिये साधारण जनता की हालत बद से बदतर होती जा रही है।

पिछली केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल उसी आर्थिक तंगी के कारण हुई थी। लेकिन मैं देखता हूं कि औद्योगिक ही नहीं, प्रशासकीय क्षेत्रों के सरकारी अधिकारी भी अपने कर्मचारियों की परवाह नहीं करते। वे कहते हैं कि जिन युनियनों की मान्यता छीन ली गई है, उन के प्रतिनिधियों से वे बात तक नहीं कर सकते। लगता है वे दण्ड देने के मामले में कर्मचारियों से जैसे बदला निकाल रहे हैं।

आशा है कि सरकार ह्विटले परिषदों की स्थापना का काम तेजी से शुरू करेगी।

डाक-तार, रेलवेज या प्रतिरक्षा विभाग भी श्रम-विधियों का पालन नहीं करते। और श्रम विभाग हाथ पर हाथ धरे देखता रहता है।

द्वितीय वेतन आयोग के पंचाट को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

त्रिदलीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिक कल्याण अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी। उसकी सिफारिश थी कि समझोता अधिकारियों और श्रमिक कल्याण अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार का हर मंत्रालय अपने लिये श्रमिक कल्याण अधिकारियों का चुनाव अलग से क्यों करता है। सभी मंत्रालयों के लिये एक ही निकाय द्वारा चुनाव किया जाना चाहिये। उस में सहकार्य अपेक्षित है।

मूल्य वृद्धि का सब से अधिक प्रभाव मध्यवर्गीय जनता पर ही पड़ा है। निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में कुछ अधिकारियों के वेतन बहुत ऊंचे हैं। श्रम मंत्रालय को उन पर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): खेद की बात है कि श्रम मंत्रालय जुलाई, १९६० में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के समय अपना कर्त्तव्य पूरी तौर से निभाने में चूक गया। यदि मंत्रालय ठीक ढंग से चलता, तो वह हड़ताल न हो पाती।

हड़ताल के दौरान में कर्मचारियों ने जो मांगें रखी थीं; उन पर कम से कम अब तो विचार किया जाना चाहिये। उन की मुख्य मांगें यही तो थीं कि या तो मूल्यों में स्थायित्व लाया जाये, या मूल्य-वृद्धि के अनुपात से मंहगाई भत्ता दिया जाय। इसमें बेजा क्या है? सरकार ६०,८०,००,००० रुपयों का अतिरिक्त कराधान कर रही है। उस से मूल्य तो बढ़ेंगे ही।

मंत्रालय को निष्क्रियता से देखते हुए नहीं रहना चाहिये। यदि प्रबन्धक गण मजूरी बोर्ड के पंचाटों को कार्यान्वित न करे, तो मंत्रालय को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिये। कानपुर में सभी सूती कपड़े के कारखानों के मालिक मजूरी बोर्ड के पंचाटों की परवाह नहीं करते। दोनों जूट मिलों ने जूट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर अमल नहीं किया है। फिर श्रम-मंत्रालय है किसलिये?

उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री ने पिछले महीने कार्यान्वयन समिति की बैठक में जोर दिया था कि जूट मिल-मालिक उन को कार्यान्वित करें, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। कानपुर की स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड सरकारी बकाया राशियों की अदायगी न करने के लिये काफी बदनाम है। वह कर अदा नहीं करती, बस चुनाव के समय कांग्रेस को चन्दा दे देती है।

आप इस मिल का सन्तुलन-पत्र देखिये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा।

१९५२ में कानपुर में एक हड़ताल हुई थी, जो ५२ दिन चली थी। उस में हमारे वर्तमान राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद और स्वर्गीय पंडित गो० ब० पन्त के हस्तक्षेप से समझौता हुआ था, जिस में कई बातों के साथ एक यह बात भी मानी गई थी कि ईतवार को काम नहीं होगा। अब हाल में स्वदेशी काटन मिल्स ने मजदूरों को चार घण्टे अधिक काम करने के लिये विवश किया है। १९५३ के करार के अनुसार काम के घण्टे बढाने की अनुमति सरकार से ली जानी चाहिये थी। मजदूरों ने काम के घण्टे बढ़ाने का विरोध किया था। उस प्रश्न पर की जांच के लिये १९५३ में एक समिति भी नियुक्त की गई थी। लेकिन आजकल उस समिति ने अपना कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है।

पिछले सात साल में एक बार भी इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन स्वदेशी काटन मिल्स ने मजदूरों को अधिक घण्टों तक काम करने के लिये विवश किया है। और पिछले दस दिन से इस प्रश्न पर हड़ताल चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

इस मिल में आठ घण्टे की तीन पालियां होती हैं। फिर चौबीस घण्टे में तीन पालियां वहां कैसे चल सकती हैं ?

जूट मिलों ने अन्तरिम सहायता की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है। उसे अविलम्ब कार्यान्वित कराया जाना चाहिये।

कानपुर में पांच-छः सौ पदों को अर्ध-क्लर्कीय घोषित करके, उन को मजूरी बोर्ड के पंचाट के लाभ से वंचित किया जारहा है। मैं ने इस के बारे में राज्य-सरकार को लिखा है।

चमड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के काम करने की परिस्थितियां बड़ी खराब हैं। उनके रहन-सहन की दशा बड़ी दयनीय है। माननीय उपमंत्री ने कानपुर जाकर स्वयं भी उनकी दशा देखी है। उनकी मजूरी ३० रुपये प्रति माह तक भी नहीं पड़ती। सरकार को इस सभा के सदस्यों या मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति उसकी जांच के लिये नियुक्त करनी चाहिये।

माननीय श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय कर्मचारियों के कष्ठों के निवारण के प्रश्न की चर्चा के लिये ह्विटले परिषदें गठित की जायेंगी। जब तक वह नहीं होता, तब तक सरकारी कर्मचारियों के संघों की छीनी गई मान्यता बहाल की जानी चाहिये।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन में बड़ी अनियमिततायें हैं। उन के संबंध में अब पूरी चर्चा की जानी चाहिये। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे देश में धार्मिक संघों की मान्यता के संबंध में कोई विधि ही नहीं है।

रूरकेला में सभी श्रम विधियों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस्पात मंत्री का कहना है कि रूरकेला में अभी पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, इसलिये वहां कार्य समितियां नहीं बनाई गई हैं। यह बात तो उत्पादन समितियों पर ही लागू हो सकती है। अब समय आ गया है कि इस्पात कारखानों में विभिन्न स्तरों पर कार्य-समियिां बनाई जायें, कर्मचारी संघों को मान्यता दी जाये और वार्ता आदि की व्यवस्था की जाये। लोहा और इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी कारखानों में एक सी मजूरी होनी चाहिये।

हम बातें तो देश में समाजवाद लाने की करते हैं, लेकिन भुखमरी और बेरोजगारी ही ला रहे हैं। रोजगार के लिये पर्याप्त अवसर नहीं जुटाये जा रहे हैं। सरकार को बेरोजगारी के काल में उन को कुछ सहायता दी जानी चाहिये।

'प्रेस ट्रस्ट आँफ इंडिया' में मालिक-कर्मचारी सम्बन्धों की जांच की जानी चाहिये। उन कर्मचारियों की मांगें पूरी की जानी चाहिये।

प्रेसों में काम करने वाले मज़दूरों के लिये एक मजूरी बोर्ड गठित किया जाना चाहिये।

जमशेदपुर में १९५८ की हड़ताल के फलस्वरूप ४०० मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। श्रम मंत्री को उस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये। उनकी पुनः नियुक्ति होनी चाहिये।

दिल्ली के हाल के उपचुनाव के परिणाम से सरकार को कुछ सीखना चाहिये। उससे पता चलता है कि वे सरकार से न्याय न पाकर उस से विमुख हो रहे हैं।

†सभापति महोदय : अब सभा कटौती प्रस्ताव लेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
६७	२७८	श्री मो० ब० ाकुर	साया जी जुबली काटन मिल्स सिधपुर के मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था	१०० रुपये
६७	२७९	श्री मो० बें० ठाकुर	पत्रकारों के लिये रोजगार की व्यवस्था।	१०० रुपये
६७	२८०	श्री मो० ब० ठाकुर	बढ़ती हुई ेरोजगारी रोकने में असफलता	१०० रुपये
६७	२८१	श्री मो० ब० ठाकुर	ठेके के श्रम की प्रणाली खत्म करने में असफलता	१०० रुपये
६७	२८२	श्री मो० ब० ठाकुर	अहमदाबाद और अन्य स्थानों में मिल-मजदूरों के रहन-सहन की दशा सुधारने में असफलता	१०० रुपये
६७	२८३	श्री मो० ब० ठाकुर	निजी उद्यमियों से मजदूरों के लिये मकान बनाने की सिफारिश करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	२८४	श्री मो० ब० ठाकुर	फार्मों के मजदूरों की दशा को सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७१०	श्री अरविन्द घोषाल	वैज्ञानिकन के बाद, काम का बोझ एक सीमा तक ही रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७११	श्री अरविन्द घोषाल	वैज्ञानिकन के बाद मजदूरों की शारीरिक क्षमता की परीक्षा की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७१२	श्री अरविन्द घोषाल	मजदूरों की छंटनी किये बिना औद्योगिक संस्थानों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४	५
६७	७१३	श्री अरविन्द घोषाल .	राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७१४	श्री अरविन्द घोषाल .	श्रमिकों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक चीजें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७१५	श्री अरविन्द घोषाल .	सारे कारखानों में, श्रमिकों को नियंत्रित मूल्य पर चीजें देने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७१६	श्री अरविन्द घोषाल .	निर्माण समितियों को अधिकार देने की जरूरत	१०० रुपये
६७	७६८	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों को छुट्टी देने की प्रक्रिया नियमित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७६९	श्री अरविन्द घोषाल .	औद्योगिक विवादों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबंध द्वारा शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७७०	श्री अरविन्द घोषाल .	मध्यम वर्ग की जनता के जीवन निर्वाह देशनांक को आद्यतन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७७१	श्री अरविन्द घोषाल .	श्रमिकों के जीवन निर्वाह देशनांक को आद्यतन बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	७७२	श्री अरविन्द घोषाल .	एक श्रमिक का वेतन १२५ रुपये मासिक करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७७३	श्री अरविन्द घोषाल .	मंहगाई भत्ते को मूल्यों के देशनांक के अनुसार निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७७४	श्री अरविन्द घोषाल .	कर्मचारियों के लिए मूल्य स्थायीकरण बोर्ड बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	७७५	श्री अरविन्द घोषाल .	वेतन को उत्पादकता के साथ मिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	७७६	श्री अरविन्द घोषाल .	कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	८००	श्री अरविन्द घोषाल .	ठेके पर काम कराने के तरीके को समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	८०१	श्री अरविन्द घोषाल .	उपदान को सेवा की शर्त बनाने की आवश्यकता	१०० पये
६७	८०२	श्री अरविन्द घोषाल	भविष्य निधि में नियोजकों के अंश को ६% से ८½% करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	८०३	श्री अरविन्द घोषाल	कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम के अधीन नियोजकों के अंशदान को १½% से ३½% तक करने की आवश्यक	१०० रुपये
६७	८०४	श्री अरविन्द घोषाल .	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन ठीक तरह कार्य करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	८०५	श्री अरविन्द घोषाल .	उच्चतम न्यायालय में औद्योगिक अपीलें दायर करने के लिए न्यायालय शुल्क और जमानत की रकम हटाने की जरूरत	१०० रुपये
६७	८०६	श्री अरविन्द घोषाल	औद्योगिक विवादों के लिए उच्चतम न्यायालय का एक विशेष बेंच बनाने की जरूरत	१०० रुपये
६७	८०७	श्री अरविन्द घोषाल .	श्रम आयुक्तों के अधिकार बढ़ाने की जरूरत	१०० रुपये
६७	८३९	श्री अरविन्द घोषाल	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के श्रम संघों के संयुक्त बोर्ड बनाने की आवश्यकता ताकि काम ठीक चले और उत्पादकता का निर्धारण हो सके।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	८४३	श्री अरविंद घोषाल	श्रमिकों की आवासन योजना के लिए स्वीकृत रकम को इस्तेमाल करने के लिए चाय बागान नियोजकों को बाध्य करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८४४	श्री अरविंद घोषाल	निलम्बन के निर्धारित समय के लिए कानून बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८४५	श्री अरविंद घोषाल	काम बन्दी काल के लिए मुआवजा बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८४६	श्री अरविंद घोषाल	बोनस आयोग के निर्णय को शीघ्र करने की आवश्यकता ।	१०० पये
६७	८४७	श्री अरविंद घोषाल	जिन उद्योगों में वेतन बोर्ड नहीं हैं उनमें उनकी स्थापना करने की आवश्यकता ।	१०० रुपय
६७	८४८	श्री अरविंद घोषाल	सरकार की अनुमति के बिना छंटनी बन्द करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८४९	श्री अरविंद घोषाल	सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दफ्तरों से लोगों को लेने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८६७	श्री अरविंद घोषाल	चाटों और करारों को क्रियान्वित न करने के लिए कड़े दंड़ दिलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८७७	श्री अरविंद घोषाल	कर्मचारियों की शिक्षा के लिए श्रमसंघीय नेता भरती करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८७८	श्री अरविंद घोषाल	जब तक उन लोगों को रोजगार न मिले तब तक रोजगार दफ्तरों में दर्ज आदमियों को भत्ता देने की जरूरत ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	८७९	श्री अरविन्द घोषाल	काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज कुशल श्रमिकों को उनकी आयु, शिक्षा, शारीरिक क्षमता और प्रशिक्षण के अनुसार श्रेणी-बद्ध करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८८०	श्री अरविन्द घोषाल	बगान सम्बन्धी वेतन बोर्ड के निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८८१	श्री अरविंद घोषाल	जूट सम्बन्धी वेतन बोर्ड के निर्णयों के शीघ्रीकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	८८२	श्री अरविंद घोषाल	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मिस्त्रियों को "क" श्रेणी के प्रशिक्षित कर्मचारी बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८८३	श्री अरविंद घोषाल	राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के श्रम प्रशिक्षुओं की सेवा की शर्तों को सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८८४	श्री अरविंद घोषाशल	सरकारी इस्पात कारखानों में वेतन स्तरों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८८५	श्री अरविंद घोषाल	सरकारी इस्पात कारखानों के कर्मचारियों के भत्तों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	८८६	श्री अरविन्द घोषाल	सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए ठीक व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९०२	श्री अरविंद घोषाल	गैर-सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९०३	श्री अरविन्द घोषाल	सारे श्रम संघों को मान्यता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	९०४	श्री अरविन्द घोषाल	निर्माण कार्य के शिक्षित तथा अ-शिक्षित कर्मचारियों को वहीं पर खपाने की जरूरत ।	१०० रुपये
६७	९०५	श्री अरविन्द घोषाल	गोदियों में स्टेपडोर श्रम प्रणाली समाप्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९०६	श्री अरविंद घोषाल	गोदियों के पेंटिंग और चिपिंग सेक्शनों में ठेका प्रणाली हटाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९२३	श्री अरविंद घोषाल	भारतीय केन्द्रीय श्रम संघों का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व कराने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९२४	श्री अरविंद घोषाल	कलकत्ता विश्वविद्यालय के अल्पावधि सामाजिक कार्य में श्रमिकों के भाग लेने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९२५	श्री अरविंद घोषाल	कृषि श्रम जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर काम करने की जरूरत ।	१०० रुपये
६७	९२६	श्री अरविंद घोषाल	सरकारी उपक्रमों में श्रम संघीय सम्बन्धों को सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९२७	श्री अरविंद घोषाल	सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों में श्रम संघीय सम्बन्धों को सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९७३	श्री अरविंद घोषाल	सरकार द्वारा गैर-सरकारी कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	९७४	श्री अरविंद घोषाल	पटसन के कारखानों में सामान्य काम की अवधि निर्धारित करना ।	१०० रुपये
६७	९७५	श्री अरविंद घोषाल	श्रम सम्बन्धी मामलों पर विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	९७६	श्री अरविंद घोषाल	गोरखपुर श्रम संगठन को समाप्त करना ।	१०० रुपये
६७	९७७	श्री अरविंद घोषाल	बड़े नगरों में घरेलू नौकरों के लिए विशेष रोजगार दफ्तर खोलने की जरूरत ।	१०० रुपये
६७	९७८	श्री अरविंद घोषाल	रोजगार दफ्तरों में दर्ज मैट्रिक पास लोगों को प्रशिक्षण देने की छोटी योजना ।	१०० रुपये
६७	१२५१	श्री त० ब० विट्ठल राव	औद्योगिक विवादों को न्याया धिकरणों के पास सौंपने में विलम्ब ।	१०० रुपये
६७	१२५२	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला उद्योग के लिए वेतन बोर्ड बनाने का प्रश्न ।	१०० रुपये
६७	१२५३	श्री त० ब० विट्ठल राव	श्रमिकों की वास्तविक आय में कमी ।	१०० रुपये
६७	१२५४	श्री त० ब० विट् ल राव	औद्योगिक अनुशासन भंग करने पर भारतीय जूट मिल संस्था के विरुद्ध कार्य-वाही करने की असफलता ।	१०० रुपये
६७	१२५५	श्री त० ब० विट्ठल राव	काफी और रबड़ बगान के लिये वेतन बोर्ड बनाने में विलम्ब	१०० रुपये
६७	१२५६	श्री त० ब० विट्ठल राव	कागज उद्योग के लिए वेतन बोर्ड बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१२५७	श्री त० ब० विट्ठल राव	भविष्य निधि अंशदान को ६¼% से ८¼% तककरने की जरूरत ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	१२६८	श्री त० ब० विट्ठल राव	अखिल भारतीय श्रम वर्ग परिवार बजट सर्वेक्षण करने में विलम्ब ।	१०० रुपये
६७	१२७४	श्री इंद्रजीत गुप्त	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव ।	१०० रुपये
६७	१२७५	श्री इंद्रजीत गुप्त	सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय में सुधार करने की असफलता ।	१०० रुपये
६७	१२७६	श्री इंद्रजीत गुप्त	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पृथक हस्पताल खोलने में असफलता ।	१०० रुपये
६७	१२७७	श्री इंद्रजीत गुप्त	कर्मचारी बीमा योजना के अधीन बीमा शुदा लोगों के परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं देने में विलम्ब ।	१०० रुपये
६७	१२७८	श्री इंद्रजीत गुप्त	कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत पॉलीक्लिनिक्स के बारे में मुदलियार आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१२७९	श्री इंद्रजीत गुप्त	कर्मचारी बीमा योजना के अधीन कर्मचारियों के हिस्से को ५०% तक कम करने की जरूरत ।	१०० रुपये
६७	१२८०	श्री इंद्रजीत गुप्त	कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत नियोजकों के अंशों में वृद्धि करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६७	१२८१	श्री इंद्रजीत गुप्त	श्रम संघीय सदस्यता की पुष्टि की प्रक्रिया ।	१०० रुपये
६७	१२८२	श्री इंद्रजीत गुप्त	कानून बनाकर सारे कर्मचारियों के लिए निवृत्ति संबंधी उपदान या पेंशनें निश्चित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	१२८३	श्री इंद्रजीत गुप्त	वैज्ञानिकन के संबंध में १९५७ के आदेर्श करार को नियोजकों से कार्यान्वित न करा सकना।	१०० रुपये
६७	१२८४	श्री इंद्रजीत गुप्त	रानीगंज में कोयला खनन उद्योगों के विवादों को निर्णय के लिये सौंपने में विलम्ब ।	१०० रुपये
६७	१२८५	श्री इंद्रजीत गुप्त	कर्मचारियों को रोजगार दफ्तरों द्वारा भर्ती न करना ।	१०० रुपये
६७	१२८६	श्री इंद्रजीत गुप्त	सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में संवरित निर्माण समितियां स्थापित करने में असफलता।	१०० रुपये
६७	१२८७	श्री इंद्रजीत गुप्त	संवरित निर्माण समितियों के अधिकार बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१२८८	श्री इंद्रजीत गुप्त	निर्माण समितियों के चुनावों की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६७	१२८९	श्री इंद्रजीत गुप्त	अनुशासन संहिता के अनुसार श्रम संघों को मान्यता देने की ऐच्छिक योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१२९०	श्री इंद्रजीत गुप्त	हर कारखाने में बहुसंख्यक संघ को मान्यता देने का कानून बनाने की जरूरत ।	१०० रुपये
६७	१२९१	श्री इंद्रजीत गुप्त	वेतन बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
६७	१२९२	श्री इंद्रजीत गुप्त	प्रबंधों के आचरण के कारण संयुक्त प्रबंध परिषदों की असफलता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	१२९३	श्री इंद्रजीत गुप्त	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, में संयुक्त प्रबंध का दमन ।	१०० रुपये
६७	१२९४	श्री इंद्रजीत गुप्त	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर में श्रमिकों के अधिकारों का दमन ।	१०० रुपये
६७	१२९५	श्री इंद्रजीत गुप्त	भारतीय जूट मिल संस्था द्वारा अनुशासन के उल्लंघन पर भी कार्यवाही न करना ।	१०० रुपये
६७	१२९६	श्री इंद्रजीत गुप्त	पश्चिमी बंगाल के पटसन के कारखानों में काम के सामान्य घंटे निश्चित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१२९७	श्री इंद्रजीत गुप्त	पटसन के कर्मचारियों को स्थायी न कर सकना ।	१०० रुपये
६७	१२९९	श्री इंद्रजीत गुप्त	आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन देने की जरूरत जैसा कि पंद्रहवे श्रम सम्मेलन ने उसकी परिभाषा की है ।	१०० रुपये
६७	१३००	श्री इन्द्रजीत गुप्त	पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न उद्योगों के लिये वेतन बोर्डों की स्थापना न कर सकना ।	१०० रुपये
६७	१३०१	श्री इन्द्रजीत गुप्त	लोहे और इस्पात उद्योग के लिये वेतन बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१३०२	श्री इन्द्रजीत गुप्त	इंजीनियरिंग उद्योग के लिये वेतन बोर्ड बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१३०३	श्री इन्द्रजीत गुप्त	महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाह देशनांक से जोड़ने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	२	४	५
६७	१३०४	श्री इन्द्रजीत गुप्त	गोदियों के कर्मचारियों पर दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू न करना ।	१०० रुपये
६७	१३०५	श्री इन्द्रजीत गुप्त	कर्मचारियों के वास्तविक वेतन के मूल्य को अक्षुण्ण रखने में असफलता ।	१०० रुपये
६७	१३०६	श्री इन्द्रजीत गुप्त	श्रमिकों के पारिवारिक बजट का सर्वेक्षण करने में विलम्ब ।	१०० रुपये
६७	१३०७	श्री इन्द्रजीत गुप्त	जीवन निर्वाह के देशनांक संबंधी आंकड़ों की गणना का तरीका ।	१०० रुपये
६७	१३०८	श्री इन्द्रजीत गुप्त	बोनस आयोग के काम में देरी	१०० रुपये
६७	१३०९	श्री इन्द्रजीत गुप्त	भविष्य निधि के अंश को ६¼ से ८¼ प्रतिशत तक करने में विलम्ब ।	१०० रुपये
६७	१३१०	श्री इन्द्रजीत गुप्त	भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार उल्लंघन करने वाले नियोजकों के खिलाफ कार्यवाही करने की असफलता ।	१०० रुपये
६७	१४०६	श्री स० मो० बनर्जी	धातु, इंजीनियरिंग, रसायनिक तथा चमड़े के उद्योगों में वेतन बोर्ड बनाने की असफलता ।	१०० रुपये
६७	१४०७	श्री स० मो० बनर्जी	श्रम संघों को मान्यता देने का कानून बनाने का प्रश्न ।	१०० रुपये
६७	१४०८	श्री स० मो० बनर्जी	भविष्य निधि में अंशदान को ६¼ से ८¼% तक बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१४०९	श्री स० मो० बनर्जी	वेतन बोर्डों के पंचाटों पर अमल कराने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६७	१४१०	श्री स० मो० बनर्जी	जिन संघों को जुलाई १९६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया था उन्हें मान्यता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६७	१४११	श्री स० मो० बनर्जी	एक उद्योग में एक संघ रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६८	७१७	श्री अरविन्द घोषाल	खानों की दुर्घटनाओं के बारे में लापरवाही ।	१०० रुपये
६८	७१८	श्री अरविन्द घोषाल	खानों का ठीक निरीक्षण न करना ।	१०० रुपये
६८	७१९	श्री अरविन्द घोषाल	खान निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६८	७२०	श्री अरविन्द घोषाल	खानों में ठेकों को समाप्त करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६८	७२१	श्री अरविन्द घोषाल	खानों में सुरक्षात्मक उपायों का पूर्ण पालन करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६८	७३४	श्री अरविन्द घोषाल	खानों के निरीक्षण के लिये कर्मचारी निरीक्षकों की नियुक्ति करना ।	१०० रुपये
६८	७३५	श्री अरविन्द घोषाल	कोयला खान क्षेत्रों में बचाव केन्द्रों को बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६८	७३६	श्री अरविन्द घोषाल	कोयला खानों के बचाव केन्द्रों में आधुनिक साज सामान लाने की जरूरत ।	१०० रुपये
६८	७३७	श्री अरविन्द घोषाल	कोयला खान बचाव केन्द्रों तथा कोयला खानों के बीच सड़कों की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६८	७३८	श्री अरविन्द घोषाल	खान अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड बढ़ाने की जरूरत ।	१०० रुपये
६८	७३९	श्री अरविन्द घोषाल	मैंगनीज खानों में डीकैज्वुलाइजेशन हटाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६८	१२५८	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला खानों में दुर्घटनाओं की वृद्धि ।	१०० रुपये
६८	१२५९	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोटागुडियम, आंध्र प्रदेश में ओवरमैन की परीक्षा लेने की जरूरत ।	१०० रुपये
६८	१२६०	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला खानों का असन्तोषजनक निरीक्षण	१०० रुपये
६८	१२६१	श्री त० ब० विट्ठल राव	गुंडुर, आंध्र में अभ्रक की खानों के काम की हालत सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६८	१२६२	श्री त० ब० विट्ठल राव	खानों के मुख्य निरीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब ।	१०० रुपये
६८	१२६३	श्री त० ब० विट्ठल राव	खानों संबंधी कानूनों की अवहेलना के लिये खान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने में विलम्ब	१०० रुपये
६८	१२६४	श्री त० ब० विट्ठल राव	भारतीय कोयला सांख्यकी, १९५९ के प्रकाशन में विलम्ब ।	१०० रुपये
७०	१२६९	श्री त० ब० विट्ठल राव	अभ्रक खान मजूरों की हालत ।	१०० रुपये
७०	१२७०	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयला खनिकों के लिये मकान बनाने की धीमी गति ।	१०० रुपये
७०	१२७१	श्री त० ब० विट्ठल राव	रामा गुंडम, आंध्र प्रदेश में प्रादेशिक हस्पताल बनाने की असफलता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
७०	१२७२	श्री त० ब० विठ्ठल राव	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बम्बई में महात्मा गांधी स्मारक हस्पताल बनाने में विलम्ब ।	१०० रुपये
७०	१२७३	श्री त० ब० विठ्ठल राव	राज्य बीमा निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल के २४ परगना में हस्पताल बनाने में विलम्ब ।	१०० रुपये
७०	१२६५	श्री त० ब० विठ्ठल राव	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नियोजकों के अंश को संविहित अधिकतम दर तक बढ़ाने का प्रश्न ।	१०० रुपये
७०	१२६६	श्री त० ब० विठ्ठल राव	जिन श्रमिकों का वेतन १०० रुपये से कम है उन्हें अंशदान देने से छूट देना ।	१०० रुपये
७०	१२६७	श्री त० ब० विठ्ठल राव	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा संबंधी लाभ देने का प्रश्न ।	१०० रुपये

†**श्री काशी नाथ पांडे** (हाटा) : चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के संबंध में श्री एंथोनी पिल्ले ने जिस फैक्टरी का उल्लेख किया है वह दक्षिण में नहीं है । यह भी गलत है कि श्रमिकों की मजूरी में एक पाई तक की भी वृद्धि नहीं की गयी । वहां के श्रमिकों को तो ८५ रुपये मासिक पहिले से ही मिल रहे थे ।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

अब उन्हें ८६ रुपये मिलते हैं । उनको एक रुपया वेतन वृद्धि मिलेगी और यह क्रम ९१ तक जायेगा

यह प्रसन्नता की बात है कि कुछ उद्योगों में मजूरी बोर्ड बनाये गये हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिये । परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि इन बोर्डों की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के लिये कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं है । सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये । एक ऐसा विधान बनाया जाना चाहिये ताकि इन सिफारिशों को लागू किया जा सके । साथ ही विभिन्न उद्योगों में जहां कि अभी मजूरी बोर्ड नहीं बनाये जाते, उसके लिये तब तक उन उद्योगों में काम करने वाले

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिकों के वेतन में कुछ वृद्धि कर दी जाये। बोनस आयोग से कहा जाना चाहिये कि वह कुछ ऐसे सिद्धांतों का सुझाव प्रस्तुत करे जिससे बोनस की राशि को निर्धारण करने का कार्य सरल हो जाये।

समझौता अधिकारियों के बारे में मेरा निवेदन है कि इनके प्रशिक्षण तथा पुनरभ्यास पाठ्यक्रम आरम्भ करने चाहिये। इस संबंध में कुछ प्रस्थापनायें भी प्रस्तुत की गयी हैं, सरकार को उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये। मैं इस बात पर भी बल दूंगा कि केन्द्रीय सरकार के अधीन जो लेबर इन्सपैक्टर हैं उनके वेतन-क्रम को बढ़ाया जाना चाहिये।

अन्य जिस बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि संशोधित भविष्य निधि अधिनियम में कुछ त्रुटियां हैं, जिनके कारण कांच के कारखानों, चमड़ा उद्योग तथा दियासलाई के कारखानों के श्रमिकों को इस अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये। इसके लिये यदि आवश्यकता अनुभव हो तो अधिनियम में संशोधन कर लिया जाय। यह बात भी ठीक नहीं लगती कि कार्मिक संघों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। सरकार को इन संघों की इस बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिये कुछ उपाय करने चाहियें।

यह सन्तोष की बात है कि सरकार लगभग १ लाख मजदूरों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध कर रही है। परन्तु मेरा कहना है कि इसका लाभ तब ही हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि इन मजदूरों को प्रशिक्षण समाप्त करने के तुरन्त बाद रोजगार भी मिल जाये। औद्योगिक विवाद अधिनियम में 'मालिक' की जो परिभाषा है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिये ताकि मालिक के बदलने के बाद भी मजदूरों की सेवा में निरन्तरता बनी रहे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चपरासियों और चौकीदारों को भी मजदूरों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाना चाहिये। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने भी अपना निर्णय दे दिया है।

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : सभापति महोदया, श्रम मंत्रालय की खर्च की मांगों पर चल रही इस बहस के अवसर पर एक बात की तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत ही जरूरी है और वह यह कि इस समय देश में ऐम्पलायमेंट की पोजीशन क्या है। हम इस बात को देख रहे हैं कि द्वितीय पंचसाला योजना के खत्म होने पर लगभग ८ मिलियन अर्थात् ८० लाख व्यक्ति मजदूर क्षेत्र में बेकार रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम इस बात को देखते हैं कि तृतीय पंचसाला योजना की जिस तरीके की बनावट है उसमें कुल १४ मिलियन लोगों को ही काम मिल पायेगा जबकि तृतीय पंचसाला योजना में ही जो पहले के आंकड़े थे उनके मुताबिक १५ मिलियन लोगों को काम देना जरूरी होगा। लेकिन जो आंकड़े जनसंख्या के इधर निकले हैं और जिनके कि मुताबिक अब जन संख्या ४३ और ४४ करोड़ हो गई है उससे ऐसा लगता है कि १७–१८ मिलियन लोग ऐसे होंगे जिनको कि काम देने की जरूरत पड़ेगी। तृतीय पंचसाला योजना की जो दशा है उसको देखते हुये ऐसा लगता है कि लगभग १२ से १४ मिलियन के बीच में मजदूर इस तृतीय पंचसाला योजना

[श्री प्र० ना सिंह]

के अन्त में बेकार रहेंगे । इस संबंध में श्रम मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ? इस संबंध में श्रम मंत्री महोदय को भी सोच विचार करना चाहिये । बेकारी का यह एक अहम प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा है और खास तौर पर मजदूर क्षेत्र में बेकारी उन के जीवन को और उनके समय को खराब कर रही है ।

इसी के साथ साथ इस बात को देखना जरूरी है कि श्रम मंत्रालय की तरफ से जो वेज बोर्डस बिठाये गये उन वेज बोर्ड्स का फैसला किन किन जगहों पर लागू हुआ और किन किन जगहों पर नहीं लागू हुआ ? यह सही है कि जो वेज बोर्ड बने, उन के बनने से कुछ खास सैक्टरों, शूगर और सीमेंट आदि, के मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ी । लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि जो वेज बोर्ड सरकार के द्वारा बिठाया गया, उस का फैसला सरकारी फैक्ट्रियों में लागू नहीं किया गया । चुर्क सीमेंट फ़ैक्ट्री एकमात्र गवर्नमेंट की सीमेंट फैक्टरी है । हम देखते हैं कि वेज बोर्ड का फैसला प्राइवेट सैक्टर के इंडस्ट्रियलिस्टस ने लागू कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने पब्लिक सैक्टर की इस इंडस्ट्री में उस को लागू नहीं किया है । मैं श्रम मंत्रालय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो वेज बोर्ड बैठें, उन के फैसले कम से कम उन फैक्ट्रियों पर अवश्य लागू हों, जो कि पब्लिक सैक्टर में हैं, जहां गवर्नमेंट एक माडल एम्पलायर के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है । पब्लिक सैक्टर के बढ़ने के साथ साथ अब श्रम मंत्रालय का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्ज़ और एम्पलाईज़ की क्या हालत है और उस को उन की हालत में सुधार करने की ओर पग उठाना चाहिए । मेरी अपनी निश्चित राय है कि यदि पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज़ में, जो कि अब बढ़ती जा रही हैं, मज़दूरों को न्याय नहीं मिलेगा, तो उस का लाज़िमी नतीजा यह होगा कि प्राइवेट सैक्टर की इंडस्ट्रीज़ में मज़दूरों पर अन्याय बढ़ेगा ।

मेरे दोस्त, श्री काशी नाथ पांडे, चुर्क सीमेंट फ़ैक्ट्री के मज़दूरों के नेता हैं । वे जनाते हैं कि वह फैक्ट्री १९५४ से पब्लिक सैक्टर में चल रही है, लेकिन १९५४ से १९६० के बीच में केवल पचास फीसदी लोग ही वहां पर परमानेंट हो पाये हैं और पचास फीसदी लोग अभी टेम्पोरेरी हैं । यदि पब्लिक सैक्टर में यह स्थिति हो कि मज़दूरों को स्थायी कार्य करने के बावजूद पर्मानेंट न बनाया जा सके, तो फिर प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले मज़दूरों की दशा का अनुमान सहज ही किया जा सकता है । जिन सरकारी कानूनों को मान्यता दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, अगर वे कानून सरकारी फैक्ट्रियों में भी लागू नहीं होते हैं, तो उस का लाज़िमी नतीजा यह होगा कि प्राईवेट सैक्टर के इंडस्ट्रियलिस्टस अपने मज़दूरों के साथ अन्याय करते रहेंगे और सरकार उस को रोक नहीं सकेगी । इस लिये सरकार और श्रम मंत्रालय को चाहिए कि पब्लिक सैक्टर की इडस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बिठाई जाये, जो उन इंडस्ट्रीज़ में वेज बोर्ड के फ़ैसलों को लागू करने, टेम्पोरेरी मज़दूरों को पर्मानेंट करने और अन्य आवश्यक बातों के सम्बन्ध में जांच करे, ताकि मज़दूरों के साथ होने वाली ज्यादतियां और अन्याय सब रोशनी में आयें और उन लोगों को कुछ राहत मिल सके । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जैसे पब्लिक सैक्टर बढ़ेगा, उस में काम करने वाले मज़दूरों की तादाद भी बढ़ेगी । इस लिये वहां पर इंडस्ट्रियल पीस कायम रखने के लिये और अपनी पंच-वर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से चलाने के लिये यह लाज़िमी है कि पब्लिक सैक्टर के मज़दूरों को न्याय मिले । यदि ऐसा नहीं होता और वहां हड़ताल आदि की नौबत आती है, तो इस का परिणाम यह होगा कि उत्पादन को क्षति पहुंचेगी । मैं श्रम मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि पब्लिक सैक्टर की तरफ उस का ध्यान जाना चाहिए ।

हम महसूस करते हैं और देख रहे हैं कि कई सैक्टर्ज़ में लेबर की हालत ठीक नहीं है और श्रम मंत्रालय की कोशिश के बावजूद, उस की तरफ़ से ध्यान दिये जाने के बावजूद उन लोगों को वह न्याय नहीं मिल रहा है, जो कि उन को मिलना चाहिए। कोल माइन्ज़ के मज़दूरों की हालत आज भी इतनी अबतर है कि कोई ठिकाना नहीं है हालांकि उस में कुछ तरक्की ज़रूर हुई। झरिया और धनबाद में कंट्रैक्ट लेबर के द्वारा कंट्रैक्टर काम करते हैं। वहां स्थिति यह है कि कंट्रैक्टर आधा पैसा स्वयं ले लेते हैं और सिर्फ आधा पैसा मज़दूर को मिलता है। जब रिजनल कन-सिलियेशन आफ़िसर और श्रम विभाग के लोगों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है, तो वे कहते हैं कि इस स्थिति में हम असहाय हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोल माइन्ज़ में कंट्रैक्ट लेबर की अवस्था की ओर श्रम मंत्रालय का ध्यान जाना चाहिए। उन के साथ बड़ा अन्याय और जुल्म हो रहा है और उस में कोई कमी नहीं हो रही है।

आज जो चार सैक्टर्ज़ की फ़ैक्ट्रियों में वेज बोर्ड बने हैं, इस से तमाम हिन्दुस्तान के उन मज़दूरों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, जिन पर कि वेज बोर्ड के फ़ैसले लागू नहीं होते हैं। आज मंहगाई बढ़ रही है, कास्ट आफ़ लिविंग इंडेक्स बढ़ रहा है और रीयल वेज़िज दिनों-दिन गिर रहे हैं। श्रम मंत्रालय के सामने ऐसा दृष्टिकोण आना चाहिए कि हिन्दुस्तान के उन मज़दूरों के सम्बन्ध में, जो कि वेज बोर्ड के तहत नहीं आते हैं, ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए कि वर्तमान स्थिति में उन की मज़दूरी में बढ़ोतरी हो और उन की हालत सुधरे।

मेरे मित्र, श्री काशीनाथ पांडे, ने इस प्रश्न को उठाया कि ट्रेड यूनियन्ज़ की जो रजिस्ट्रेशन दिन-प्रति-दिन होती जा रही है, उस को चैक करना चाहिए। हम लोगों को इस में कोई एतराज़ नहीं हो सकता है, लेकिन यदि किसी फ़ैक्ट्री में ट्रेड यूनियन ठीक तरह से काम न करती हो वहां के मज़दूरों को न्याय न मिलता हो और इस के बावजूद किसी दूसरी यूनियन को बनने का मौका न मिले, तो इस का परिणाम यह होगा कि हिन्दुस्तान की ट्रेड यूनियन मूवमेंट लक़वे की स्थिति में हो जायेगी, उस की स्थिति एक मूक दर्शक की सी हो जायेगी और मज़दूरों का अन्याय मिट नहीं सकेगा। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो यूनियन मज़बूत रहे, उस को रेकगनीशन मिले और उस की जांच करने का तरीका यह हो कि बैलट के द्वारा फ़ैसला करा लिया जाये कि कौन सी यूनियन रिप्रेज़ेन्टेटिव है और कौन सी रिप्रेज़ेन्टेटिव नहीं है। लेकिन यदि ट्रेड यूनियन्ज़ के रजिस्ट्रेशन में रुकावट डाली जाने लगे, उस को चैक किया जाने लगे, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कुछ लोगों के वैस्टिड इन्ट्रेस्ट्स हो जायेंगे और उस में एक प्रकार का स्टैग्नेशन हो जायगा। यह ठीक है कि परस्पर प्रतिस्पर्द्धा के कारण कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन के बावजूद हम अपने देश की ट्रेड यूनियन मूवमेंट को एक स्टैग्नेशन की हालत में डालने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन रिप्रेज़ेन्टेटिव यूनियन है, किस के साथ आफ़िशल्ज़ बात-चीत करें, साल दो साल में बैलट के द्वारा इस बात का निश्चय हो जाया करे—इस बात का फ़ैसला हो जाया करे कि कौन सी रेकगनाइज्ड यूनियन है। इस में किसी को एतराज़ नहीं होगा। ऐसा करने से जेनविन ट्रेड यूनियन्ज़ का ग्रोअथ होगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन रोकना मुनासिब नहीं होगा और बैलट के द्वारा इस का फ़ैसला होना चाहिए।

रेफ़रेंस के मामले में आज जो स्थिति है, उस के कारण कई जगहों पर मज़दूरों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कनसिलियेशन के बाद कम्पलसरी एड्जुडिकेशन के समय स्थिति यह थी कि मज़दूर पर जब चोट पड़ती थी, या उस के साथ अन्याय होता था, तो कम्पलसरी

[श्री प्र० ना० सिंह]

एडजुडिकेशन होने के बाद कम से कम उस को इस बात का संतोष होता था कि उस के पक्ष में या विपक्ष में फ़ैसला हो गया। आज रेफ़रेंस की हालत यह है कि करीब करीब साठ फ़ीसदी रेफ़रेंसिज़ नहीं होती हैं और सिर्फ़ ४०, ४५ फ़ीसदी रेफ़रेंसिज़ हो पा रही हैं। जो रेफ़रेंसिज़ होती भी हैं, उन में भी श्रम मंत्रालय ने एक तरह का रिश्ता सरकारी पार्टी की यूनियनों से बना रखा है, जिस का परिणाम यह है कि दूसरी यूनयन्ज़ की रेफ़रेंसिज़ तो रुक जाती हैं और सरकारी पार्टी की यूनियनों की अधिक रेफ़रेंसिज़ हो पाती हैं। कनसिलियेशन और कनसिलियेशन के बाद कम्पलसरी एड्-जुडिकेशन का सिद्धान्त चालू करने के लिये . . .

श्री नन्दा : कहां का ज़िक्र कर रहे हैं ?

श्री प्र० ना० सिंह : उत्तर प्रदेश का । उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि रेफ़रेंस के लिये कितने ही केसिज़ होते हैं, लेकिन रेफ़रेंस नहीं होती हैं। इंडिविडुअल केसिज़ की बात तो छोड़ दीजिए, जो केस जेनरल डिमांड्स, डीयरनैस एलाउंस और दूसरे सवालों के बारे में होते हैं, उन की भी रेफ़रेंस नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध में यह बात देखनी ज़रूरी है कि चाहे कोई भी यूनियन किसी भी फ़ैक्ट्री में काम करती हो, यदि वह मज़दूरों की नुमायंदगी करती हो, तो मज़दूरों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी पार्टी की यूनियन की रेफ़रेंस तो हो जाये और दूसरी यूनियनों की रेफ़रेंस न हो सके।

श्री काशीनाथ पांडे : यह बात बिल्कुल गलत है और वहां पर जांच हो चुकी है। हमारा ख्याल है कि और पार्टीज़ के ज्यादा केसिस रेफर हुए हैं बनिस्बत आई० एन० टी० यू० सी० के ये यू०पी० गवर्नमेंट के पास जो फैक्ट्स हैं उनसे पता चलता है।

श्री प्र० ना० सिंह : यू० पी० गवर्नमेंट के पास जो फैक्ट्स हैं वे सभी को मालूम हैं और वे रोज़ दिखाई देते हैं और साथ ही साथ जो औरों पर बीतती रहती है वह भी सभी को रोज़ दिखाई देती रहती है। इस बात को काशीनाथ पाण्डे जी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री राम सिंह भाई वर्मा (निमाड़) : सरकारी पार्टी की यूनियन कहीं दिखाई नहीं देती है।

श्री प्र० ना० सिंह : दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, दिखाई पड़ती है। चूंकि वह आपकी पाकेट में है इसलिये आपको दिखाई नहीं पड़ती है।

तो मैं कह रहा था कि पहले कंसिलियेशन हो और उसके बाद कमपलसरी एड्जुडिकेशन के सिद्धान्त को यदि लागू किया जाए तो किसी को भी किसी तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। आज जो स्थिति है उसमें लोगों को शिकायत है। इस सदन के अन्दर भी लोगों को शिकायत करने का मौका मिल जाता है। अगर शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होती तो किसी को भी शिकायत करने की आवश्यकता ही महसूस न होती। पार्लिमेंटरी-डेमोक्रेसी के अन्दर इस बात को समझ

लिया जाना चाहिये कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कहां कहां क्या हो रहा है। हमारे रामसिंह भाई वर्मा साहब तो पुराने ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, इसलिए वह सारी बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सभी बातों को कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि इस समय कहने का वक्त नहीं है और न ही समय है।

पी० टी० आई० के जो एम्प्लाईज़ हैं, उनके सम्बन्ध में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। नेशनल ट्रीब्यूनल जो बैठा था और उसके बाद जो उसने एवार्ड दिया, उसके इम्प्लेमेंटेशन के सिलसिले में सुप्रीमकोर्ट में जाने की बात आज मैनेजमेंट की तरफ से की जा रही है। मैं श्रम मन्त्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकारी प्रभाव को इस्तेमाल करके इस बात की कोशिश की जानी चाहिये कि जो नेशनल-ट्रीब्यूनल के फैसले हों या वेज बोर्डस के फैसले हों, उनको लागू करवाया जाए। ट्राई-पारटाइट कान्फ्रसिस जो होती रहती हैं और जो लोग मिलते रहते हैं, उनमें भी इनको मान्यता दिलाई जानी चाहिये। इसके साथ ही साथ दबाव भी सरकार की तरफ से डाला जाना चाहिये। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनतन्त्र के अन्दर दबाव डालना मुश्किल हो जाता है लेकिन जहां पर न्याय की रक्षा की खातिर दबाव डालना जरूरी हो, वहा दबाव भी डाला जाना चाहि। हम देखते है कि बहुत से फैसले इसलिए लागू नहीं हो पाते हैं कि जिस प्रकार का श्रम मन्त्रालय की तरफ से प्रभाव डाला जाना चाहिये या दबाव डाला जाना चाहिये, उस प्रकार का प्रभाव या दबाव नहीं डाला जाता है। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पी० टी० आई० के एम्प्लाईज़ के सम्बन्ध में गवर्नमेंट इस बात को देखे कि वे लागू हों और सरकार नैशनल ट्रीब्यूनल के फैसलों को जल्दी से जल्दी अमल में लाये।

पिछले तीस मास से डाक के जो मजदूर हैं, उनकी हाजिरी, भत्ता और न्यूनतम मजदूरी के सिल-सिले में कलकत्ता में, कुछ कटौतियां चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि श्रम मन्त्रालय इस बात की व्यवस्था करे कि वे कटौतियां बन्द हों और वहां के मजदूरों की जो मांगें बहुत दिनों से चली आ रही हैं, और वे लोग परेशानी में पड़े हुए हैं, उनके सम्बन्ध में उचित फैसला हो और उनका निपटारा हो।

कलकत्ता में चिपिंग और पेंटिंग के मजदूरों की हड़ताल ५० दिनों से चली आ रही थी। बम्बई में जो उनके वेतनों के सिलसिले में नियम और कानून हैं, उनको कम से कम कलकत्ता में लागू कराने का प्रयत्न हमारे श्रम मन्त्रालय की तरफ से अवश्य होना चाहिये।

आज जो देश की स्थिति है, उसको देखते हुए तथा साथ ही साथ चवर्षीय योजनाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि एम्प्लायर्ज और म्प्लाईज़ के रिलेशन्ज़ अच्छे हों और एक ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिये कि जिस से मजदूरों को हड़ताल करने का मौका ही न मिले। जब कभी भी हड़ताल पर जाने का ैसला लेना होता है तो उससे मन दुखता है और दुखता इसलिए है कि उत्पादन में घटोतरी होती है। लेकिन जब न्याय नहीं मिल पाता है तो लाजिमी तौर पर हड़ताल पर जाने का फैसला मजदूरों को करना पड़ता है। जहां पर भी हड़ताल की बात हो, वहां पर केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय को और उसके साथ ही साथ स्टेट्स हैं में जो श्रम मन्त्रालय हैं, उनको इस बात का प्रयत्न करना चाहि कि हड़तालें न होने पायें और जो शिकायतें हैं, वे दूर हो जायें।

हमारे मिर्जापुर में सैन्टन मिल में गैर कानूनी तौर पर लाक आउट चल रहा है। यह फैक्टरी डिफेंस फोर्सिस को कम्बल इत्यादि भी सप्लाई करती है। इस मिल के सम्बन्ध में कई बार शिकायतें की गई हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री से भी लोगों ने बातचीत की है। वहां पर गैर-कानूनी तौर पर

[श्री प्र० ना० सिंह]

लाक आउट चल रहा है। स्ट्राइक और लाक आउट को इलीगल करार दिया जाना चाहिये और कानूनी तौर पर वह लाक आउट इलीगल है भी लेकिन इतना होने पर भी श्रम मन्त्रालय की तरफ से तथा उसके अधिकारियों की तरफ से जो कार्य होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है। एक महीना हो गया है, इस इलीगल लाक आउट को हुए । इसलिये मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह और प्रान्तों में जो श्रम मन्त्री हैं वे देखें कि मालिकों और मजदूरों के अन्दर अच्छा रिश्ता कायम हो तथा जो कार्य वे करते हैं उसमें थोड़ी चुस्ती, थोड़ी मुस्तैदी आनी चाहिये और जब कभी भी मजदूरों के खिलाफ कोई कार्य होने की बात हो, उसको न होने दिया जाए।

श्री रामसिंह भाई वर्मा, सभापति महोदया, श्रम मन्त्रालय के ऊपर जब चर्चा हो रही है, तो उसमें मैं भी अपना हिस्सा अदा करना चाहता हूं। जहां तक श्रम विभाग का सम्बन्ध है, या मजदूरों का सम्बन्ध है, देश की आर्थिक स्थिति से ज्यादा सम्बन्धित हैं और आज ३१ मार्च १९६१ समाप्त हो जाने पर जब बजट पर चर्चा हो रही है तो यह स्वाभाविक है कि हम देखें कि पिछले साल में तथा पिछली जो दो योजनाय समाप्त हो चुकी हैं, उनके दौरान में क्या कुछ हुआ है। आज हमें पिछले वर्ष के एकाउण्ट को तथा उसके बैलेंस शीट को सामने रखना है और उसको सामने रख कर ही हम इस विषय पर अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। तीसरी योजना की शुरूआत हो रही है और दो योजनायें समाप्त हो चुकी हैं। इसलिये लेबर के बारे में जब हम चर्चा करें तो आर्थिक दृष्टिकोण को भी हमें अपने सामने रखना चाहिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों से शासन क्या चाहता था, जनता क्या चाहती थी, इण्डस्ट्री क्या चाहती थी, इसको हमें देखना है। इसके साथ ही साथ मजदूरों को भी यह कहने का हक हासिल है कि वे शासन से, जनता से तथा इण्डस्ट्री से क्या चाहते हैं। पिछले दस वर्षों के एकाउण्ट और साथ ही साथ पिछले वर्ष के एकाउण्ट के बैलेंस शीट को जब हम सामने रखते हैं तो हमें लगता है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को भी यह लगना चाहिये और देश को भी लगना चाहिये, कि श्रमिकों ने एक शानदार हिस्सा अदा किया है। उत्पादन बढ़ाने में, डिसिप्लिन बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में, देश की इनकम बढ़ाने में, सभी दिशाओं में मैं समझता हूं कि जो पार्ट मजदूरों ने प्ले किया है, उस पर हमारे श्रम मन्त्री जी को पूरा सन्तोष होना चाहिये और इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये।

अगर हम फिगर्ज को देखें और इन सारी बातों को देखें तो पता चलेगा कि पिछले दस बरसों में ३१ मार्च १९६१ तक ७० परसेंट के करीब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। देश की राष्ट्रीय आय भी इन पिछले दस बरसों में लगभग ४० परसेंट बढ़ी होगी। अगर हम टैक्सेशन को लें, उत्पादन के ऊपर सरकार ने जो टैक्सेशन लगाया है, एक्साइज ड्यूटी लगाई है, सेल्ज़ टैक्स लगाया है, तो हमें पता चलेगा कि उससे टैक्स की इनकम इन पिछले १० बरसों में ७०० करोड़ से बढ़ कर १३०० करोड़ तक पहुंच गई है यानी डबल के करीब तक टैक्सेशन की रकम अब पहुंच गई है। जितना ज्यादा उत्पादन हुआ है, उतना ही अधिक रुपया हमको एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त हुआ है, जितना ज्यादा व्यापार हुआ है, बेचान हुआ है, उतना ही ज्यादा हम को सेल्ज़ टैक्स वगैरह से पैसा मिला है। अगर हम देश की हालत को देखें तो हमको पता चलेगा कि श्रमिकों ने उसको सुधारने में शानदार हिस्सा अदा किया है। इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है।

अब हमें देखना है कि श्रमिकों को क्या मिला है। जब हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हैं तो पाते हैं कि १९५१ से लेकर १९६१ तक लगभग २२ परसेंट के करीब हमारी जनसंख्या

बढ़ी है। लेकिन देश के अन्दर जो एम्प्लायमेंट है, चाहे जितना हमारा औद्योगिक विकास हुआ हो, वह उस परिमाण में नहीं बढ़ा है जिस परिमाण में कि जनसंख्या बढ़ी है। उत्पादन बढ़ा है, प्राडक्टिविटी बढ़ी है प्राफिट बढ़ा है, लेकिन उसके परिमाण में देश के अन्दर जो रोजगार के अवसर सुलभ होने चाहिये थे वे सुलभ नहीं हुए हैं। पढ़े लिखे लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है। उनको एम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा है। यही एक समस्या जो है यह छोटी समस्या नहीं है, बहुत जबर्दस्त समस्या है और आवश्यकता इस बात की है कि श्रम विभाग इसकी ओर ध्यान दे। दूसरी तरफ भाव बढ़ने से कास्ट आफ लिविंग इंडैक्स कितना बढ़ा है। गत १० वर्षों में लगभग २५ परसेन्ट बढ़ गया है। कहने का मतलब यह है कि देश की एकानमी के साथ जब यह विचार करते हैं तो हमारी नैशनल इनकम ४० प्रतिशत बढ़ी है। पिछले दस वर्षों में उसमें से श्रमिकों को कितना हिस्सा मिला? कहा गया है कि इसकी जांच की जायेगी। ठीक है, जांच की जाय, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना नहीं मिला है उतना क्या वहां से मिलेगा? हमारे सामने यह एक बहुत जबर्दस्त सवाल है। फिर भी कहना पड़ेगा कि पिछले दस वर्षों में और पिछले वर्ष में श्रम विभाग ने श्रमिकों के हित में एक बहुत शानदार हिस्सा अदा किया है। और मैं मानता हूं कि जितनी क्लिअर कट पालिसी लेबर की रही है, उसी का यह परिणाम है कि श्रमिक अपना पूरा पूरा हिस्सा अदा कर सके, और आज कैबिनेट के अन्दर श्रम मन्त्री जी अपना सिर ऊंचा करके बैठ सकते हैं कि उनके विभाग ने कितना सुन्दर काम किया है। इसी वर्ष के अन्दर कई बिल आये और उन में से दो या तीन पास भी हुए। और एक मैटर्निटी बेनिफिट बिल हमारे विचाराधीन है। तो पिछले वर्ष में भी जो काम हमने किया है, श्रम विभाग ने किया है, इसके लिए मैं श्रम विभाग को मुबारकवाद देता हूं।

दूसरी तरफ मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि श्रम विभाग की तरफ से जो योजना शुरू की गई हैं, और जिन पर अमल कराया जा रहा है, उन के ऊपर प्रैक्टिकल तौर से अनुभव के आधार पर विचार करके उनमें परिवर्तन करने की जरूरत है। वर्कर्स एजुकेशन की इतनी शानदार स्कीम लागू की गई, और उस स्कीम का मुझे बहुत आदर है, और मैं मानता हूं कि अगर ट्रेड यूनियनों का सहयोग उसमें मिले तो बड़ा काम हो सकता है। । मेरा ऐसा मानना है कि जब हम लेबर की बात करते हैं तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को सौंप देते हैं। आक्षेप और आरोप लागाने के लिए ऐसा होता है। मैं मानता हूं कि सब से ज्यादा जिम्मेदारी ट्रेड यनियन्स की है कि अगर कोई कानून या कोई भी योजना श्रमिकों के लिये बनाई जाती है तो उसका फायदा पूरी तरह से उसको मिल सके। यह देखने का काम गवर्नमेंट का नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन्स का है। ट्रेड यूनियनें जितनी एक्टिव होंगी, जितनी ज्यादा दिलचस्पी वे लेंगीं, उतने ही ज्यादा मजदूर जागृत होंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और उनको तमाम योजनाओं का फायदा मिलेगा। लेकिन वर्कर्स एजुकेशन के बारे में कम से कम मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कह सकता हूं, मुझे बहुत सन्तोष है और वर्कर्स एजुकेशन के बाद जो श्रमिक निकल कर आते हैं वे जिस उद्योग में जाते हैं, उनका रेजल्ट भी मैंने मंगाया कि वे पहले जितना काम करते थे तीन महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद अगर वे उसी जगह पर फिर काम करने गये तो पहले और अब में कोई फर्क दिखाई देता है या नहीं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं वे बहुत ही सन्तोषजनक हैं। मैं मानता हूं कि हर स्टेट् के अन्दर जहां भी यह योजना लागू हुई है, वहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनमें पहले और अब में बहुत फर्क है। लेकिन केवल तीन महीने की ट्रेनिंग से काम नहीं चल सकता। इस ट्रेनिंग पीरियड को और बढ़ाना होगा।

अभी रेजिडेंशियल स्कीम इन्दौर में शुरू की गई है। मैं मानता हूं कि यह रेजिडेंशियल स्कीम श्रमिकों के लिये बड़ी उपयोगी है, वह उनके लिये बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। वह इस लिये लाभदायक होती है कि जगह जगह से श्रमिक एक जगह पर आ कर रहते हैं, वे दीगर दीगर पार्टियों के होते हैं, कोई

कम्यूनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित होता है कोई हिन्द मजदूर सभा से सम्बन्धित होता है, कोई दूसरी यूनियन से सम्बन्धित होता है। कोई आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्धित होता है। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें वहां ट्रेनिंग दी जाती है साथ साथ उठना, साथ साथ बैठना, साथ साथ खाना और साथ साथ काम करना। इससे श्रमिकों के अन्दर एक बड़ा भारी भाईचारा पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, और इस तरह से ट्रेड यूनियनों को विचारों के आदान प्रदान का मौका मिलता है, यह चीज मजदूर संगठन को मजबूत बनाती है। हम लोग पार्लियामेंट में आकर बैठते हैं और राजनीति के आधार पर बात करते हैं और मजदूरों की दशा को, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, भूल जाते हैं। यहां पर राजनीति की बातें होती हैं कि किसको ज्यादा से ज्यादा बुरा कहा जा सके। किस पार्टी को अधिक से अधिक कोसा जा सके। यह दृष्टिकोण ज्यादा होता है बनिस्बत इसके कि मजदूरों की क्या आवश्यकता है। हम इस बात को सामने नहीं रखते जिससे कि श्रमिकों का लिविंग स्टैन्डर्ड ऊंचा उठे और हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़े। इसलिये वर्कर्स एजुकेशन की जो रेजिडेंशियल योजना है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उसमें भी डिफेक्ट है। जो लोग आकर रहते हैं उन से खाने का खर्च १८ रु० लिया जाता है और २२ रु० गवर्नमेंट से मिलता है। मैं मानता हूं कि यह सभी ठीक तरह से नहीं है। उसका पूरा खर्च जो हो, वह गवर्नमेंट को उठाना चाहिये। आप जो शिक्षा देते हैं इसलिये देते हैं कि वे लोग वहां से जाकर वर्कर्स की ट्रेड यूनियन्स को सही दिशा में चलायें, प्रोडक्टिविटी बढ़ायें, प्रोडक्शन बढ़ायें और बेकारी कम करें। वे अपने बाल बच्चों को छोड़ कर आयें, उनके ऊपर उनको खर्च करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर अगर उनको ट्रेनिंग के समय का भी, खाने पीने का भी खर्च उठाने के लिये कहा जाये, यह ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि वर्कर्स एजुकेशन की रेजिडेंशियल योजना का खाने का सारा खर्च गवर्नमेंट को उठाना चाहिये।

इसके साथ साथ जो मेरा दूसरा निवेदन है वह ज्वाइंट मैनेजमेंट कौंसिलों के बारे में है। उद्योगों के अन्दर आपने मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी का विचार किया और कहीं कहीं इस बात को आपने लागू भी किया। त्रिदलीय सम्मेलन ने निश्चय किया कि कितनी इंडस्ट्रीज में लागू होना चाहिये। आपने पहले ५० यूनिटों को चुन लिया, लेकिन यह बात बहुत पुरानी हो गई। तीन चार साल हो गये, फिर भी ५० यूनिटों में हम इस पीरियड में इसको लागू नहीं कर पाये। गवर्नमेंट के कारखानों में, पब्लिक सेक्टर में भी यह नहीं हो पाया। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रहा है। यानी इस मामले में हमको जो तेजी करनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरे साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक मजदूर मालिक के साथ कारखाने के अन्दर बराबरी पर बैठें और कारखाने के मैनेजमेंट को सही दिशा में कैसे चलाये, इस बात के लिये ट्रेड यूनियन्स अपना कितना हिस्सा अदा कर रही हैं और गवर्नमेंट हम को इस मामले में कितना प्रोत्साहन देती है। मैं अपने यहां की बात कहता हूं। हमारे यहां गवर्नमेंट ने एक यूनिट में लागू करने का तय किया था, जब उसने देश में ५० यूनिट में लागू करने को ठहराया था उस समय केवल एक यूनिट इन्दौर के अन्दर जिसके अन्दर मजदूर मैनेजमेंट में भागीदार होंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मैनेजमेंट को समझाया, स्वयं लेबर मिनिस्टर साहब के सामने डिक्लेअर कराया। एक ओर तो हमारा करोड़ों का फायदा हुआ, और एक ओर एक ऐसा कारखाना था जो लगभग दस या बारह सालों से नुकसान करता जा रहा था, और पिछले साल तो ऐसा हुआ कि तीन तीन महीनों का वेतन मजदूरों को नहीं दिया गया। गवर्नमेंट की लगभग २०,००० रु० की प्राविडेंट फंड की रकम उसने जमा नहीं कराई।

यह सारी की सारी चीजें उस कारखाने में हो रही थीं। इस कारखाने को चलाने की प्राब्लेम पैदा हो गई। कारखानेदार का जहां तक सवाल है, वह तो उस की टूटी फूटी बिल्डिंग को ही बेच कर जितनी रकम हो सकेगी वसूल कर लेता, लेकिन जो ३००० मजदूर बेकार होंगे उनका क्या होगा ? गवर्नमेंट आफ इंडिया और हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने काफी रियायत दीं, किन्तु आखिर में मालिक असफल रहे। अन्त में सारा मैनेजमेंट बदला और हमारी ज्वायेंट मैनेजमेंट कौंसिल बनाई। मुझे कहते हुए बड़ा आनन्द होता है कि जब हमने मैनेजमेंट बदला तो तीसरे महीने में उस कारखाने ने लगभग ५०,००० रु० का प्राफिट किया, उसके बाद २ लाख रु० का प्राफिट किया। कहने का मतलब रिट्रेंचमेंट किये बिना कहने का मतलब यह कि मजदूर और एम्प्लायर्स साथ बैठते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से काम करने में सारी चीज सामने आती हैं तो मजदूरों को ज्ञान होता है। इस मामले में हमारे जैसे लीडरों से मजदूर बहुत आगे हैं। लेकिन हो यह रहा है कि हम लोग उन्हें पीछे रखते हैं और खुद आगे चलने की कोशिश करते हैं जिससे मजदूर आगे नहीं बढ़ पाते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्कर्स का एजूकेशन होना चाहिए और जहां तक ज्वाइन्ट मैनेजमेंट का सवाल है उसके बारे में जहां स्टरोंग यूनियन्स हों वहां इस चीज को प्रोत्साहन देने की जरूरत है और अगर जरूरत हो तो आप इसके लिये कानून भी बनायें।

दूसरे वेज बोर्ड का सवाल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पहले हमारी यह मांग थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपने जितना प्रोडक्शन का टारजट रखा था श्रमिकों ने उससे ज्यादा करके दिखा दिया। इसलिये दूसरी योजना शुरू होने पर उनको उसका लाभ मिलना चाहिये। इसके लिए हमने वेज बोर्ड की मांग की थी। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है, पर जो वेज बोर्ड की सिफारिशें थीं कुछ पर तो बहुत से कारखानों में अमल नहीं हुआ और कुछ जगह वेज बोर्ड ही कायम नहीं हुए। तो आखिर श्रमिक किस पर विश्वास करें, वे किस आधार पर चलें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने डिसिप्लिन चाहा तो श्रमिक डिसिप्लिन बराबर करते रहे। आपको प्रोडक्शन चाहिए तो वे उस दिशा में भी अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है। उन्हें यह मिल रहा है कि भाव बढ़ने से कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और जो उनको मिलता है उसमें से वे अपना काम नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए सरकार को भावों पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है ताकि जो श्रमिकों को मिलता है उसमें वे अपना काम चला सकें।

सभापति महोदय : टाइम लिमिट १५ मिनट की रखी गई है, आप १७ मिनट ले चुके हैं। क्या आप कह सकते हैं कि आप कितने मिनट और लेंगे ?

श्री राम सिंह भाई वर्मा : मैं १७ मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं उन्हें ७ मिनट और दे सकती हूं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : इसी प्रकार से यह कोड आफ डिसिप्लिन की बात है। कोड आफ डिसिप्लिन हमने माना है और उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य

हुआ कि बोनस कमीशन के बारे में मालिकों की तरफ से यह कहा गया कि बोनस कमीशन का चेयरमैन अमुक आदमी नहीं होना चाहिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मालिकों के इस विरोध के कारण यह मामला ढिलाई में भी पड़ा। श्रमिक भी यह एटीट्यूड ले सकते थे और कह सकते थे कि हम में से एक आदमी चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी बातों पर गवर्नमेंट को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए और गवर्नमेंट ने जो किया है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। जो लोग इसमें सहयोग देना चाहते हैं उनसे सहयोग लेना चाहिए और जो असहयोग करते हैं उनको कानून द्वारा ठीक करना चाहिए। सीधा तरीका कोड आफ डिसिप्लिन को मनवाने का यही है।

अभी मेरे साथी ने सरकारी यूनियन्स के बारे में कहा। मैंने तो कम्युनिस्ट कंट्रीज के अलावा संसार में किसी देश में सरकारी यूनियन्स की बात नहीं सुनी। इस देश के अन्दर तो इस चीज का सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई वास्तव में अध्ययन करके कुछ कहे तब तो सही बात कही जा सकती है, लेकिन उनका लक्ष्य तो आई० एन० टी० यू० सी० की तरफ था क्योंकि पांडेय जी को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने जितना आई० एन० टी० यू० सी० को कमजोर किया है उतना ही फायदा विरोधी यूनियन्स को पहुंचाया है। और अगर आप इसका प्रमाण चाहते हैं तो मेरे पास चार जजमेंट मौजद हैं उनको मैं पेश कर सकता हूं। एक जजमेंट हाईकोर्ट का है और तीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं और चारों के चारों केसेज में आई० एन० टी० यू० सी० के वरकर्स पर सरकार द्वारा——

एक माननीय सदस्य: उनमें आप भी शामिल हैं।

श्री रामसिंह भाई वर्मा: जी हां, मैं भी शामिल हूं। आपके सिवा सब शामिल हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विरोधी कम्यूनिस्ट लोगों के निवेदन पर उनकी प्रार्थना पर और उनकी धमकी के आधार पर गवर्नमेंट ने ये केसेज हमारे लोगों के ऊपर किए और चारों केसेज के अन्दर अदालतों ने कहा है कि यह विरोधी ट्रेड यूनियन्स में आपस में राइवेलरी के कारण केस चलाए गए हैं और ये बनावटी केसेज हैं। और इन चारों केसेज में हमारे विरोधी बुरी तरह से हारे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि अगर यह सरकार की यूनियन हो तो सरकार विरोधी लोगों के कहने पर इस यूनियन के लोगों पर केस करें। मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से तो देश में ट्रेड यूनियन्स का चलना कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको त्रिदलीय सम्मेलन में या किसी भी प्रकार से यह विचार करना होगा। कि इस प्रकार के मामलों में क्या कार्रवाई की जाए। अगर किसी कारखाने में किसी का किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो जिसके साथ झगड़ा हुआ है उसका यह फर्ज है कि पहले मैनेजमेंट को जाकर शिकायत करे, लेबर आफिसर को जाकर शिकायत करे, डिपार्टमेंट के आफिसर से शिकायत करे कि मुझे फलां आदमी ने यह किया है। लेकिन ऐसा न करके वे लोग जब फाटक से बाहर जाते हैं तो शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि मुझे फलां फलां आदमियों ने मारा है और पांच आदमियों का नाम ले लेते हैं ताकि हमले का केस बन सके। पुलिस की रिपोर्ट में आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों के नाम लिखा देते हैं। पुलिस उन विरोधी लोगों से डरती है कि हमारी कहीं आलोचना न करने लगें और इसलिए केस दायर कर देती है और फिर जब केसेज अदालत के सामने जाते हैं तो वह आदमियों के नाम बतलाते हैं कि फलां फला ने मारा। और ऐसा

भी देखा गया है कि जो आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत या दूसरी छट्टियों में आठ दिन से बाहर हैं और काम पर हाजिर नहीं हैं उनका नाम भी ले लिया जाता है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डाइरेक्शन दे कि मजदूरों के मामलों में इस प्रकार की दखलन्दाजी न करें।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन चल रही है और उसमें आपस में कुछ झगड़ा है। उसके कोई भी दस या पांच आदमी बाहर इकट्ठा होकर एक मीटिंग कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने पदाधिकारियों का चुनाव किया है, हमने अमुक प्रेसीडेंट चुना है और अमुक सेक्रेटरी चुना है और जो पहले पदाधिकारी हैं उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास किया है। इस मामले को वे लोग कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट पहले वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध स्टे आर्डर जारी कर देती है। और साल साल भर और छ : छ : महीने यह स्टे आर्डर कायम रहता है। और जो पदाधिकारी हैं वे फंक्शन नहीं कर पाते। उस दशा में मैनेजमेंट के साथ भी कोई एग्रीमेंट कैसे हो सकता है। तो यह भी बड़ा भारी सवाल है। अगर ऐसा हुआ तो सारा ट्रेड यूनियन्स का फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि इन बातों को भी देखने की जरूरत है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने एक बात पर जोर दिया कि ट्रेड यूनियन्स की इनकम बढ़नी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। लेकिन जैसा हमारे माननीय विरोधी साथियों ने अभी सरकारी यूनियन्स की बात की . . . .

एक माननीय सदस्य : सारे साथियों ने नहीं कहीं एक आदमी ने कही है।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : आप उनमें अपने को न समझिए।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय एक्ट में बढ़ा कर कम चन्दा चार आने प्रति महीना रखा गया था। और जो ट्रेड यूनियन मजदूरों का अच्छा काम करेगी और उनका ज्यादा भला करेगी उसको मजदूर ज्यादा से ज्यादा चन्दा देने के लिए तैयार हैं। मेरे यहां कोई मजदूर प्रति मास आठ आने से कम नहीं देता लेकिन आप कोड की बात कहते हैं और इंटर राइवेलरी की बात कहते हैं जिसकी चर्चा नैनीताल में हुई थी। हमारी एक कम्यूनिस्ट यूनियन का जो मुख्य पत्र हैं वह लिखता है :

इंटुकी चन्दा वृद्धि

"इंटक द्वारा इस वर्ष भी मजदूरों से उगड़ाये जाने वाले चंदे में वृद्धि कर दी गई है। सरकार ने टैक्स बढ़ाये व्यापारियों ने भाव बढ़ाये तो इंटुकी भी चंदा दर बढ़ा कर श्रमिकों को लूटने से बाज नहीं आई। गत वर्ष रिग खाते में ६ रुपया वार्षिक प्रति मजदूर चन्दा लेते थे वह अब ९ रुपया लिया जावेगा। इसी प्रकार साल खाते से ९ की बजाय १२ रुपया चंदा वसूल होगा।

भारत सरकार की त्रिदलीय कमेटी ने प्रति मजदूर प्रति माह ४ आने चंदा लेने का फैसला किया है फिर भी इंटुकी लोग तिगुनी चौगुनी रकम चंदे में वसूल कर रहे हैं।

मजदूर यूनियन ने इस चन्दा वृद्धि नीति की आलोचना की है।"

इस तरह से कम्युनिस्ट पत्र ने मजदूरों से लिये जाने वाले चंदे में वृद्धि की आलोचना की है और इस तरह से लिखा है। त्रिदलीय सम्मेलन में यह सिद्धान्त सब ने स्वीकार किया था कि मजदूरों की आर्थिक हालत सुधारी जाय और चंदे में बढ़ोत्री की जाय। इसलिए हमारे उन भाइयों

का श्रमिक को इस तरह से बहकाना कि ट्रेड यूनियनों का चंदा बढ़ने नहीं देना चाहिए उचित बात नहीं है। चंदा वृद्धि की इस तरह की आलोचनाएं उचित नहीं हैं और मैं अपने उधर के विरोधी साथियों को कहना चाहता हूं कि आप ट्रेड यूनियन का विरोध क्यों करते हैं? आप श्रमिकों का विरोध क्यों करते हैं? भले ही आपका जो राजनैतिक दृष्टिकोण है उसको लेकर आप राजनैतिक पार्टियों से लड़ें झगड़ें। लेकिन आई० एन० टी० यू० सी०, ऐंटक या हिन्द मजदूर संघ आदि ट्रेड यूनियनों के बीच में विरोध नहीं होना चाहिए।

इन के बीच में एक संयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए न कि विरोधात्मक। बस इतना ही मैं निवेदन करना चाहता था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व) : तीसरी योजना के प्रथम आय व्ययक के अन्तर्गत श्रम मंत्रालय की अनुदान की मांगों का व्यापक महत्व है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि मजदूरों को कम से कम उनके न्यूनतम अधिकार, जो कि उन्हें बहुत पहिले ही उपलब्ध हो जाने चाहिए थे मिल जायें। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रमिकों को उनके अधिकार प्राप्त हुये नहीं। उनकी दशा उत्तरोत्तर क्षोबनीय होती जा रही है। श्रमिकों ने अपना खून पसीना एक करके देश का उत्पादन बढ़ाया है और उनकी अपनी वास्तविक आय कम हो गयी है। मेरा मत यह है कि सरकार की श्रम नीति सफल नहीं रही।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि कारखानों में आधुनिकीकरण की शर्तों को समुचित बनाने के सम्बन्ध में १९५७ में जो आदर्श करार हुआ था, मालिक लोग उसकी अवहेलना कर रहे हैं। वे लोग जो कुछ कर रहे हैं, वे सभी बातें उन सभी दी गयी सुविधाओं और सुरक्षाओं के विपरीत जा रही हैं जिनका कि उस करार में उल्लेख है। मजदूर वर्ग की गरीबी आज वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि उनकी वास्तविक आय में कमी हो गयी है। मुझे इस बात का भारी खेद है कि नियोजक के रूप में सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है, जो कि उसके वायदों के सर्वथा विपरीत है। सब से अधिक खेदजनक बात यह है कि मालिक लोग मजूरी बोर्डों के सर्वसम्मत निश्चयों की भी अवहेलना कर रहे हैं।

मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पत्तनों तथा गोदियों में काम करने वाले मजदूरों को अभी तक द्वितीय वेतन आयोग का भी लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार को इस दिशा में समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकार को एक ऐसा विधान बनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए जिससे मजूरी बोर्डों की सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू कराया जा सके। उसमें यह भी व्यवस्था की जाय कि सभी संगठित उद्योगों को खंड प्रणाली के आधार पर मंहगाई भत्ता दिलाया जा सके।

यह भी खेद की बात है कि कार्मिक संघों को अनुचित रुप में दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वे इंटक से सम्बन्धित हों। यही कारण है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी के कार्मिक संघ को मान्यता नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में मैं माननीय श्रम मन्त्री का ध्यान इकैफ के १७ वें सत्र में आई० सी० एफ० टी० यू० के प्रतिनिधि मण्डल के विचार प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में कहा था कि इस हड़ताल को कठोरता से दबाया गया है और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघ किया गया है। मेरा उनसे यही कहना है कि कृपा करके इस ओर ध्यान दें।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : (करीमनगर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदया, श्रम मन्त्रालय ने औद्योगिक मजदूरों को लाभ के लिये अनेक उपाय किये हैं। जैसे मजदूरों का प्रबन्ध में भाग लेना, लाभांश देना, आदि आदि। इसीलिये सभा के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस मन्त्रालय की तारीफ की है। परन्तु मुझे बड़ा ही खेद है कि श्रम मन्त्रालय ने खतीहर मजदूरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रत्येक वर्ष श्रम मन्त्री बताते हैं कि वह कृषि मजदूरों की ओर ध्यान देंगे परन्तु केवल कुछ छानबीन तथा सर्वेक्षण करने के अतिरिक्त उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैंने प्रतिवेदन में पढ़ा है कि सरकार का विचार अब एक और सर्वेक्षण कराने का है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इस तीसरी छानबीन कराने से पहले वह कृपा करके पहली छानबीनों के अनुसार काम कराने का प्रयत्न करें।

दूसरी जांच समिति ने बताया था कि दोनों योजनाओं में खेतीहर मजदूरों को कोई लाभ नहीं हुआ है। किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ गई है। इनमें बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है। खेतीहर मजदूरों में १२० लाख तथा ३० लाख क्रमशः स्त्रियां तथा बच्चे हैं। मेरा श्रम मन्त्रालय से यही अनुरोध है कि यदि वह खेतीहर मजदूरों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी मदद की कोई योजना बनाने में सफल नहीं हुए हों तो कृपा करके स्त्रियों तथा बच्चों की हालत सुधारने के लिये कोई योजना अवश्य बनायें।

यह सच है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें हैं उन क्षेत्रों के खेतीहर मजदूरों की हालत बहुत अच्छी है। परन्तु देश में ऐसे स्थान बहुत थोड़े हैं। इसलिये सरकार को प्रयत्न करने चाहियें जिससे इनकी हालत देश के सभी क्षेत्रों में सुधर जाये और यह संगठित हो जायें।

अब मैं काम दिलाऊ दफ्तरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय हमारे काम दिलाऊ दफ्तर उम्मीदवारों के नाम सरकारी विभागों, तथा गैर सरकारी उद्योगों को भेज देते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि केवल इतना काम करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अन्य देशों के समान ही उम्मीदवारों का किसी भी काम में प्रशिक्षण भी करना चाहिये। मैं मानता हूं कि श्रम मन्त्रालय ने कई ऐसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रशिक्षण कार्य में सहायता की है जिनमें व्यक्तियों का प्रशिक्षण किया जाता है। परन्तु मेरा यही अनुरोध है कि उन्हें स्वयं भी एसी संस्था बनानी चाहिये। और इन संस्थाओं के लिये हस्तशिल्प प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिय तुरन्त ही केन्द्र खोले जाने चाहियें।

सभी देशों में कार्मिक संघों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिये सरकार तथा श्रम मन्त्रालय को ऐसे कार्मिक संघों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जनके रचनात्मक कार्यक्रम हों। केवल अधिक संख्या वाले कार्मिक संघों को ही प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन कार्मिक संघों के उन लोगों को, जिन्होंने अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से पूरा किया हो, मैडल, प्रमाणपत्र अथवा कोई इनाम दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे यह लोग जिम्मेदाराना तरीके से तथा अनुशासन में रह कर अपना काम पूरा कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मं० र० कृष्ण]

आज सरकार भी कई उद्योगों की मालिक है इसलिये सरकार को स्वयं उद्योगपतियों के सामने नमूना बनने के लिये अपने उद्योगों के मजदूरों के साथ उत्तम व्यवहार करना चाहिये।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय से कई संघ सम्बद्ध हैं। यद्यपि यह अपना काम बड़ी जिम्मेदाराना तथा सावधानी से कर रही हैं परन्तु फिर भी इनको सरकार ने मान्यता नहीं दी है। इसलिये मेरा श्रम मन्त्रालय से अनुरोध है कि कृपा करके इन सभी संघो को मान्यता दिलाने का प्रयत्न करें।

†**श्री ओझा (झालावाड़)**: सभापति महोदया, मांगों पर चर्चा आरम्भ करते समय माननीय मन्त्री ने बेरोजगारी के बारे में बताया था। हम भी सभी जानते हैं कि आज देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है और इसी को रोकने के लिये पहली तथा दूसरी योजना में शीघ्रता से औद्योगीकरण करने का बीड़ा हमने उठाया। परन्तु यदि हम आंकड़ों को देखें तो पता लगता है कि प्रत्येक वर्ष कारखानों की संख्या बढ़ जाने पर भी रोजगार में लगे हुए लोगों की संख्या कम होती जा रही है। १९५६ में ३७,१६२, १९५७ में ३९,१३८, १९५८ में ४१,५६९ तथा १९५९ में ४४,१०९ कारखाने थे परन्तु १९५६ में ५६,३४,०१,५९९, १९५७ में ३४,७९,७४५, १९५८ में ३४,१२,९४७ तथा १९५९ में ३४,७५,९१४ व्यक्ति काम पर लगे हुए थे। इन आंकड़ों से हम सब का चिन्तित होना जरूरी है। मन्त्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

काम दिलाऊ दफ्तरों का भी यही हाल है। इन दफ्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है परन्तु कम लोगों को काम दिलाया जाता है। १९५७ में १२६, १९५९–६० में २९६ काम दिलाऊ दफ्तर थे परन्तु १९५१ में इनके द्वारा ४,१६,००० लोगों को काम दिलाया गया था और, अब १९६० में केवल ३,०५,००० लोगों को ही काम दिलाया जा सका है।

[श्री तुलचन्द दूबे पीठासीन हुये]

इन आंकड़ों से मैं यही समझता हूं कि हमारे सरकारी कार्यालय ही इन काम दिलाऊ दफ्तरों को सहयोग नहीं दे रहे हैं। वह इनका उपयोग करना नहीं चाहते हैं। स्वायत्तशासी संस्थाओं की तो बात ही छोड़ दीजिये। मेरा श्रम मन्त्रालय से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें। और काम दिलाऊ दफ्तरों को और प्रभावी बनायें जिससे सभी सरकारी विभाग, निगम, स्वायत्त शासी संस्थायें इनका उपयोग कर सकें।

हम जानते हैं कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति का होना जरूरी है और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो मजदूरों का अधिक मजूरी मांगना उचित ही है। परन्तु यह कहना कि मजदूरों की मजूरी बढ़ जाने के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं और इसीलिये मजूरी नहीं बढ़ाई जानी चाहिये ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अमरीका में मजदूरों की मजूरी सात गुना बढ़ जाने जाने पर भी वही मूल्य वस्तुओं के हैं।

सन्तोष की बात है कि सरकार एक बोनस आयोग नियुक्त करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि बोनस आयोग में मालिक, मजदूर सभी के प्रतिनिधि होंगे। परन्तु मुझे यह बात ठीक नहीं लगी कि इस आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों को ही लागू किया जायेगा। आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार को विचार करके यह तय करना चाहिये कि कौन सी सिफारिशें लागू किए जाने योग्य हैं तथा कौनसी नहीं। बोनस आयोग का उद्देश्य इसी प्रकार पूरा होगा ऐसा मेरा विचार है।

हम देखते हैं कि ए० आई० टी० यू० सी० तथा आई० एन० टी० यू० सी० दोनो कार्मिक संघों का आपसी मतभेद होने का लाभ मालिक उठाते हैं। वह कभी एक का पक्ष ले लेते हैं कभी दूसरी का पक्ष ले लेते हैं। इसलिये प्रयत्न किये जाने चाहियें जिससे मालिकों को ऐसा करने का अवसर न मिले और मजदूरो का लाभ हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): सभापति महोदय मैं मन्त्रालय की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कई और उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने का निश्चय किया है और एक लाभांश आयोग भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मन्त्रालय का हड़ताल के दौरान संयत रहना भी सराहनीय है। हड़ताल को प्रतिष्ठा का विषय बना कर लोगों ने ठोस कदमों से कुचलने का बीड़ा उठाया था परन्तु केवल यही एक ऐसा मन्त्रालय था जिसने इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न किया।

माननीय मन्त्री ने अपने भाषण में बताया कि मजदूरों की वास्तविक आय बढ़ी है। कृपा करके आप श्रमजीवी वर्गों के निर्वाह व्यय के देशनांक देखें तो पता लगता है कि उनको सही आधार पर तैयार नहीं किया गया है। श्रमजीवी वर्गों के निर्वाह व्यय के वास्तविक पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। श्री ग्रिगोरी ने भी भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। इसलिये माननीय मन्त्री महोदय को देश की अर्थ-व्यवस्था के अनुसार श्रमजीवियों के साथ उचित व्यवहार करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री मजदूरों के प्रति वफादार है तथा चाहते हैं कि इनका भला हो परन्तु क्या उनकी सरकार ऐसी ठोस कार्यवाही कर रही है जिससे यह पता लग सके कि मजदूरों को भी देश की प्रगति का कोई अंश मिल रहा है। मुझे खेद है कि आंकड़े देखने पर पता लगता है कि मजदूर को देश की प्रगति का कोई लाभ नहीं हो रहा है।

अब आप भारत के वेतनभोगी कर्मचारियों को लीजिये। मैं इनके बारे में एक बार पहले भी आंकड़े बता चुका हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री उनको पुनः दोहराने के लिये मुझे क्षमा करेंगे। १९४८ से १९५८ के वास्तविक आय के आंकड़े देखने पर पता लग जाता है कि उनकी वास्तविक आय कम होती गई है।

†**श्री नंदा**: मैंने कुछ उद्योगों के मजदूरों की वास्तविक आय बढ़ने के बारे में बताया था।

†**श्री नाथ पाई**: जी हां। मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं कि कुछ उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों में वास्तविक आय कम हुई है। इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि धन का समान वितरण नहीं हो रहा है।

अब मैं कारखानों में दुर्घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। आंकड़ों से पता लगता है कि कारखानों में दुर्घटनायें बहुत बढ़ गई हैं। हाल में ही जलगांव में एक दुर्घटना हो गई जिसके फलस्वरूप २३ व्यक्ति मर गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधि के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मशीन तथा व्यक्ति की सुरक्षा के लिये सुरक्षात्मक सावधानी बरती जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार की सावधानी बरती जाये तो निश्चित रूप से दुर्घटनायें कम हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में भी इसके बारे में सिफारिश की गई थी और उन सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। भारत में सर्वदा ऐसा ही होता है। यहां अच्छी अच्छी सिफारिशों के प्रतिवेदन बनाये जाते हैं। जो बाद में पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाते हैं।

हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में दुर्घटनायें दुगुनी होती हैं। कारखानों की दुर्घटनायें २१ से २३ प्रतिशत तथा खान दुर्घटनायें ३.५६ से ६.१ प्रतिशत होती हैं। हमारे देश में कारखाना अधिनियम इस प्रकार लागू होता है कि प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जाती है। १९४७ में २१४, १९५६ में २७०, १९५७ में ३४६, १९५८ में ३५७ दुर्घटनायें हुई हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री नाथ पाई]

पहली योजना में श्रम की केन्द्रीय संस्था ३० लाख रुपये से खोलने की व्यवस्था की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में क्या हुआ क्योंकि वह अभी तक नहीं खुल पाई है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय में कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं परन्तु किसी प्रकार की बाधा, जिसका पता लगाना कठिन है, के कारण वह उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को ले लीजिये। इस दिशा में भी समुचित प्रगति नहीं हो रही। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पतालों को खोलने में विलम्ब होने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार को दृढ़ हो कर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि देश में स्वतंत्र कार्मिक संघ आन्दोलन का स्वस्थ विकास हो। सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या कर्मचारी भविष्य निधियोजना को व्यापारिक उपक्रमों में भी लागू नहीं किया जा सकता ? इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : श्रम मंत्री ने अपने क्षेत्र में जो सफलतायें प्राप्त की हैं उसके लिए श्रम मंत्री को बधाई दे ने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। यह बड़ी चिन्ता की बात है कि जहां रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहां आबादी भी बढ़ रही है। यह भी बड़ी चिन्ता का विषय है कि नौकरियों में महिलाओं का अंश निरन्तर कम हो रहा है। यह भी खेद की बात है कि उनके मामले में "समान काम के लिए समान वेतन" का सिद्धान्त लागू नहीं किया गया है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि काम दिलाऊ दफ्तरों को चाहिए कि वे सभी उम्मीदवारों की परीक्षा लिया करें। जो लोग विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए वहां आयें, यदि आवश्यक व्यवस्था हो सके तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हर काम दिलाऊ दफ्तर में एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो पंगु लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्रयत्न करता रहे। इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि नौकरियों का कुछ प्रतिशत पंगु लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया जाय।

यह बड़े खेद की बात है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना सफलतापूर्वक नहीं चल रही। इसका कारण यह है कि इस पर दोहरा नियंत्रण है। अस्पताल तथा औषधालय खोले जाने चाहिए। इस बात की प्रतीक्षा करने में ही समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि राज्य सरकारें ही अस्पताल अथवा औषधालय खोलें। इस योजना के अन्तर्गत कुछ स्थानों पर 'पेनल सिस्टम' चालू किया गया है। सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि कोई डाक्टर अच्छी प्रकार से काम नहीं करता तो उसका नाम पेनल में से हटा दिया जाना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं को सुनियोजित ढंग से आरम्भ किया जाना चाहिए। जिन उद्योगो में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है उनमें ये योजनायें आरम्भ की जानी चाहिए। उत्पादन केन्द्रों को प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध कर देना चाहिए। वहां इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिसे समाज तुरन्त स्वीकार कर ले।

इन शब्दों से मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं केवल सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों की अवस्था पर ही आज चर्चा करना चाहता हूं। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और उन्हें उपलब्ध सुविधायें एक जैसी कर देनी चाहिए। मेरा यह भी निवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि कार्मिक संघों को उनकी सदस्यता की ओर ध्यान न देकर मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही अनुशासन संहिता के कार्यान्वित किये जाने में उनका सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी निर्णय मालिकों और मजदूरों की संयुक्त बैठकों में किये जाने चाहिए। यथा संभव हो तो मजदूरो को प्रबन्ध में साझीदार बनाया जाना चाहिए।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बोनस आयोग की स्थापना हो रही है। इसके लिए यह जरूरी है कि सरकार इस दिशा में अपनी नीति को स्पष्ट कर दे। सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जो कारखाने कई वर्षों तक काफी बोनस देते रहे हैं उन्हें अपने मजदूरों का वेतन बढ़ाने के लिए कहा जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चिमी बंगाल के खेतिहर मजदूरों की दशा भी बहुत शोचनीय है। उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

जूट उद्योग के मजदूरों के लिए जो मजूरी बोर्ड नियुक्त किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आशा करनी चाहिए कि सरकार बोर्ड के निर्णयों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करेगी। पश्चिमी बंगाल में बेरोजगारी बढ़ रही है। उसका कुछ कारण यह भी है कि वहां बंगाल के बाहर के मजदूरों को काम पर लगाने की प्रवृति बढ़ रही है। इससे वहां के मजदूरों की स्थिति बड़ी शोचनीय हो रही है। इस दिशा में समुचित कदम उठाये जाने चाहिए। बंगाल के १०० पढ़े लिखों में से ७० बंगाली बेकार हैं।

†श्री केशव (बंगलौर नगर) : श्रम, रोजगार और योजना के सम्बन्ध में मंत्रालय के प्रतिवेदन का मैं स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्रालय ने प्राक्कलन समिति के सुझावों को मान लिया है। मैं विभिन्न संघों की प्रतिद्वंद्विता का उल्लेख करना चाहता हूं। इससे कर्मचारियो की अवस्था बहुत खराब हो रही है। मेरा निवेदन है कि इस परस्पर कटुता को कम करने पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस कटुता के कारण ही कई बार हिंसात्मक कृत्य हो जाते हैं

यह बात बिल्कुल निराधार है कि सरकार आई० एन० टी० यू० सी० को प्रोत्साहन देती है। इसके विपरीत स्थिति यह है कि अधिकारीगण इस संगठन के सदस्यों को साम्यवादी दलों द्वारा नियन्त्रित विरोधी संघों की हिंसात्मक गतिविधियों से बचा नहीं सके हैं। ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि विभिन्न उपक्रमों में कार्य करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाय।

मैं इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि शिकायतों को दूर करने के लिये जो वर्तमान व्यवस्था है उसे काम में नहीं लाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मजदूरों में निराशा और असन्तोष फैल रहा है। मेरा मत यह है कि इस सम्बन्ध में जो विधान आदि बनाये जाने वाले हैं, वे इस अधिवेशन में सभा के समक्ष लाये जाने चाहिए। एक यह बात भी मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रालय के कल्याण अधिकारी कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे। उनसे कर्मचारियों को समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। मेरा सुझाव यह है कि इन अधिकारियों को अन्य मंत्रालयों में ठीक ढंग से नियुक्त किया जाना चाहिए। और मजदूरों का मंहगाई भत्ता थोड़ा सा बढ़ाने के बजाय उन्हें खाने पीने की आवश्यक वस्तुयें सस्ते दामों पर दी जानी चाहिए। मजदूरों के आवास की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी बाई** (विकाराबाद) : सभापति महोदय, मैं लेबर और एम्प्लायमेंट मिनिस्ट्री को उन कामों के लिए धन्यवाद देती हूं जो उसने पिछले साल किए हैं और जो वह इस साल करना चाहती है । लेकिन मैं एक दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

आप कोल माइंज से वेलफेयर फंड के लिए काफी रुपया वसूल कर रहे हैं । आप वहां से दो करोड़ रुपये के करीब वसूलते हैं । अभी हमारे माननीय सदस्य श्री केशव कह रहे थे कि सरकार की तरफ से मकान बनाये जाते हैं मगर उन घरों में कोई जाता नहीं है । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वेलफेयर फंड का मतलब केवल यही नहीं है कि पैसे को खर्च कर दिया जाए बल्कि यह है कि उसका ठीक तौर पर इस्तेमाल हो और सही तरीके से मजदूरों का वेलफेयर हो । मैं देखती हूं कि आप घरों के ऊपर १६१ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं और दूसरे जो भलाई के काम हैं उन पर सिर्फ २१ लाख ही खर्च कर रहे हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आई है । यह तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई आदमी बाजार में जाकर दो रुपये का तो आटा ले आए और दो मन शक्कर या नमक उठा कर ले आए । अगर किसी के पास घर न हो तो वह झोंपड़ी में भी रह सकता है, झाड़ी के नीचे भी रह सकता है लेकिन जो उसकी दूसरी जरूरियातें जिन्दगी हैं या दूसरी वेलफेयर ऐक्टिविटीज हैं भलाई की स्कीमें हैं, वे बहुत जरूरी हैं । जो लोग माइंज में काम करते हैं, उनकी गिज़ा बहुत ताकतवर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वे काम नहीं कर सकते हैं । हम देखते हैं कि माइंज में कितने ही एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है । इनको कम करने की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए । जो माइंज इत्यादि में लोग काम करते हैं, वे टी० बी० के भी बहुत जल्दी पेशेंट बन जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वे इस बीमारी से बचे रहें तो इसका एक उपाय यह हो सकता है कि उनकी गिज़ा अच्छी हो । पैसा वसूल करना कोई बुरी बात नहीं है, वह अच्छी बात है लेकिन उसको खर्च करने की जहां तक बात है, वह एक प्लांड ढंग से होना चाहिए । आज ऐसा नहीं हो रहा है । इस ओर आप ध्यान दें ।

मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि किसी को भी दौलत से इतना प्यार नहीं होता है जितना कि उसको अपने बच्चों के साथ होता है । चाहे कोई धनवान हो या गरीब हो बच्चों को वह जान से ज्यादा प्यार करता है । जब हम बच्चों को देखते हैं कारखानों में जाकर या माइंज में जाकर तो उनको मुर्दा सा पाते हैं । उनकी जिन्दगी कुत्तों से भी बदतर होती है । उनके वेलफेयर के लिये कम्युनिटी और मल्टीपरपज़ इंस्टीट्यूशंज होती हैं, लेकिन वहां क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं है । अच्छे ट्रेंड लोग वहां नहीं होते हैं । दूध उनको नहीं मिलता है । मैं एस्टीमेट्स कमेटी को बधाई देती हूं कि उसने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पेश की है । जिस तरह से मैं महसूस कर रही थी ठीक उसी प्रकार की रिपोर्ट उसने दी है । ८३वीं रिपोर्ट में बच्चों के बारे में जो रिपोर्ट एस्टीमेट इस कमेटी ने दी है, उसको पढ़ने से मैं महसूस करती हूं कि वह बिल्कुल उसी किस्म की है जिस किस्म की मैं चाहती थी । इसके लिए मैं उसके मेम्बर्ज़ को बधाई देती हूं और माननीय मंत्री जी से अपील करती हूं कि वह इस को इम्प्लेमेंट करें । बच्चों को गिज़ा नहीं मिलती है । सेंटर्ज़ में दूध नहीं पहुंचता है और जब पूछा जाता है तो बता दिया जाता है कि दस महीने से कोटा नहीं आया है । यह क्यों नहीं आता है, इसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता है ।

बच्चों की पढ़ाई का भी अच्छा इंतिज़ाम नहीं होता है । इससे बड़े खतरनाक नतीजे निकल रहे हैं । मैं एक मैम्बर हूं और मैं एक सर्टिफाइड जूनियर स्कूल का मैम्बर हूं । मेरे प्रान्त में माइंज के जो एरियाज़ हैं, या जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं, उनमें बच्चों की तादाद ११०० के करीब है । वे तमाम बहुत

---

†मूल अंग्रेजी में

गुण्डागर्दी करते हैं और बुरी आदतों में फंस जाते हैं। जब कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको पकड़ कर हम जेल में डाल देते हैं। एम्प्लायमेंट के बारे में अभी एक भाई ने बहुत अच्छी स्पीच दी। मैं उनके एक्शन को स्टडी कर रही थी। कितनी अच्छी बातें उनके दिल में हैं और कितने अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं। लेकिन मेरे सामने इन बच्चों की समस्या है, प्राइमरी स्कूलों के और मिडल स्कूलों के। वहां पर उन स्कूलों में अच्छे टीचर नहीं हैं। कहीं कहीं पर तो प्राइमरी और मिडल एजुकेशन का इंतिज़ाम नहीं है। अब वहां के बच्चे क्या करें। वे गुण्डागर्दी करने लग जाते हैं। एक सर्टिफाइड स्कूल में मैं गई थी। मैं सच्चे दिल से कहती हूं कि मैं चाहे मैम्बर हूं लेकिन मैं भी गुनहगार हूं। इन ११०० बच्चों को जेल में हमने रखा हुआ है। मैं दूसरों को गुनहगार नहीं कहती मैं खुद गुनहगार हूं। आठ आठ साल के बच्चे को हम जेल में बन्द कर देते हैं। हम ऐसी हालत में क्या लीडरी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आपको चाहिये कि उनकी तालीम का आप ठीक से प्रबन्ध करें।

आप घर बनाते जा रहे हैं लेकिन घर बनाने से क्या होता है। लोगों को खाने के लिए गिज़ा मिलनी चाहिये। पिछले साल मैंने इसके बारे में एक सुझाव दिया था और उसको मैं फिर दौहराती हूं। आप दो करोड़ रुपया वसूल करते हैं। उसमें से ५० लाख या २५ लाख गोदामों के लिए आप रखें और उन एरियाज़ के लिए रखें जहा पर फैक्ट्रीज़ हैं और जो फ़ैक्ट्री एरियाज़ हैं। वहां पर जो साहूकार होता है, वह लोगों को एक्सप्लायट करता है, लोगों का खून चूसता है, जो सामान है, उसको बहुत महंगे भाव पर बेचता है। लोगों को घर की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि गिज़ा की है। दो तीन प्लांज तक के लिए आप घर बनाना बन्द कर दें, लोग झोंपड़ी में रह लेंगे, लेकिन उनको जो प्राविज़न लेना पड़ता है, उसको आपको उन्हें सबसिडाइज़ करके देना चाहिये। अगर आपने ऐसा किया तो वेजिज़ बढ़ाने की बात भी इतनी ज्यादा नहीं उठेगी। आप मेहरबानी करके वहां पर डिपोज़ खोलें, ब्लैकमार्केट को खत्म करें और उनको शोषण से बचायें। सरकारी वह डिपोज़ होने चाहियें जिस तरह कि रेलवे वालों के होते हैं और जिस तरह से रेलवे वालों को सामान मिलता है, उसी तरह से उनको सस्ते भाव पर मिलना चाहिये।

माइन एरियाज़ में जो बहनें रहती हैं, उनको करने के लिए कोई काम नहीं होता है और वहां गड़बड़ी मची रहती है। उन बहनों के लिए, मैं आपको बधाई देती हूं कि आपने ईवनिंग स्कूल रखे हैं, ट्रेनिंग सेंटर रखे हैं। यह बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहती हूं कि यहां पर काबिल और अच्छे टीचर्ज़ आप रखें। जहां पर इनको अभी न खोला गया है वहां पर खोलने की भी आप व्यवस्था करें। अगर आप ने ऐसा किया तो गड़बड़ी नहीं होगी।

आपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर यह रुकावट लगाई है कि वे पोलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ के मैम्बर नहीं बन सकते हैं। हमारे जो लेबरर्ज़ हैं उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के कर कमलों से, उन्हीं की सैक्रिफाइसिस से जो हमारी सम्पत्ति है, जो हमारा उत्पादन है, वह बढ़ता है और उन लोगों को भी मैं चाहती हूं कि पोलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ से पाक रखा जाए। फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लेबरर्ज़ के बीच पोलिटिकल पार्टीज़ को नहीं जाना चाहिये। ऐसा सुझाव होना चाहिये कि वहां पर देश के रक्षक बनने और गरीबी, पावर्टी को कम करने वाले लोग हों। किसी पोलिटिकल पार्टी के लोगों को वहां नहीं जाना चाहिये। जिस तरह से आप गवर्नमेंट सर्वेंटस के लिये करते हैं उसी तरह से उन के लिये भी करना चाहिये। इस के लिये आप कोई कानून बनाइये, हम सब आप को सपोर्ट करेंगे।

†**श्री पलनियाण्डी** (पेरम्बलुर) : मैं श्रम मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूं। श्रमिकों के बारे में मंत्रालय द्वारा प्रथम दो योजनाओं में जो रवैया अपनाया गया वह बिल्कुल सफल रहा है। मैं सरकार पर जोर देना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध गत हड़ताल में भाग लेने के कारण कार्यवाही की गयी थी उन्हें पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि मजदूर संघों की मान्यता के बारे में उपयुक्त विधान संसद् के समक्ष लाया जाना चाहिए।

यह खेद की बात है कि कुछ फैक्टरियों के मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया। इस दिशा में समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। विधि उद्योगों के लिए और मजूरी बोर्ड स्थापित किये जाने चाहिएं। मेरा यह भी निवेदन है कि मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। तहसीलों में भी व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की जानी चाहिएं ताकि खेतिहर मजदूरों को भी प्रशिक्षण मिल सके।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : सभापति महोदय, बहुत सी चर्चा इस सदन में इस मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में हो चुकी है, मैं सिर्फ दो तीन बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस मिनिस्ट्री का कोई शास्त्रीय निवेचन कर सकूं। फिर भी इस समय जो हमारे मजदूर वग की दशा है, उस को देखते हुए मैं यह नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी को किस बात के लिये धन्यवाद दिया जाय। इसमें कोई शक नहीं कि वेज बोर्ड बनाया गया, एक कमिशन अप्वाइंट हो गया, लेकिन सही बात यही है कि हमारे मुल्क में मजदूरों की जो दशा है, खास तौर से खेतों में काम करने वाले मजदूरों की दशा, वह बिल्कुल आदमियों जैसी नहीं है, न उन के साथ आदमियों जैसा व्यवहार हो रहा है। इस मंत्रालय ने उनके लिये कुछ किया ही नहीं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार के लोग एक खास विचार के हैं। मेरी समझ में तो स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जिस के पास कुछ नहीं है पहले उसे मिलना चाहिये, पहले उस के ऊपर ध्यान देना चाहिये। बहुत से लोगों ने इस सदन में यह भी कहा कि कम्यूनिस्टों द्वारा संगठित ट्रेड यूनियनें बड़ा झगड़ा करती हैं और हिंसा मचाती हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि उन के द्वारा जो यूनियनें संगठित की गई हैं उन का एक मात्र पेशा है मिल मालिकों की दलाली करना और लड़ने वाले मजदूरों का गला काटना। इस के अलावा उन का कोई दूसरा काम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : किस का?

†**श्री सरजू पांडेय** : जो हमारे दूसरे भाई हैं नेशनल ट्रेड यूनियन वाले। मुझे इस बात का तजुर्बा है। वे ट्रेड यनियन का काम नहीं करते हैं।
मैं कह रहा था।

श्री काशीनाथ पाडेय : गलत बात कहते हैं।

श्री सरजू पांडेय : गलत बात नहीं कहता हूं, आपकी करनी ब्यान कर रहा हूं। अभी पिछले दिनों मुझे हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मजदूरों की अवस्था देखने का मौका हुआ। यह कम्पनी मिर्जापुर जिले में रेंड वांध पर काम कर रही है। मैं नहीं समझता कि वहां के मजदूरों के लिए कोई कानून है। उस कम्पनी में जो सारे मजदूर रखे गए हैं उनकी डेलीवेजज

†मूल अंग्रेजी में

पर हाजिरी लगा दी जाती है ताकि उन पर फैक्टरी ऐक्ट लागू न हो और जब पिछले साल मजदूरों ने इसके लिए मांग उठायी तो उनके ऊपर गोलियां चलायी गयीं और उनको मारा गया और हजारों आदमियों को जो कि हैदराबाद से और साउथ से आकर काम कर रहे थे और जो अच्छे कारीगर थे उनको जेलों में बन्द कर दिया गया और कितनों को मार मार कर निकाल दिया ।

हमारे जिले में एशिया की सब से बड़ी ओपियम फैक्टरी है । वहां लगभग दो हजार मजदूर काम करते हैं लेकिन उनकी दशा अच्छी नहीं है । पिछले दिनों उनके बारे में मैं ने प्रश्न भी किया था । वहां कोई कानून लागू नहीं है । जो अधिकारी चाहते हैं करते हैं, न रहने के लिए मकान हैं, न मजदूरी का कोई तरीका है, न तनख्वाहों का ठीक प्रबंध है, न उनके लिए दवाओं का प्रबन्ध है । यहां तक कि जो बीमा की स्कीम और कारखानों में लागू है वहां वह भी नहीं है ।

आज भी हमारे यहां एग्रीकल्चुरल लेबरर एक आने रोज पर काम करता है और कहीं तो वह भी नहीं दिया जाता और मुफ्त में काम लिया जाता है ।

†**श्रीराम सिंह भाई वर्मा** : यह त्याग है ।

†**श्री सरजू पांडेय** : अगर कुछ त्याग आपकी तरफ से हो तो समझूं । आप आए दिन मजदूरों को त्याग करने का उपदेश देते रहते हैं, मजदूरों को देश की तरक्की के लिए त्याग करने को कहते रहते हैं । मजदूर अपने पेट पर पत्थर बांधने को तैयार हैं लेकिन आप भी तो अपने पेट पर कम से कम रोड़ी ही रखें । लेकिन केवल मजदूर वर्ग से त्याग की बात कही जाती है, उनको गालियां दी जाती हैं, उनको बदनाम किया जाता है कि काम नहीं करते, शराब पीते हैं । तो लाजिमी तौर से इस तरह से मजदूरों का कोई लाभ नहीं हो सकता । मिनिमम वेजेज ऐक्ट का फायदा तो दूर उनको अपने घरों के लिए मिट्टी तक नहीं मिलती । तो मेरा निवेदन है कि मजदूर जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं और जो कि देश को बनाने वाले हैं, अगर उनकी दशा नहीं सुधारी जाती तो फिर आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें उनसे कोई काम नहीं होने वाला ।

इसलिए मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं, पहली तो यह कि हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी जो कि सारे देश में कंस्ट्रक्शन का काम करती है उसमें काम करने वाले मजदूरों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं । यह कम्पनी लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कर रही है । लेकिन आज वहां न फैक्टरी ऐक्ट लागू है और न मजदूरों को वे सुविधाएं प्राप्त हैं जो कि दूसरी जगह हैं । मिनिमम वेजेज ऐक्ट भी उनके ऊपर लागू नहीं है । वह भी लागू होना चाहिए ।

दूसरे जो गाजीपुर में ओपियम फैक्टरी है और जिसमें लगभग दो हजार मजदूर काम करते हैं वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है । वहां भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए । यह सरकारी कारखाना है । वहां के मजदूरों को तो पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अन्य लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपने कारखानों के मजदूरों को वे सुविधाएं दें ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चुरल लेबर के लिए कोई कानून बनाया जाए । वे लोग आपस में संगठित नहीं हो सकते । अगर वे संगठित होने का प्रयास करते हैं तो उन पर जुल्म ढाए जाते हैं । इसलिए उनके लिए कोई व्यवस्था अवश्य की जाए । ताकि देश का मजदूर वर्ग सुखी हो सके । और जब मजदूर सुखी होंगे तभी आप धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री नंदा : यह स्वाभाविक है कि सरकार अपनी सफलताओं का उल्लेख करती है तो विरोधी सदस्य सरकार की कमियों की ओर इशारा करते हैं ।

श्री नाथपाई ने मजदूर संघ एवं उनके कार्यों का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है कि कुछ मामले राष्ट्रीय महत्व के होते हैं जबकि कुछ लोग उनके बारे में दलीय भावना की दृष्टि से देखते हैं । हमारे देश में उद्योगों का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है और औद्योगीकरण की ओर प्रगति हो रही है । वहां काम करने वाले कर्मचारियों की ताकत ही ऐसी ताकत है जो इस प्रगति में सहायक हो सकती है । लेकिन कुछ कर्मचारियों ने अपने संघ बना लिये हैं । अगर इन संघ के कर्मचारी एवं नेता कर्मचारियों को भलाई, देश की भलाई आदि के बारे में सोचें तो वे देश की और अधिक भलाई कर सकते हैं । यह कहना गलत होगा कि कार्मिक संघों के मामले में सरकार का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है या वह किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है । यह बहुत आवश्यक है कि मालिक मजदूर सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिये काम में लाये जाने वाले उपायों के प्रश्न पर धार्मिक संघ आन्दोलन के सभी वर्गों को किसी प्रकार के मौलिक सिद्धान्त पर सहमत होना चाहिये । मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमने किसी के साथ कभी भी कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया है ।

जहां तक हिंसात्मक बातों की बात है उससे किसी को कोई भी लाभ नहीं हुआ है । बल्कि कर्मचारियों को हानि ही हुई है । लेकिन मुझ खुशी है कि हिंसात्मक कार्यवाही कुछ कम ही हुई है । उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि संख्या घटी ही है । खदान क्षेत्रों में भी जहां कि इनकी संख्या प्रायः अधिक हुआ करती थी घटी ही है । मेरा निवेदन है कि ऐसी घटनाएं कोई अच्छी चीज़ नहीं हैं बल्कि इनसे हानि ही होती है अतः कार्मिक संघों को इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सचेत रहना चाहिए ।

कार्मिक संघों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने समझौते को क्रियान्वित कराने में सरकार का हाथ बटाया है । यह बात ठीक है कि उनके प्रयत्नों के बावजूद भी एक दो घटनाएं कभी हो गई हों । लेकिन इसमें उनका कोई दोष नहीं है । इसमें तो उनकी लाचारी है । फिर कर्मचारी भी तो पूरी तरह संगठित नहीं हैं । लेकिन फिर भी उनका पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है ।

इस लोकतन्त्रीय ढांचे में हम सोच रहे हैं कि मजदूर भी प्रशासन में भाग लें और इस बात की ओर श्री नाथपाई ने भी संकेत किया है । लेकिन यदि मजदूरों में एक विशेष स्तर की समझ व बुद्धि नहीं पैदा हो जाती और यह काम कार्मिक संघ ही कर सकते हैं, तब तक मजदूरों द्वारा प्रबन्ध में हाथ बटाने का विचार व्यर्थ है । इस बारे में मजदूर संघ बहुत कम काम कर रहे हैं ।

न्याय निर्णयन के लिए सदैव ही पूरा पूरा ध्यान रखा गया है । उसकी अवहेलना कभी नहीं की गई । लेकिन न्याय निर्णयन के सम्बन्ध में भारतीय श्रमिक सम्मेलन में हमने न्याय निर्णयन की मांग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कुछ आधार निश्चित किए हैं, ताकि इस सम्बन्ध में एक निश्चित प्रक्रिया रहे । हर कोई इस बात को देख सकता है कि ये आधार किस प्रकार लागू किए जाते हैं । इनके बारे में कभी भी कोई शिकायत नहीं की जा सकती ।

गुप्त मतदान के द्वारा कार्मिक संघों के बारे में यह पता लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव कि कोई कार्मिक संघ मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, कार्मिक संघ आन्दोलन के स्वस्थ विकास के लिए लाभप्रद नहीं होगा । यह समुचित है कि मान्यता देने के लिए कुछ नियम होने चाहियें । कोई भी कार्मिक संघ यदि वह आवश्यक शर्तों को पूरा करता है तो मान्यता की मांग कर सकता है । इस सम्बन्ध में कानून बनाने का समय अभी नहीं आया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

सरकार का प्रत्येक विभाग तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जाने वाली प्रत्येक संस्था अनुशासन संहिता को मानने के लिये सहमत हो गया हैं। जहां तक कि रेलवे मन्त्रालय का कहना है कि वह एक उच्चकोटि की संहिता का पालन कर रहा है। यदि कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं है तो हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और यही बात हम गैर सरकारी क्षेत्र में भी करते हैं। वस्त्र मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार शीघ्र ही एक विधान लायेगी। जहां तक कि सीमेंट कारखानों की बात है चुर्क सीमेंट कारखाने वालों ने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की है। चीनी उद्योग के बारे में हमने एक प्रस्ताव पारित किया है। चीनी उद्योग मूल्य बढ़ाने के लिये कह रहे हैं यह बात गलत है।

मैं सांकेतिक हड़तालों के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इस से काम कम होता है और उत्पादन गिरता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब मजूरी बोर्ड द्वारा सब कुछ निश्चित कर दिया जाता है तो फिर यह हड़ताल क्यों होती है। मैं कर्मचारियों से निवदन करता हूं कि वे एसा न करें।

जहां तक कि केन्द्रीय संस्था की इमारत की बात है। मेरा निवेदन यह है कि मैं इस पक्ष में था कि यह इमारत बम्बई में बने। अब इस संस्था के लिये एक नई इमारत बनाई जा रही है। संस्था का काम रुका नहीं है, यह कार्य एक किराये की इमारत में चलाया जा रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो यह होता कि शीघ्र ही इसकी अपनी इमारत होती।

सरकारी क्षेत्र में रूरकेला का उल्लेख किया गया है वहां विधान का पालन नहीं किया गया है तथा वहां वेतनों का प्रमापीकरण नहीं है। यह बात ठीक है। जब इसका निर्माण हो रहा था तो वहां यह बात हो रही थी और उसकी ओर विशष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यह कार्य जान बूझ कर नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब वहां इन मामलों को ठीक कर दिया गया है और स्थिति सामान्य है।

कोई भी निर्माण समिति नहीं बनाई गई हैं ; उसका कारण यह है कि भिलाई के लिये दूसरी ही किस्म का विधान था। और उस विधान को लागू करने के बारे में कुछ कठिनाइयां थीं। प्रौद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में संयुक्त समिति अथवा इसी प्रकार की समिति बनाने की व्यवस्था की गई हैं। और इन समितियों को बनाया जायगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह केवल कर्मचारियों के हित में ही नहीं है बल्कि सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। सरकारी क्षेत्रों का भविष्य अच्छा हो इसलिये यह आवश्यक है कि उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़े। उस सरकारी क्षेत्र का कोई विशेष महत्व नहीं है जिसे कि कुछ सरकारी पदाधिकारी चला रहे हों और वह लाभ कमा रहा हो। उसका महत्व तो तभी है जबकि वहां मालिक तथा कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध अच्छे हों।

क्रियान्विति के सम्बन्ध में डा० सुशीला नायर और कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा का उदाहरण पेश किया गया। यह सही है; मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठकों में उपस्थित रहता आया हूं और मैंने इन बातों को निकट से देखा है। अस्पतालों के निर्माण में देर हो गई है। कार्यक्रम तैयार हो गया है और भूमि खरीदी जा चुकी है। चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल के मामले में कुछ माननीय सदस्यों ने यह संकेत किया है कि नियन्त्रण दोहरा है। यह ठीक है। मैंने श्रम मन्त्रणा समिति में कुछ माननीय सदस्यों को यह सुझाव दिया था कि वह हम पूर्णत: राज्यों को दे दें। वह दोहरा नियन्त्रण खत्म करने का तरीका था परन्तु किसी ने भी उस विचार का समर्थन नहीं किया।

[श्री नंदा]

मैं देखता हूं कि कुछ मामलों में कठिनाइयां उत्पन्न होती ही हैं और उन पर हम विजय पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अस्पताल के निर्माण में विलम्ब हुआ है। भूमि का अर्जन तथा अन्य अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं परन्तु आज ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें आगामी तीन या चार वर्षों में १५ करोड़ रुपए या उसके लगभग समस्त राशि खत्म हो जाएगी।

इसके बाद मैं दुर्घटनाओं के प्रश्न को लूंगा। मैं होने वाली किसी भी दुर्घटना के पक्ष में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता हूं। इन दुर्घटनाओं का कारण चाहे कुछ भी हो परन्तु उनकी संख्या देखकर मैं स्वयं डर जाता हूं। दुर्घटनाओं का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि माननीय सदस्य ने संकेत किया हमने इस प्रयोजन के लिए राज्यों के मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने कारखानों की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में उस समय तक अधिक ध्यान नहीं दिया था जब तक कि उस पर विशेष जोर नहीं दिया गया। हमने तुरन्त कार्यवाही की और श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया और अब यह मामला स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन के सामने फिर आ रहा है। यह कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण पद है। अनेक कदमों का सुझाव दिया गया है और कुछ सुझाव क्रियान्वित भी किए गए हैं।

प्रति हजार श्रमिकों की घातक चोटों की दर .१० रही है और यह दर जा ी रही है। गत वर्ष वह .०९ थी और उससे पिछले वर्ष .१२। यह दर प्रायः स्थायी है। परन्तु यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसे कम होना चाहिए था। अन्य चोटों के सम्बन्ध में पिछले ६ या ७ वर्षों में भी संख्या प्रायः स्थिर रही है। उससे पहले के वर्षों में उनकी संख्या काफी कम थी। मैं नहीं कह सकता कि इस वृद्धि का कारण रिपोर्टिंग में सुधार है अथवा शासन का खराब होना। परन्तु पिछले आठ वर्षों में उनमें कोई खास कमी नहीं हुई है। यह कारखाने के बारे में है। खानों के सम्बन्ध में स्थिति निश्चय ही अधिक अच्छी है। कुछ वर्षों को छोड़ कर जब कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई और दर बढ़ गई, हम देखते हैं कि खानों के सम्बन्ध में उनकी संख्या में कमी की प्रवृत्ति रही है। १९५३ में वह .८१ थी, उसके बाद .७२, फिर .६४, फिर .५३ और १९५८ में .४० और १९५९ में चिनाकुरी दुर्घटना के कारण वह बढ़ कर .४७ हो गई। अन्य गम्भीर चोटों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है। उनमें वद्धि की प्रवृत्ति नहीं रही है। दूसरी ओर यदि एक निश्चित अवधि को लिया जाए तो दुर्घटनाओं की संख्या में कुछ कमी रही है। चिनाकुरी दुर्घटना के पश्चात् एक सुरक्षा सम्मेलन हुआ था और नियुक्त की गई कुछ समितियों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं। कुछ कार्यवाही की जाने वाली है और हमें इस मामले में जोर लगाना होगा।

†**श्री नाथ पाई** : मैंने जो आकड़े दिये थे उनमें १९४७ को आधार माना था और यह कहा था कि खानों में प्रति हजार संख्या ३.५६ थी और अब १९५९ में ६.६१ है जैसा कि श्रम सम्बन्धी आंकड़ों की पुस्तक में बताया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

†**श्री नन्दा** : यह मैं स्वीकार करता हूं। यदि हम पहले की अवधि लें तो यह ठीक लगेगा। अब हम इन आंकड़ों की अन्य देशों से उपलब्ध आंकड़ों से तुलना करेंगे। वर्ष १९५७ के सम्बन्ध में अनेक देशों के आंकड़े मिल सके हैं। उस वर्ष में भारत की दुर्घटनाओं की दर ०.४९ थी। एक भी देश ऐसा नहीं है जिसकी दुर्घटनाओं की दर इससे कम हो। प्रायः इन सभी देशों की दर इससे कहीं अधिक है। अमरीका में वह २.८६ थी, जापान में १.७१, फ्रांस में ०.९७ और ब्रिटेन में ०.६८ थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नाथ पाई : हमें खानों की गहराई को याद रखना चाहिए। मैंने मशीन काम में लाने वाले कारखानों के आंकड़ों की तुलना की थी। और कहा था कि उनकी दर दुगुनी है।

†**श्री नन्दा** : यह ऐसा तथ्य है जिसको हमें भविष्य के लिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हम अपनी खानों का यंत्रीकरण करने जा रहे हैं और हमें गैस की खानों का सामना करना होगा। इस प्रकार हमारे यहां की दुर्घटनाओं की दर अन्य देशों से अधिक नहीं है। फिर भी हमें उनको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए।

फिर माननीय सदस्यों ने मजूरियों और मूल्यों, श्रमिकों के रहन सहन के स्तर, मजूरी नीति, लाभों के स्तर आदि का निर्देश किया। जो भी आंकड़े मेरे पास हैं वे आपके सामने छपे हुए मौजूद हैं। वे हमारी समस्त सूचना के निकट अध्ययन पर आधारित हैं। मैंने स्वयं यह कहा था कि जहां तक निर्माण उद्योगों का सम्बन्ध है, आंकड़ों में वास्तविक मजूरी में केवल ६ प्रतिशत वृद्धि दिखाई पड़ती है। अन्य उद्योगों में वह कहीं अधिक है और औसत २७ प्रतिशत आता है। अब दो योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय में ४० प्रतिशत वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में २० प्रतिशत से कुछ कम वृद्धि होगी। सलिए यदि हम राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि की तुलना करे तो पता लगेगा कि हमारे श्रमिकों की स्थिति बहुत बुरी नहीं रही है। हां, कुछ स्थानों में पिछले कुछ वर्षों में उनकी स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई है और यह बहुत खेदजनक है। मैं समझता हूं कि मजूरी बोर्डों की स्थापना से उसमें सुधार हो जाएगा। इसलिए अधिकाधिक मजूरी बोर्डों की स्थापना आवश्यक है ताकि श्रमिकों को वह प्राप्त करने का प्रयत्न करने का अवसर मिल सके जो वे खो चुके हैं।

हमें मजूरी बोर्डों से तोष भले ही न हो परन्तु हमें जो साधन उपलब्ध हैं उनमें वही सब से अच्छ हैं। पूछा जाता है कि हम श्रमिकों के साथ न्याय क्यों नहीं करते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम केवल न्यायनिर्णयन की व्यवस्था कर सकते हैं, मजूरी बोर्ड स्थापित कर सकते हैं और नीति निर्धारण कर सकते हैं। ये सब कार्य हम कर चुके हैं। प्रत्येक मजूरी बोर्ड के निर्देश पदों में उचित मजूरी समिति की सिफारिशों तथा हमारे द्वारा किये गये विभिन्न अन्य करारों का निर्देश सम्मिलित रहता है। इसलिए सरकार इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती है।

हम कहते हैं कि लाभ बहुत अधिक है। मैं लाभों की प्रवृत्ति के आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता—यद्यपि लाभों में वृद्धि के आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं। परन्तु यदि यह मान लें कि लाभों में वृद्धि हुई है—क्योंकि चाहे जो भी हो पिछले कुछ वर्षों में प्रतिभूतियों के देशनांक बहुत चढ़ गए हैं—और समस्त उद्योगों के लाभों को लेकर श्रमिकों में बराबर बराबर वितरित करे तो प्रति व्यक्ति लगभग दो रुपये मिलेंगे।

†**एक माननीय सदस्य** : अवितरित लाभ के बारे में क्या स्थिति है?

†**श्री नन्दा** : यदि आप गुप्त लाभों की बात कर रहे हैं तो मुझे उसके आकार की जानकारी नहीं है। परन्तु जहां तक प्रतिधारित लाभों का सम्बन्ध है, वह हम जानते हैं और वह इसमें सम्मिलित है। यदि हम ऐसे मामले में कोई न्याय-निर्णायक नियुक्त करे तो वह क्या करेगा? हम उद्योग की क्षमता की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से हम श्रमिकों के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

फिर मूल्य नीति का उल्लेख किया गया और यह कहा गया कि मैंने कुछ और कहा था तथा रूपरेखा में कुछ और कहा गया है। वास्तव में उनमें कोई संघर्ष नहीं है। हां, यह हो सकता है हम भिन्न भिन्न बातों पर जोर देते हों। मैं मूल्यों को स्थिर करने पर बहुत जोर देता रहा हूं। जब अर्थशास्त्री मूल्यों के सम्बन्ध में तर्क करते हैं और कहते हैं कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि अनिवार्य है तो हम यह कहते हैं कि केवल विलास की वस्तुओं के मूल्य बढ़ाये जाने चाहिएं, आवश्यक वस्तुओं के नहीं जिनका उपयोग जन-साधारण करते हैं। इस अवसर पर मूल्य नीति के समस्त विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती परन्तु मैंने अपना दृष्टिकोण बता दिया है। वह योजना में व्यक्त किये गये दृष्टिकोण से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। यदि योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाते हैं तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने का कोई कारण नहीं रह जाता है।

यह कहा गया कि बहुत समय से न्यूनतम मजूरियों का पुनरीक्षण नहीं किया गया है। वर्ष १९६० में १७ व्यवसायों में पुनरीक्षण किया गया था और ५० से १०० प्रतिशत तक वृद्धियां हो गई थीं। शेष मामलों में समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

जिन माननीय सदस्य ने कृषि श्रमिकों के बारे में कहा था वह उपस्थित नहीं हैं। कृषि श्रमिक जांच समिति के प्रतिवेदन में जो रहस्योद्घाटन किए गए थे उनसे बहुत से लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। पांच वर्ष की अवधि में कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के बजाय अधिक खराब हो गई है। हमने आंकड़ों की सावधानी से जांच की है। समय की कठिनाई के कारण मैं ब्यौरे में नहीं पड़ूंगा। मैं माननीय सदस्यों को उसके बारे में सूचना देना चाहूंगा परन्तु उसमें सारा समय लग जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

हमारे सामने यह स्थिति थी कि दूसरे प्रतिवेदन की अवधि में पहली की तुलना में आय कम थी और रोजगार कम था। दोनों प्रतिवेदनों का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किये जाने पर हमने पाया कि उन दोनों प्रतिवेदनों की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों में कृषि परिवारों की धारणा भिन्न भिन्न थी। पहले में कुछ भूमिधारी भी कृषि श्रमिकों में सम्मिलित किए गए थे क्योंकि भूमि तथा अन्य साधनों से आय के सम्बन्ध में भिन्न प्रतिमान रखा गया था। इस जांच में इस प्रकार के परिवार लगभग ७ प्रतिशत कम थे। उन ७ प्रतिशत की आय अधिक थी। जब हमने समान चीजों की तुलना की तो ज्ञात हुआ कि कृषि श्रमिकों की आय में कुछ वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं। रोजगार के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है।

एक बात और भी थी कि फसल की कटाई के सम्बन्ध में कृषि सम्बन्धी दरें कम हो गई थीं। वास्तव में स्थिति यह थी कि उस मामले में वह नकद की अपेक्षा किस्म में अधिक भुगतान था। पहले मामले में आकलन खुदरा मूल्यों के आधार पर था और दूसरे मामले में थोक मूल्यों के आधार पर। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनके सम्बन्ध में किसी अन्य अवसर पर मैं विस्तार में बताऊंगा, जिनसे यह ज्ञात होता है कि जो सुधार हुआ मालूम होता है वह संभवतः केवल आंकड़ों में ही है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रतिवेदन को इस तर्क के समर्थन में नहीं रखा जा सकता है कि स्थिति खराब हो गई है।

†श्री आचार (मंगलौर): क्या ऐसा नहीं कहा गया है कि मजूरी की दरें भले ही न बदलें पर काम के दिन कम हो जायें?

†श्री नन्दा: काम के दिनों के आकलन में एक भिन्न प्रतिमान लागू किया गया था। दूसरे प्रतिवेदन में अधिक कठोर प्रतिमान था जिसका वर्णन किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु कृषि श्रमिकों की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है। हमने इस विषय पर विचार करने के लिये योजना आयोग मे एक केन्द्रीय समिति नियुक्त की है। रोजगार के उद्देश्य से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम वास्तव में उनके लाभ के लिये हैं। हम समझते हैं कि बेकार जनशक्ति के उपयोग की योजनाओं, मार्गदर्शक योजनाओं और विशेष कार्यक्रमों से इन लोगों को लाभ होना चाहिये। इस विषय पर योजना आयोग में अभी भी विचार किया जा रहा है कि इस सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है।

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): जनगणना के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि तीसरी योजना के प्रारूप में जितने श्रमिकों की कल्पना की गई थी वास्तव में उनकी संख्या २० या ३० लाख अधिक होगी। इन लोगों को रोजगार देने के लिये सरकार क्या तुरन्त कदम उठाने का विचार कर रही है?

†श्री नन्दा: इस मामले में हम चिन्तित हैं। जनगणना के आंकड़ों से हमारे सामने नई स्थिति आई है और हम यह विचार करेंगे कि हमारे लिये और क्या करना सम्भव है। मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकता कि क्या किया जा सकेगा परन्तु इससे यह अवश्य मालूम होता है कि स्थिति उससे कहीं अधिक गम्भीर हो गई है जैसी कि हमने पहले के प्रस्ताव तैयार करते समय सोची थी। परन्तु यह सच नहीं है, जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, कि बंगाल में रोजगार कम हो गया है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं और मैं देखता हूं कि ऐसी बात नहीं है। पटसन उद्योग में वैसा भले ही हो क्योंकि उसमें वैज्ञानिकन की अवधि चल रही है। परन्तु समस्त राज्य के सम्बन्ध में १९५० में उनकी संख्या ६.४२ लाख थी और १९५९ में ६.९१ लाख अर्थात् ८ प्रतिशत वृद्धि हुई है। कुल रोजगार की यह स्थिति थी।

कुछ और भी बातें हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है।

†श्री नाथ पाई: मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आंकड़ों के सम्बन्ध में हम लोग केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था को अन्तिम प्राधिकारी मान लें और उसी के आंकड़ों को यहां उद्धृत करें क्योंकि यदि हम विभिन्न संगठनों के आंकड़े उद्धृत करेंगे तो इस प्रकार की चर्चा निरर्थक हो जायेगी।

†श्री नन्दा: अन्य विशेषज्ञों की तरह सांख्यिकी भी हमेशा एकमत नहीं होते हैं और हमें इन चीजों के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचना होता है। इस मामले में ये आंकड़े भिन्न भिन्न नहीं हैं। प्रश्न केवल इतना है कि हम उनका निर्वचन कैसे करते हैं?

श्री स० मो० बनर्जी ने कानपुर की स्थिति का निर्देश किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सम्पत्ति कर, आयकर आदि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे कांग्रेस को चन्दा देते हैं। यह बहुत गम्भीर आरोप है और उसको प्रमाणित किया जाना चाहिये। अन्यथा इस प्रकार का आरोप लगाना ठीक नहीं...

†श्री स० मो० बनर्जी: मैंने यह कहा था कि कानपुर के नियोजक न आयकर देते हैं और न सम्पत्ति कर वरन् केवल शासन दल को चुनाव के दौरान चन्दा देते हैं उनसे आयकर की ४८० करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूल की जानी है।

†श्री नन्दा: उनका यह कहना होगा कि वे उतना लाभ नहीं कमा रहे हैं जितना कि अन्य लोग कमा रहे हैं। इस प्रकार के वक्तव्यों से यह नहीं कहा जा सकता है कि वे करापवंचन कर रहे हैं।

†श्री ब्रजराज सिंह: माननीय मन्त्री को कलकत्ता के पत्तनों की हड़ताल, चिपिंग तथा अन्य कार्य के सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहिए।

†श्री नन्दा: यद्यपि वह हड़ताल अब खत्म हो गई है परन्तु उसके बारे में जो सूचना मेरे पास है वह मैं माननीय सदस्य को दे देना चाहता हूं। मुझे उसकी पृष्ठ भूमि मालूम है और वह बहुत समय से चली आ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह : माननीय श्रम उपमन्त्री ने यह वक्तव्य दिया था कि हड़ताल खत्म कर दी गई है। परन्तु वास्तव में वह ५० दिन तक जारी रही।

†श्री नन्दा : मैं बिना पक्की जानकारी के कोई आरोप नहीं लगाता हूं।

मैं सभा का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उसने मेरी बातें बड़े धैर्य से सुनीं।

†श्री का० ना० पांडे : हमने भी कुछ बातें कही थीं अब समय नहीं है परन्तु मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह उन पर भी विचार करें।

†श्री नन्दा : मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि यहां कही गई प्रत्येक बात पर विचार किया जाए। पिछली बार भी जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे उनको हमने अलग अलग उत्तर भेजे थे।

†श्री नाथ पाई : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार रहन सहन के खर्च के आंकड़े एक स्वतन्त्र आयोग द्वारा तैयार कराने के सम्बंध में विचार करेगी जैसाकि आस्ट्रेलिया में होता है क्योंकि सरकारी अभिकरण का हित यही बताने में है कि वे काबू के बाहर नहीं हैं ?

†श्री नन्दा : मैं इस प्रकार की बात कतई पसन्द नहीं करता हूं और यदि मुझे इसका तनिक भी आभास हुआ तो मैं उसे निश्चय ही दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यह बता चुका हूं कि एक गवेषणा संस्था स्थापित की जाने वाली है जो हमारी आंकड़ों के निर्णय के सम्बन्ध में सहायता करेगी। परन्तु जहां तक आंकड़ों में परिवर्तन का सम्बन्ध है, जिनका माननीय सदस्य ने निर्देश किया, हो सकता है हाल में कुछ परिवर्तन हो गए हों क्योंकि ये देशनांक पुराने आधार पर तैयार किये गये थे। हाल में पारिवारिक बजट सम्बन्धी दूसरी जांच की गई है और उससे कुछ नए परिणाम सामने आयेंगे जिनसे जीवन निर्वाह व्यय सम्बन्धी नए देशनांक तैयार किये जायेंगे।

†श्री एन्थनी पिल्ले : क्या नए देशनांक तैयार करने के पूर्व श्रमिकों के प्रतिनिधि से भी परामर्श किया जाएगा ?

†श्री नन्दा : ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा सामान्य उत्तर यही है कि हम सदा एक दूसरे से मिलने और परामर्श करने का प्रयत्न करते हैं।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

सभापति महोदय द्वारा श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६७	श्रम और रोजगार मन्त्रालय	२६,२६,०००
६८	मुख्य खान निरीक्षक	२१,१८,०००
६९	श्रम और रोजगार	५,३२,१५,०००
७०	श्रम और रोजगार मन्त्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	९६,०००
१२९	श्रम और रोगजगार मन्त्रालय का पूंजी व्यय	७,२२,०००

इस के पश्चात् लोक सभा बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१ / १५ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे दिन तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१
१४ चैत्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२८५	प्राकृतिक उपचार	४२१९–२०
१२८६	रेलवे की फालतू जमीन	४२२०–२१
१२८८	पास्चर इंस्टीटयूट, कुनूर	४२२१—२३
१२८९	पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीर	४२२३–२४
१२९०	दार्जिलिंग हिमालयन शाखा रेलवे पर दुर्घटना	४२२४–२५
१२९३	कृषि वस्तु मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति	४२२५—२७
१२९४	पर्यटन सम्बन्धी प्रचार	४२२८—३०
१२९५	नागाओं द्वारा रेलगाड़ी पर गोली चलाया जाना	४२३०—३२
१२९६	रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	४२३२—३४
१२९८	माल डिब्बों की कमी	४२३४–३५
१२९९	विमान निगमों का विलय	४२३५
१३०१	भारतीय विद्युत नियम, १९५६	४२३६–३७
१३०२	ब्रह्मपुत्र पुल पर की तेल पाइपलाइन	४२३७–३८
१३०३	गाड़ी में डाका	४२३८–३९
१३०५	विदेशी पर्यटकों को रेलवे रियायत	४२३९–४०
१३०६	रेल के लंगर	४२४०—४२
१३०७	गन्ने का मूल्य	४२४२—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२८७	रेलवे संग्रहालय	४२४५
१२९१	टिड्डी दल का आक्रमण	४२४५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२९२	खाद्य विभाग	४२४५–४६
१२९७	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	४२४६
१३००	लाजपत नगर में अस्पताल का निर्माण . . .	४२४७
१३०४	सड़क निर्माण	४२४७–४८
१३०८	घोड़ों की बीमारी	४२४८–४९
१३०९	रेलवे को कोयले का सम्भरण करने वाली कोयला खानें	४२४९
१३१०	बोकारो विद्युत संयंत्र . .	४२४९
१३११	पटसन की खेती की विधि	४२५०
१३१२	हवाई अड्डों का विकास	४२५०
१३१३	ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली का अंशदायी स्वास्थ्य सेवा औषधालय	४२५०–५१
१३१४	खाद्य मंत्रालय में 'लेवल जम्पिंग' प्रणाली .	४२५१
१३१५	विमान पट्टियां	४२५१–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७०६	मध्य रेलवे में चाय के स्टाल लगाने के लिये अनुसूचित जातियों को लाइसेंस	४२५२
२७०७	मध्य रेलवे में रेलवे डाक्टरों के लिये क्वार्टर .	४२५२
२७०८	मध्य रेलवे में प्रतीक्षा कक्ष . .	४२५२
२७०९	महाराष्ट्र को खाद्यान्न का सँभरण .	४२५३
२७१०	महाराष्ट्र में काजू पैदा करने वाले . .	४२५३
२७११	नये रेलवे इंजन . .	४२५३–५४
२७१२	मद्रास राज्य में तापीय बिजली घर . .	४२५४
२७१३	त्रिपुरा में भूमि की अदला बदली . .	४२५४
२७१४	दिल्ली में रबी की फसल . . .	४२५४–५५
२७१५	सल्फोन औषधियां	४२५५
२७१६	रेलवे सुरक्षा बल	४२५५
२७१७	कालका मेल से भोजनगाड़ी को हटा लेना . .	४२५६
२७१८	पठानकोट-अमृतसर लाइन पर सुविधायें . . .	४२५६
२७१९	सार्वजनिक टेलीफोन	४२५७
२७२०	दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना . .	४२५७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
२७२१	दिल्ली में सड़कों का विकास	४२५८
२७२२	दिल्ली में कुतुब मीनार तक सड़क पर बिजली लगाना	४२५८
२७२३	भाखड़ा नंगल परियोजना के अधीन सिंचाई और बिजली के काम	४२५८—६०
२७२४	रेलगाड़ी में एक लड़के की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस जांच	४२६०
२७२५	दुर्गापुर में तापीय बिजली घर	४२६०–६१
२७२६	नदियों में परिवहन के लिए केन्द्रीय तकनीकी सहायता बोर्ड	४२६१
२७२७	टिड्डियों के कारण फसलों को नुकसान	४२६१
२७२८	हिमाचल प्रदेश में घास	४२६२
२७२९	हिमाचल प्रदेश में कूलें	४२६२–६३
२७३०	रेलवे स्टेशनों के लिये कोयले की सप्लाई	४२६३
२७३१	सहकारी चीनी कारखानों द्वारा मशीनरी का आयात	४२६३
२७३२	गुजरात के लिए उर्वरक	४२६४
२७३३	राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ	४२६४
२७३४	रेलवे पुलों के सम्बन्ध में खोसला समिति की रिपोर्ट	४२६५
२७३५	दिल्ली दूध योजना	४२६५
२७३६	सामुदायिक विकास खण्डों में जीप	४२६५
२७३७	इम्फाल नगरपालिका	४२६६
२७३८	अँगूर के उत्पादनों को उर्वरक का सँभरण	४२६६
२७३९	माल डिब्बों का संभरण	४२६६
२७४०	भाखड़ा से दिल्ली को बिजली का संभरण	४२६७
२७४१	फ्लाइंग क्लब	४२६७–६८
२७४२	आयुर्वेदिक औषधि सँहिता	४२६८
२७४३	चांदपुर (उड़ीसा) क्षय रोग का अस्पताल	४२६८
२७४४	रेलवे में हिन्दी में पत्र	४२६८
२७४५	पश्चिम रेलवे के स्कूलों में हिन्दी	४२६८–६९
२७४६	रेलवे मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार	४२६९
२७४७	जिला बोलनगीर (उड़ीसा) में बिजली का संभरण	४२६९
२७४८	सम्बलपुर रोड स्टेशन पर पीने के पानी का संभरण	४२६९–७०
२७४९	कलकता गोदी में कोयले का लादना तथा उतारना	४२७०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२७५०	हिमाचल प्रदेश में पेड़ों की बिक्री	४२७०
२७५१	हिमाचल प्रदेश में जल संभरण योजनायें	४२७०–७१
२७५२	हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र	४२७१
२७५३	हिमाचल प्रदेश में सड़कें	४२७१–७२
२७५४	हिमाचल प्रदेश में कुनिहार से बढलग तक सड़क	४२७२
२७५५	हस्तिनापुर में चीनी की फैक्टरी	४२७२
२७५६	नई दिल्ली में टिटेनस के मामले	४२७३
२७५७	दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ओपरेशन	४२७३
२७५८	दिल्ली में सहकारी खेती	४२७३
२७५९	टेलीफोन	४२७४
२७६०	कानपुर टेलीफोन एक्सचेंज	४२७४–७५
२७६१	कानपुर तथा लखनऊ टेलीफोन एक्सचेंजों की टेलीफोन डायरेक्टरी	४२७५
२७६२	भारतीय वन अधिनियम के अधीन मामले	४२७५
२७६३	उप डाकघर, पटनगढ, उड़ीसा	४२७६
२७६४	पशु धन	४२७६
२७६५	उड़ीसा के मेडिकल कालिजों के शिक्षक	४२७७
२७६६	उड़ीसा में मेडिकल कालेज	४२७७
२७६७	दिल्ली और नई दिल्ली में नर्सें और हेल्थ विजिटर	४२७७–७८
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४२७८

श्री गोरे ने नेपाल के त्रिशूली बाजार नामक कस्बे की स्थिति की ओर, जिसके कारण ऐसा बताया जाता है कि भारतीय सहायता प्राप्त जल-विद्युत परियोजना के निर्माण-कार्य में लगे हुये कुछ भारतीयों ने उस स्थान को खाली कर दिया है, जिसका उक्त परियोजना के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है, प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

	सभा पटल पर रखे गये पत्र	४२७८–७९

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत चावल तथा धान (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० को रद्द करने वाली दिनांक २१ मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९०-क की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई ।

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से संदेश ४२७९

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने अपनी २८ मार्च, १९६१ की बैठक में मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६० को, जो लोक-सभा द्वारा १५ दिसम्बर, १९६० को पारित किया गया था, संशोधनों सहित पारित कर दिया है और विधेयक को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों से लोक-सभा की सहमति की सूचना राज्य-सभा को भेज दी जाये ।

राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में लौटाया गया विधेयक सभा पटल पर रखा गया ४२७९

सचिव ने मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक, १९६१, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटा दिया गया था, सभाल पटल पर रखा ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन---उपस्थित ४२७९

एक सौ नौवां और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सभा की बैठकों से सदस्य की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन-उपस्थापित ४२७९–८२

तेइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अनुदान की मांगें . . . . . ४२८२—४३३४

श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई ।

सार कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१ / १५ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

पुनर्वास तथा परिवहन तथा संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

GMGIPND—LS III—287 (Ai) LS— 22-5-61—125.